



हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)

**HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED**  
(A Govt. of India Enterprise)

एच. ई. सी.



वार्षिक प्रतिवेदन  
ANNUAL REPORT  
2022-23

HEC Builds Machines  
That Build the Nation

एच. ई. सी.



## गुणवत्ता नीति

ग्राहक की आवश्यकताओं और  
अपेक्षाओं के अनुरूप  
गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, प्रणालियों  
एवं सेवाओं के विश्वसनीय  
सप्लायर के रूप में अग्रणी  
स्थान प्राप्त करना तथा उसे  
बनाये रखना

## Quality Policy

To achieve and maintain  
a leading position as  
supplier of reliable  
quality products, systems  
and services to meet  
customer needs and  
expectations

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
HEAVY ENGINEERING CORPORATION LTD.

# निदेशक मंडल

(10.11.2023 के अनुसार)




श्री के. सदाशिव मूर्ति  
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक



श्री राजेश कुमार द्विवेदी  
निदेशक (वित्त)



श्री ए. के. बेहरा  
निदेशक (कार्मिक)



श्री आलोक कुमार सिंघल  
निदेशक (विपणन)



श्री एस. डी. सिंह  
निदेशक (उत्पादन)



श्री विजय मित्तल  
जे.एस./एम.एच.आई एवं  
निदेशक, एच.ई.सी.



श्री राजेश कुमार  
सी.सी.ए./एम.एच.आई एवं  
निदेशक, एच.ई.सी.



श्रीमती प्रभा दूबे  
स्वतंत्र निदेशक



श्री रविन्द्र गोले  
स्वतंत्र निदेशक



श्री अभय कुमार कंट  
कम्पनी सचिव



## अनुक्रमणिका

1. वार्षिक आम सभा की सूचना	2
2. निदेशको का प्रतिवेदन	3
– अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी समावेश, समायोजन, इनोवेशन और ऊर्जा संरक्षण	11
– निगमित शासन की रिपोर्ट	12
– प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	20
– लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का उत्तर	22
– नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं प्रबंधन का उत्तर	39
– वार्षिक रिटर्न का एक्सट्रैक्ट (फार्म नं. एम.जी.टी.-9)	40
3. वार्षिक लेखा	44
– अंकेक्षित लेखा टिप्पणियों के साथ	

### निदेशक मंडल

(10.11.2023)

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक	: श्री के. सदाशिव मूर्ति
निदेशक (वित्त)	: श्री आर. के द्विवेदी
निदेशक (कार्मिक)	: श्री ए. के. बेहरा
निदेशक (विपणन)	: श्री आलोक कुमार सिंघल
निदेशक (उत्पादन)	: श्री एस. डी. सिंह
निदेशक	: श्री विजय मित्तल (जेएस/एमएचआई)
	: श्री राजेश कुमार (सीसीए/एमएचआई)
	: श्रीमती प्रभा दूबे
	: श्री रविन्द्र गोले
कम्पनी सचिव	: श्री अभय कुमार कंठ
सांविधिक लेखा परीक्षक	: मेसर्स लोधा वाधवा पटेल एण्ड कम्पनी (चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स)
सचिवीय परीक्षक	: मेसर्स सतीश कुमार एण्ड एसोशिएट्स (कम्पनी सेक्रेटरीज़)
बैंकर्स	: भारतीय स्टेट बैंक
पंजीकृत कार्यालय	: प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा, राँची-834004 (झारखण्ड)

### वार्षिक आमसभा की सूचना

एतद् द्वारा हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 64वीं वार्षिक आमसभा बुधवार, दिनांक 10.11.2023 को अपराह्न 03:00 बजे, शॉर्टर नोटिस पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियो विजुअल के माध्यम से निम्नलिखित करोबार के संपादन के लिए प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा, राँची-834004 में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय होगी :

#### साधारण व्यवसाय

- 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण उसके साथ शेयरधारकों हेतु निदेशकगण का प्रतिवेदन, उस पर अंकेक्षक रिपोर्ट एवं सी एण्ड ए जी की टिप्पणी को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के अन्तर्गत सांविधिक अंकेक्षक का पारिश्रमिक निश्चित करना।

बोर्ड के आदेशानुसार



(अभय कुमार कंट)  
कम्पनी सचिव

दिनांक : 07.11.2023

#### नोट :

- वर्तमान कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, 19/2021 दिनांक 08.12.2021, 21/2021 दिनांक 14.12.2021, 02/2022 दिनांक 05.05.2022 तथा 09/2023 दिनांक 25.09.2023 (सामूहिक रूप में "एमसीए परिपत्र" के रूप में जाना जाता है।) ने एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") की अनुमति दी। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के एजीएम को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं।
- उपरोक्त एमसीए परिपत्र के अनुसार, प्रॉक्सी नियुक्ती की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार इस बैठक के लिए प्रॉक्सी नियुक्ती की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

## निदेशकीय प्रतिवेदन

सेवा में,  
शेयरधारक  
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(करोड़ रुपये में)

### देवियो और सज्जनों,

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने राष्ट्र के लिए अपनी 64 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों के साथ कंपनी की 64वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है।

### 1. प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं

वित्त वर्ष 22-23 में, कंपनी को रुपये के ऑर्डर मिले। 141 करोड़. एचईसी द्वारा प्राप्त आदेशों में प्रमुख रूप से एचईसी द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों के लिए स्पेयर और घटक शामिल हैं। विभिन्न इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल, ड्रैगलाइन, क्रशर, स्टील प्लांट उपकरण, ईओटी क्रैन और भारी मशीन टूल्स के लिए महत्वपूर्ण स्पेयर अपने ग्राहकों को आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा, एचईसी ने स्टील प्लांटों के लिए स्लैग पॉट्स और फोर्ज्ड रोल्ल्स के ऑर्डर भी हासिल किए।

हालाँकि, गंभीर वित्तीय संकट के कारण उत्पादन और बिक्री प्रभावित हुई है जिससे औद्योगिक अशांति की चुनौतीपूर्ण स्थिति भी पैदा हो गई है। इसके अलावा, पुरानी मशीनरी के बार-बार खराब होने से आदेशों के निष्पादन पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ा है, जिससे नकदी प्रवाह चक्र प्रभावित हुआ है।

### 2. उत्पादन एवं बिक्री

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2022-23	2021-22
बिक्री	91.43	184.69
उत्पादन	60.50	203.84

### 3. वित्तीय परिणाम

पिछले वर्ष की तुलना में उपलब्धि का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	2022-23	2021-22
सकल मुनाफा	-202.35	-219.06
ब्याज	42.56	30.97
मूल्यहास	5.71	5.96
पूर्व अवधि सामंजस्य (सकल)	-0.48	-0.08
असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ	-251.10	-256.07
असाधारण वस्तुएँ आय (+) / व्यय (-)	20.25	0.00
कर देने से पूर्व लाभ	-230.85	-256.07
कर	0.00	0.00
शुद्ध लाभ	-230.85	-256.07
नकद लाभ (असाधारण वस्तुओं से पहले)	-244.91	-250.03

मूल्यहास, ब्याज, कर, पूर्व अवधि और असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ

31.03.2023 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी 606.07 करोड़ रुपये है। जबकि नेट वर्थ (-)1080.66 करोड़ है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 2.55 करोड़ केंद्र और राज्य के खजाने को दिया है।

2016-17 से टर्नओवर, उत्पादन, कर्मचारी उत्पादकता और लाभप्रदता नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कुल करोबार (करोड़ रु.)	उत्पादन (करोड़ रु.)	प्रति कर्मचारी कारोबार (लाख रु.)	शुद्ध लाभ (करोड़ रु.)
2016-17	390.11	364.84	26.81	-82.27
2017-18	399.02	393.37	28.29	446.00
2018-19	356.21	340.22	23.42	-93.67
2019-20	132.68	158.29	9.92	-405.37
2020-21	202.76	252.43	14.75	-175.78
2021-22	184.69	203.84	14.06	-256.07
2022-23	91.43	60.50	7.79	-230.85

### लाभांश की घोषणा न करना :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कर पश्चात लाभ (PAT) रु.(-) 230.85 करोड़ और नेट वर्थ रु. (-)1080.66 करोड़।

डीआईपीएम, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27-05-2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2016 - नीति के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को पीएटी का 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, लाभांश का भुगतान करना होगा। इसलिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 (लाभांश की घोषणा के संबंध में) के मद्देनजर कंपनी लाभांश घोषित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

#### 4. विपणन गतिविधियां

वित्त वर्ष 2022-23 में एचईसी ने रु. 141 करोड़ की ऑर्डर बुकिंग हासिल की।

वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख ऑर्डरों का विवरण इस प्रकार है:-

- ईओटी क्रेन का आपातकालीन डिस्क ब्रेक
- ड्रैगलाइन स्पेयर्स
- क्रशर के पूर्ण
- 450T क्रेन के लिए पूर्ण

अतिरिक्त ऑर्डर में विभिन्न आयात-स्थानापन्न वस्तुएं भी शामिल हैं। कंपनी का वित्तीय संकट मौजूदा ऑर्डरों के परिसमापन को प्रभावित कर रहा है ऑर्डर बुकिंग की संभावनाओं पर असर पड़ रहा है।

#### हाथ में आदेश

31.03.2023 को ऑर्डर बुक की स्थिति रु. 1355.00 करोड़।

#### व्यवसाय विकास पहल :-

मशीनरी के अप्रचलन के साथ-साथ वित्तीय बाधाओं की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए ऑर्डर निष्पादन के मोर्चे पर अधिकांश प्रयास किए गए थे। इसलिए, वर्तमान स्थिति में, कोई नया उत्पाद/प्रोजेक्ट नहीं लिया गया।

#### 5. परियोजना की गतिविधियों

ए) नए कोयला हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) (पीकेजी 062), बीएसपी भिलाई की स्थापना।

परियोजना के समापन को चिह्नित करते हुए नई सीएचपी की सफल स्थापना के लिए बीएसपी, भिलाई (सेल) से 02.05.2022 को अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र (एफएसी) प्राप्त हुआ, जो 02.04.2022 से प्रभावी है।

बी) मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खदान (सेल) में तृतीयक क्रशिंग प्रणाली की स्थापना

संपूर्ण तृतीयक क्रशिंग प्रणाली के लिए प्रदर्शन गारंटी (पीजी) सफलतापूर्वक आयोजित की गई। संयंत्र वाणिज्यिक परिचालन में है और अंतिम वाणिज्यिक निपटान प्रगति पर है।

सी) कोयला प्रबंधन संयंत्र 4.0 एमटीपीए x षणाशिला परियोजना, एनसीएल

निष्पादन गारंटी परीक्षण पूरा होने के बाद, संयंत्र वाणिज्यिक परिचालन में है और अंतिम वाणिज्यिक निपटान प्रगति पर है।

डी) मधुबंद कोल वाशरी परियोजना, बीसीसीएल

सभी उपकरणों का परीक्षण परीक्षण और कमीशनिंग पूरी हो चुकी थी। बीसीसीएल रैपिड लोडिंग सिस्टम (आरएलएस) के माध्यम से धुले हुए कोयले के दो रैक भेजे गए थे।

ई) कोयला हैंडलिंग प्लांट, ब्लॉक-बी, एनसीएल

एचईसी द्वारा 05.01.2021 को कार्य आदेश प्राप्त हुआ। साइट पर काम जोरों पर चल रहा है।

एफ) एसईसीएल को कोयला हैंडलिंग प्लांट की आवश्यकता है

एचईसी द्वारा 05.02.2021 को कार्य आदेश प्राप्त हुआ। साइट पर काम जोरों पर चल रहा है।

जी) वर्ष 2022-23 के दौरान बिक्री कारोबार नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्र.सं	परियोजना का नाम	मूल्य
1	नये कोल हैंडलिंग प्लांट (पीकेजी 062), बीएसपी भिलाई की स्थापना।	1244.77
2	मधुबंद कोल वाशरी परियोजना, बीसीसीएल	274.90
3	कोल हैंडलिंग प्लांट, गोवड़ा, एसईसीएल	1398.74
4	कोल हैंडलिंग प्लांट, ब्लॉक-बी, एनसीएल	393.03

#### 6. एमएसएमई से खरीद

वर्ष के दौरान एमएसएमई, एनएसआईसी और एसएसआई फर्मों से खरीद — 12.16 करोड़।

#### 7. सुरक्षा, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण

हमेशा की तरह, आपकी कंपनी कर्मचारियों/श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को अत्यधिक महत्व देती है। कर्मचारियों/श्रमिकों के बीच सुरक्षा चेतना विकसित करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वैधानिक मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से चिकित्सा जांच की गई। कर्मचारियों/श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण जैसे हाथ



के दस्ताने, चश्मा, सुरक्षात्मक कपड़े, सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षा जूते आदि प्रदान किए गए हैं।

कंपनी पर्यावरण प्रदूषण पर कोई समझौता नहीं करती है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी सावधानियां बरतती है।

### सुरक्षा

1. सुरक्षा अग्रणी संकेतकों (खतरों की पहचान, असुरक्षित स्थिति और चूक के करीब) और सुरक्षा अंतराल संकेतक (जैसे काम करते समय पीपीई के उपयोग का उल्लंघन, उपकरण सुरक्षा) की पहचान करने के लिए दुकान के फर्श का सुरक्षा निरीक्षण।
2. टीडब्ल्यूआई और टूल बॉक्स टॉक के तहत प्रशिक्षण के तहत क्लास रूम प्रशिक्षण के साथ-साथ शॉप फ्लोर पर भी प्रशिक्षण दिया गया।
3. किसी भी दुर्घटना की सूचना कारखाना निरीक्षक, रांची, झारखंड को देना और पुनरावृत्ति से बचने के लिए रोकथाम और नियंत्रण के लिए मूल कारणों का विश्लेषण करना।

### स्वास्थ्य एवं पर्यावरण:-

एचईसी का मानना है कि अपने कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देने से संगठन को दीर्घकालिक लाभ होगा। यह ग्रह को विभिन्न पर्यावरणीय प्रभावों से बचाने के लिए अपने संचालन में स्थायी प्रथाओं को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

### इस क्षेत्र में की गई विभिन्न गतिविधियाँ हैं: -

- (ए) कर्मचारियों/श्रमिकों के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु नियमित नेत्र परीक्षण एवं सामान्य स्वास्थ्य जांच कराना।
- (बी) स्टैक निकास पर परिवेशी वायु की गुणवत्ता की निगरानी।
- (सी) नालियों के माध्यम से निस्तारित जल की गुणवत्ता की निगरानी।
- (डी) एचईसी क्षेत्रों को हरा-भरा रखने और प्रदूषण को कम करने के लिए वन विभाग की मदद से नियमित वृक्षारोपण गतिविधियाँ की जा रही हैं।
- (ई) स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमों के तहत कई स्वास्थ्य और पर्यावरण गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है।
- (एफ) वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जेएसपीसीबी के दिशानिर्देशों को लागू करना
- (जी) प्रदूषकों के लिए नियमित रूप से जल प्रवाह के नमूनों का परीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर अंतर्देशीय निकाय में पानी के निर्वहन की सहमति दी जाती है।

(एच) संयंत्र के परिसर के अंदर अलग-अलग स्थानों पर जल संचयन किया जाता है, जिसके द्वारा वर्षा जल को संचित किया जाता है और शुष्क मौसम के दौरान इसे पुनः उपयोग करने के लिए संग्रहीत किया जाता है।

**संयुक्त प्रवाह उपचार संयंत्र (सीईपीटी):** एचईसी में स्थापित सीईटीपी डिस्चार्ज से पहले प्रदूषित पानी से औद्योगिक अपशिष्टों को हटा देता है। डिस्चार्ज जल की गुणवत्ता झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) द्वारा निर्धारित विशिष्ट मापदंडों को पूरा करती है।

### 8. कार्य बल की स्थिति

31.03.2023 को कंपनी की कर्मचारियों की संख्या 1174 थी जबकि 31.03.2022 को 1295 थी।

### 9. औद्योगिक संबंध

इस अवधि के दौरान वेतन/मजदूरी के विलंबित भुगतान के कारण औद्योगिक संबंधों का माहौल चुनौतीपूर्ण था।

### 10. कर्मचारी कल्याण

कंपनी की अपनी आवासीय टाउनशिप है, जहाँ मेडिकल डिवीजन के तहत वेलनेस सेंटर नियमित कर्मचारियों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करता है। समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के माध्यम से नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाता है। ठेका श्रमिकों को ईएसआई योजना के तहत चिकित्सा लाभ बढ़ाया जाता है, जिसके लिए कंपनी द्वारा संबंधित ठेकेदारों को सदस्यता राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेलनेस सेंटर/ मेडिकल डिवीजन में ओपीडी और अवलोकन सुविधाओं के माध्यम से चिकित्सा लाभ बढ़ाया जाता है। इसके अलावा, कॉरपोरेट कार्यालय में आंखों की जांच और पारस अस्पताल में कर्मचारियों की सामान्य जांच की गई और बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने उपरोक्त शिविरों में प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठाया।

### 11 मानव संसाधन विकास

कंपनी मानव संसाधन विकास को अत्यधिक महत्व देती है। प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से योग्यता विकास पर जोर दिया गया, जैसे नेतृत्व गुणवत्ता विकास, पर्यवेक्षी कौशल विकसित करना, अधीनस्थ विकास, कार्य सेवा प्रक्रियाएं, नए श्रम कोड से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, सतर्कता जागरूकता, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता, फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी में उभरती प्रौद्योगिकियां, खरीद प्रक्रियाएं, आदि। इसके अलावा, श्रमिकों को उनके बहु कौशल और सुरक्षा पहलुओं पर भी प्रशिक्षण दिया गया।

एचईसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट (एचटीआई) कंपनी द्वारा चलाया जाता है जहां छात्रों को तकनीकी पाठ्यक्रम से संबंधित दो साल की शिक्षा/प्रशिक्षण दिया जाता है और आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री धारकों को एक साल का प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। कंपनी स्थानीय/आदिवासी छात्रों के लिए एचईसी वेलनेस सेंटर में जीएनएम कोर्स भी चला रही है।

### 12. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की स्थिति

- i) 31.03.2023 को एससी और एसटी कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 258 और 271 थी।
- ii) एससी और एसटी कर्मचारियों का प्रतिशत कुल कर्मचारी के संबंध में क्रमशः 21.97% और 23.08% थे।

### 13. हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग

भारत सरकार की राजभाषा विभाग के निर्देशों के तहत व्यापक कार्यान्वयन के लिए एक आवश्यक प्रयास के रूप में कंपनी भर में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देता है।

आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की दिशा में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए।

- i) कर्मचारियों को कामकाजी भाषा के रूप में हिंदी से परिचित होने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस संबंध में परिपत्र या तो हिंदी में जारी किए जाते हैं या द्विभाषी होते हैं।
- ii) इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी भाषा में विभिन्न कार्यक्रम/समारोह आयोजित किये जाते हैं। 01.09.2022 से 14.09.2022 तक राजभाषा पखवाड़ा आयोजित किया गया और हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए निबंध लेखन, भाषण, कविता, टिप्पणी, प्रारूपण, टाइपिंग के साथ-साथ राजभाषा शील्ड जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

### 14. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (आईडब्ल्यूडी) का उत्सव

एचईसी में प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 09.03.2023 को मनाया गया क्योंकि 08.03.2023 को होली त्योहार के कारण अवकाश घोषित किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। इस वर्ष का विषय "डिजिटऑल: लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी" था।

### 15. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस / सप्ताह का पालन

21 जून 2022 को जेएन क्लब, सेक्टर-3, धुर्वा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया और लाभ उठाया।

### 16. स्वच्छ भारत मिशन

एचईसी में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर सफाई अभियान चलाया जाता रहा है। 16.08.2022 से 31.08.2022 तक एचईसी के विभिन्न संयंत्रों/डिवीजनों और एचईसी टाउनशिप, आसपास के गांवों में सभी कर्मचारियों/अनुबंध श्रमिकों/छात्रों/आम जनता को शामिल करते हुए स्वच्छता पखवाड़ा मनाकर इस मिशन पर विशेष जोर दिया गया। इस गतिविधि के तहत एचईसी की विभिन्न इकाइयों में निम्नलिखित उपाय किये गये:-

- i) सभी कर्मचारियों/संविदा कर्मियों द्वारा स्वच्छ भारत की शपथ ली गयी।
- ii) प्लांट स्तर इंटर-शॉप/विभाग पर, स्वच्छता बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ दुकान पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। 02 अक्टूबर, 2022 को आयोजित समारोह में पुरस्कार/पुरस्कार वितरित किये गये।
- iii) संयंत्रों और अन्य प्रभागों में पड़ी अप्रचलित/अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान और निपटान के लिए कार्रवाई की गई। कर्मचारियों को एकल उपयोग वाली प्लास्टिक सामग्री का उपयोग न करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- iv) संयंत्रों में सामग्री/वस्तुओं पर नाम बोर्ड लगाने के लिए अभियान चलाया गया।
- v) इस अभियान के तहत, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और बैनरों से सुसज्जित एक वाहन एचईसी टाउनशिप और उसके आसपास घूमा था, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता को स्वच्छता के बारे में संदेश दिया गया है। साथ ही कारखानों (संयंत्रों)/डिवीजनों में कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल, दुकानों के आसपास और अपने भवनों के परिसरों को साफ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

### 17. आजादी का अमृत महोत्सव: हर घर तिरंगा अभियान

आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में 'हर घर तिरंगा' अभियान 13 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 तक एचईसी में आयोजित किया गया था ताकि लोगों

को अपने परिसर में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सभी कर्मचारियों और सीआईएसएफ कर्मियों को अपने घर पर फहराने के लिए तिरंगा प्रदान किया गया और इस अभियान के तहत एचईसी टाउनशिप और उसके आसपास एक मोटर बाइक रैली भी आयोजित की गई।

### 18. ऑनलाइन वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट

कार्यालयों को पेपरलेस बनाने के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट और वार्षिक संपत्ति रिटर्न को ऑनलाइन भरना सफलतापूर्वक जारी है।

### 19. विद्युत वाहन का उपयोग

इलेक्ट्रिक कारों के उपयोग के लिए ईईएसएल और एचईसी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में एचईसी द्वारा 16 इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग किया जा रहा है।

### 20. सहायक एवं एसएसआई इकाइयों का विकास

अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने रोजगार के साथ-साथ व्यक्तिगत उद्यमिता के अवसर पैदा करने के लिए रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण की मदद से तुपुदाना के पास एक सहायक क्षेत्र विकसित किया।

एचईसी के विकास के अनुरूप नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग और प्रवेश के लिए विभिन्न संभावनाओं का पता लगाने के लिए एसएसआई इकाइयों के साथ नियमित बातचीत आयोजित की गई।

### 21. कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी सीएसआर गतिविधियाँ चलाती रहती है जैसे: अपने वेलनेस सेंटर की सहायता से चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था करना। नियमित अंतराल पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाए गए।

### 22. सतर्कता गतिविधियाँ

मुख्यालय में एचईसी लिमिटेड का सतर्कता विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी/एचईसी के समग्र प्रशासनिक और कार्यात्मक नियंत्रण के तहत काम कर रहा है। कंपनी का सीवीओ संगठन और प्रशासनिक मंत्रालय एवं सीवीसी के बीच एक लिंक प्रदान करता है।

सिस्टम में संसाधनों का इष्टतम उपयोग और पारदर्शिता

और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निवारक सतर्कता, जागरूकता फैलाने, सिस्टम और प्रक्रियाओं की निगरानी और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। सतर्कता से संबंधित विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण/कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित करके कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा की जाती है।

संगठन में संवेदनशील अनुभागों/क्षेत्रों की पहचान की गई है और औचक निरीक्षण, नियमित निरीक्षण, फाइलों की जांच और सीटीई प्रकार के निरीक्षण पर जोर दिया गया है। सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रणालीगत सुधार के सुझाव दिए गए हैं।

इंटीग्रिटी पैकट (आईपी) इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर (आईईएम) के तत्वावधान में निगम में कार्यात्मक है जो खरीद की प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। आईपी को संगठन द्वारा नियुक्त दो स्वतंत्र बाहरी मॉनिटरों (आईईएम) के एक पैनल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। आईईएम स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करता है कि पार्टियों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का किस हद तक और कितना पालन किया है।

सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने के लिए एचईसी लिमिटेड के भीतर वीएडब्ल्यू-2022 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ उत्साह और उत्साह के साथ आयोजित की गईं। जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये।

31.03.2022 तक 03 शिकायतें जांच के अधीन थीं और वित्त वर्ष 2022-23 के भीतर 34 नई शिकायतें प्राप्त हुईं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुईं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 37 शिकायतों में से 35 शिकायतों का निपटारा किया गया।

महत्वपूर्ण सीवीसी दिशानिर्देशों और अन्य सतर्कता संबंधी गतिविधियों वाली इन-हाउस सतर्कता पत्रिका 'चिंगारी-XI' को वीएडब्ल्यू-2022 के समापन समारोह में जारी किया गया था।

### 23. आरटीआई अधिनियम के तहत अनुरोध/अपील का निपटान

कंपनी पारदर्शिता पर जोर देती है और मांगी गई जानकारी समय पर जमा करने को प्राथमिकता दी जाती है। वित्त

वर्ष 2022-23 के दौरान, 284 संख्या में आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और निर्धारित समय के भीतर विधिवत उत्तर दिए गए।

#### 24. कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा – आईसीसी

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) के प्रावधानों के दिशानिर्देशों के अनुरूप यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए मई, 2019 में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन किया गया था।) अधिनियम, 2013. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

#### 25. गुणवत्ता आश्वासन

आपकी कंपनी निर्मित उत्पादों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। कंपनी अपने ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी उपाय करती है। इसे ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता आश्वासन विभाग को तीन संयंत्रों के लिए केंद्रीत किया गया है। उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों को प्रासंगिक भारतीय मानकों और आईएसओ 9001:2015 के अनुसार बनाए रखा जा रहा है।

#### 26. अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन, और नवाचार उर्जा संरक्षण

अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार के साथ-साथ ऊर्जा संरक्षण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत आवश्यक विवरण अनुलग्नक- 'अ' में प्रस्तुत किए गए हैं।

#### 27. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

आपके निदेशक बताते हैं कि :

- ए) वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके। उस अवधि के लिए कंपनी काय

सी) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

डी) निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए हैं। और

ई) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

#### 28. कॉरपोरेट गवर्नेंस

कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट अनुलग्नक- 'ब' में दी गई है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस का हिस्सा होगी।

#### 29. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट अनुलग्नक- 'स' में दी गई है।

#### 30. वैधानिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने मेसर्स सारस एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

#### 31. सीएजी का टिप्पणी और सांविधिक लेखा परीक्षक का रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन का जवाब

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत आपकी कंपनी के वार्षिक खातों की समीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ और उस पर प्रबंधन के उत्तर अनुलग्नक- 'द' में रखा गया है।

32. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत प्रकटीकरण आवश्यक है

क्र.	आवश्यकताएं	विवरण
1	धारा 134 (3) (ए): वेब पता, यदि कोई हो, जहां वार्षिक रिटर्न [31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म संख्या एमजीटी -9 में वार्षिक रिटर्न का उद्धरण, उप-धारा (3) में संदर्भित है। की धारा 92 लगाई गई है।	<a href="https://www-hecltd-com/">https://www-hecltd-com/-</a>
2	धारा 134 (3)(सीए): केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण।	लेखापरीक्षकों द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।
3	धारा 134 (3)(एफ): प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ।	लेखापरीक्षक द्वारा कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना नहीं दी गई है।
4	धारा 134 (3)(जी): धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण।	लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष में उपलब्ध विवरण 2022-23
5	धारा 134 (3)(एच): निर्धारित प्रपत्र में धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण।	
6	धारा 134 (3)(जे): राशि, यदि कोई हो, जिसे वह किसी भी भंडार में ले जाने का प्रस्ताव करता है।	
7	धारा 134 (3)(एल): कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और रिपोर्ट की तारीख।	
8	नियम 8 (5)(vii): नियमकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण, जो भविष्य में चल रही चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।	
9	धारा 134 (3)(एम): ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय, निर्धारित तरीके से।	विवरण अनुलग्नक- 'ए' में दिया गया है।
10	धारा 134 (3)(एन): कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन का संकेत देने वाला एक बयान, जिसमें जोखिम के तत्वों की पहचान भी शामिल है, यदि कोई हो, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है।	कंपनी में कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है।
11	धारा 134 (3)(ओ): वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल पर कंपनी द्वारा विकसित और कार्यान्वित नीति के बारे में विवरण।	आवश्यक नहीं
12	नियम 8 (1): बोर्ड की रिपोर्ट कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार की जाएगी और सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताओं और कंपनी के समग्र प्रदर्शन में उनके योगदान पर रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट के तहत अवधि।	आवश्यक नहीं
13	नियम 8 (2): बोर्ड की रिपोर्ट में फार्म एओसी-2 में धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण शामिल होगा।	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं है
14	नियम 8 (3): (ए) ऊर्जा का संरक्षण- (बी) प्रौद्योगिकी अवशोषण- (सी) विदेशी मुद्रा आय और व्यय	विवरण अनुलग्नक- 'ए' में दिया गया है।
15	नियम 8 (5)(iii): वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए या इस्तीफा देने वाले निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण।	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में विवरण उपलब्ध है
16	नियम 8(5)(v): जमा से संबंधित विवरण, अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आते हैं।	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में विवरण उपलब्ध है
17	नियम 8 (5)(vi): जमा का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं है।	
18	नियम 8(5)(viii): वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में विवरण।	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट - अनुलग्नक 3 में विवरण उपलब्ध है
19	नियम 8 (5)(ix): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के रखरखाव की आवश्यकता है या नहीं, इसका खुलासा करना और तदनुसार ऐसा करना आवश्यक है। खाते और रिकार्ड बनाए और बनाए रखे जाते हैं।	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में विवरण उपलब्ध है
20	धारा 118(10) और एसएस-1: सचिवीय मानक का अनुपालन।	अनुपालन किया।

### 33. निदेशक मंडल

एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, एचईसी लिमिटेड के सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, एचईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, (i) पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) जिसमें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और चार कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं (ii) सरकारी निदेशक इसमें दो सरकारी नामित आधिकारिक निदेशक शामिल हैं और (iii) गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक जिसमें तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

31 मार्च, 2023 तक, एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में दस निदेशक शामिल हैं जिनमें (ए) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और चार कार्यात्मक निदेशक यानी निदेशक (वित्त), निदेशक (उत्पादन), निदेशक (कार्मिक) और शामिल हैं। निदेशक (विपणन), (बी) भारत सरकार द्वारा नामित दो आधिकारिक निदेशक और (सी) चार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक।

31 मार्च, 2023 तक, एचईसी के बोर्ड में कोई पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक नहीं हैं। एचईसी लिमिटेड के बोर्ड के सभी कार्यात्मक निदेशक एचईसी में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। डॉ. नलिन सिंघल, सीएमडी (बीएचईएल) अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का प्रभार। श्री राजेश कुमार द्विवेदी, जीएम (बीएचईएल), श्री शकील कुमार मनोचा, ईडी (बीएचईएल), श्री ए के बेहरा, जीएम (बीएचईएल) और श्री आलोक कुमार सिंघल, जीएम (बीएचईएल) अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। एचईसी लिमिटेड में क्रमशः निदेशक (वित्त), निदेशक (उत्पादन), निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (विपणन) के पद का प्रभार।

वर्ष के दौरान, श्री विजय मित्तल, जेएस/एमएचआई ने 13.09.2022 को एचईसी में निदेशक पद छोड़ दिया और उसी दिन डॉ. रेणुका मिश्रा, ईए/एमएचआई को एचईसी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा 13.03.2023 को, डॉ. रेणुका मिश्रा, ईए/एमएचआई ने एचईसी में निदेशक का पद छोड़ दिया और उसी दिन श्री विजय मित्तल, जेएस/एमएचआई को एचईसी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री शकील कुमार मनोचा ने 24 अगस्त, 2023 से हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची के निदेशक (उत्पादन) के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है। इसके अलावा, बीएचईएल के महाप्रबंधक श्री एसडी सिंह ने 25 अगस्त, 2023 से हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची के निदेशक (उत्पादन) का पद

अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।

डॉ. नलिन सिंघल ने 31 अक्टूबर, 2023 से हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है। इसके अलावा, बीएचईएल के सीएमडी श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति ने 01 नवंबर, 2023 से हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का प्रभार अतिरिक्त कार्यभार संभाला है।

### 34. लेखा परीक्षा समिति

15 दिसंबर, 2021 को आयोजित 341वीं बैठक में बोर्ड द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति श्रीमती के साथ कार्य कर रही है। प्रभा दुबे, स्वतंत्र निदेशक, समिति की अध्यक्ष हैं। श्री राजेश कुमार, सीसीएडएमएचआई (सरकारी नामित निदेशक), श्री कमल किशोर नाइक (स्वतंत्र निदेशक) और श्री रवींद्र गोले (स्वतंत्र निदेशक) को ऑडिट समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। लेखापरीक्षा समिति की बैठक के लिए कंपनी के निदेशक (वित्त) स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं

ऑडिट समिति एक बोर्ड स्तरीय समिति है जो वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, ऑडिटों के चयन, वैधानिक ऑडिट अनुपालन, वित्तीय खुलासे, वित्तीय विवरणों की तैयारी, प्रस्तुति और रिपोर्टिंग, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, ऑडिट परिणामों की प्राप्ति आदि की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

### 35. अभिरक्षीकृति

बोर्ड सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभारी है। भारत की। कंपनी के कामकाज में निरंतर सहयोग के लिए बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय का विशेष रूप से आभारी है।

बोर्ड सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता है। कंपनी के कामकाज के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए झारखंड सरकार को धन्यवाद।

बोर्ड भारतीय स्टेट बैंक, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वित्तीय संस्थानों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक सहित अपने सभी हितधारकों से प्राप्त निरंतर सहयोग की सराहना करना चाहता है।

बोर्ड एचईसी परिवार के उन सभी सदस्यों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है जिन्होंने बहुत ईमानदारी और समर्पित भाव से काम किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से



(कोप्पू सदाशिव मूर्ति)  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

## वर्ष के दौरान कंपनी की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन, नवाचार और ऊर्जा संरक्षण

i) वर्ष के दौरान कंपनी की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ

### गियर

बीएसएल, बोकारो के लिए 450टी ईओटी क्रेन के होइस्ट मैकेनिज्म, एलटी मैकेनिज्म, सीटी मैकेनिज्म और एसीटी मैकेनिज्म के लिए गियर बॉक्स डिजाइन किए गए हैं। इन तंत्रों के लिए गियर अनुपात 171, 49.93, 94.18 और 55.55 है और इन तंत्रों के लिए पावर रेटिंग क्रमशः 315 किलोवाट, 132 किलोवाट, 55 किलोवाट और 30 किलोवाट है।

बीएसपी भिलाई के लिए ईओटी क्रेन के एलटी मैकेनिज्म, एमसीटी मैकेनिज्म के लिए गियर बॉक्स भी डिजाइन किए गए हैं। इन तंत्रों के लिए गियर अनुपात 35 और 84 है और इन तंत्रों के लिए पावर रेटिंग क्रमशः 132 किलोवाट और 37 किलोवाट है।

ii) ऊर्जा संरक्षण

एचईसी में ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:

- दो उत्पादक गैस से चलने वाली भट्टियों को एलपीजी से चलने वाली भट्टियों में बदलने का काम चल रहा है और दो अन्य का काम चल रहा है।
- विद्युत ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एपीएफ (औसत पावर फैक्टर) को यथासंभव उच्च बनाए रखने के लिए नए 33 केवी एपीएफसी पैनलों की स्थापना के लिए ईईएसएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- एपीएफ को यथासंभव उच्च बनाए रखने के लिए 6.6 केवी सबस्टेशनों में स्थापित कंडेनसर बैंकों की दैनिक निगरानी की जा रही है।
- जहां भी संभव हो दिन के समय आदर्श चार्ज ट्रांसफार्मरों को बंद किया जा रहा है।

## कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

### 1.0 कंपनी का कॉर्पोरेट प्रशासन दर्शन:

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी लिमिटेड) निष्पक्ष और पारदर्शी व्यावसायिक गतिविधियों में विश्वास करता है, ताकि कंपनी से जुड़े सभी लोगों, जैसे शेयर धारक, ग्राहक, विक्रेता, कर्मचारी, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के मालिक के रूप में मूल्य बढ़ाया जा सके। या कोई अन्य क्षमता, विभिन्न राज्य सरकारें, अन्य सरकारी एजेंसियां/विभाग और बड़े पैमाने पर समाज। अनिवार्य रूप से एचईसी में अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन नीतियों का अभ्यास शामिल है और पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रतिबद्धता और उद्यमों के संवर्धन के अधिकतम स्तर को प्राप्त करने के माध्यम से ईमानदारी और अखंडता में विश्वास करता है। एचईसी प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में अपने मामलों का प्रबंधन इस तरह से करता है कि वह सभी कानूनों का अनुपालन करता है और अपनी रणनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रबंधन नीतियों/निर्णयों को नियंत्रित करता है। एचईसी ने कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने वरिष्ठ प्रबंधन को जवाबदेह बनाया है।

एचईसी अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भावना को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार गठित समितियों के दायरे को बढ़ाया और मजबूत किया है।

### 2.0 निदेशक मंडल:

निदेशक मंडल हमारे कॉर्पोरेट प्रशासन अभ्यास के मूल में है और देखरेख करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन हमारे सभी हितधारकों के हितों की सेवा और सुरक्षा करता है। बोर्ड कंपनी की सभी प्रमुख गतिविधियों की निगरानी सहित रणनीतिक और व्यावसायिक योजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन भी करता है।

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या न तो दो से कम और न ही पंद्रह से अधिक होगी। एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, एचईसी लिमिटेड के सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, एचईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल को तीन श्रेणियों में

वर्गीकृत किया गया है, (i) पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) जिसमें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और चार कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं (ii) सरकारी निदेशक इसमें दो सरकारी नामित आधिकारिक निदेशक शामिल हैं और (iii) गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक जिसमें चार स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। सभी निदेशकों की नियुक्ति के नियम, शर्तें और कार्यकाल भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं।

31 मार्च, 2023 तक, एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में दस निदेशक शामिल हैं जिन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, (i) कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक), (ii) सरकार द्वारा नामित आधिकारिक निदेशक और (iii) आंशिक समय गैर सरकारी निदेशक. बोर्ड में (ए) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और चार कार्यात्मक निदेशक यानी निदेशक (वित्त), निदेशक (उत्पादन), निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (विपणन), (बी) भारत सरकार के दो नामित आधिकारिक निदेशक शामिल हैं। और (सी) तीन अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक।

31 मार्च, 2023 तक, एचईसी के बोर्ड में कोई पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक नहीं हैं। एचईसी लिमिटेड के बोर्ड के सभी कार्यात्मक निदेशक एचईसी में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। डॉ. नलिन सिंघल, सीएमडी (बीएचईएल) अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री राजेश कुमार द्विवेदी, जीएम (बीएचईएल), श्री शकील कुमार मनोचा, ईडी (बीएचईएल), श्री ए के बेहरा, जीएम (बीएचईएल) और श्री आलोक कुमार सिंघल, जीएम (बीएचईएल) अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। एचईसी लिमिटेड में क्रमशः निदेशक (वित्त), निदेशक (उत्पादन), निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (विपणन) के पद का प्रभार।

वर्ष के दौरान, श्री विजय मित्तल, जेएस/एमएचआई ने 13.09.2022 को एचईसी में निदेशक पद छोड़ दिया और उसी दिन डॉ. रेणुका मिश्रा, ईए/एमएचआई को एचईसी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा 13.03.2023 को, डॉ. रेणुका मिश्रा, ईए/एमएचआई ने एचईसी में निदेशक का पद छोड़ दिया और उसी दिन श्री विजय मित्तल, जेएस/एमएचआई को एचईसी के बोर्ड में सरकार



द्वारा नामित आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री शकील कुमार मनोचा ने 24 अगस्त, 2023 से हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची के निदेशक (उत्पादन) के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है। इसके अलावा, श्री एसडी सिंह, महाप्रबंधक, बीएचईएल ने 25 अगस्त, 2023 से हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची के निदेशक (उत्पादन) का पद अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।

डॉ. नलिन सिंघल ने 31 अक्टूबर, 2023 से हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है। इसके अलावा, श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति, सीएमडी, बीएचईएल ने

- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| i) श्रीमती अरुंधति पांडा<br>(30.09.2022 को सेवानिवृत्ति)  | : | निदेशक (वित्त)                    |
| ii) श्री राजेश कुमार द्विवेदी<br>(23.11.2022 को शामिल हुए)  | : | निदेशक (वित्त), अतिरिक्त प्रभार   |
| iii) श्री शकील कुमार मनोचा<br>(20.12.2022 को शामिल हुए)   | : | निदेशक (उत्पादन), अतिरिक्त प्रभार |
| iv) श्री मृदुल कुमार सक्सेना<br>(26.12.2022 को त्याग दिया गया)  | : | निदेशक (कार्मिक)                  |
| v) श्री ए के बेहरा<br>(27.12.2022 को शामिल हुए)   | : | निदेशक (कार्मिक), अतिरिक्त प्रभार |
| vi) डॉ. राणा सुभासिस चक्रवर्ती<br>(16.01.2023 को त्याग दिया गया)<br>[19.12.2022 तक निदेशक उत्पादन का अतिरिक्त प्रभार] | : | निदेशक (विपणन)                    |
| vii) श्री अलोक कुमार सिंघल<br>(03.02.2023 को शामिल हुए)   | : | निदेशक (विपणन), अतिरिक्त प्रभार   |

### 2.3 सरकार. भारत के नामांकित अंशकालिक आधिकारिक निदेशक:

- श्री विजय मित्तल, जेएस/एमएचआई (13.09.2022 को पद त्याग)
- डॉ. रेणुका मिश्रा, ईए/एमएचआई (13.09.2022 को नियुक्त और 13.03.2023 को पद त्याग)
- श्री विजय मित्तल, जेएस/एमएचआई (13.03.2023 को नियुक्त)
- श्री राजेश कुमार, सीसीए/एमएचआई

### 2.4 सरकार. भारत के नामांकित गैर-आधिकारिक (अंशकालिक) निदेशक:

01 नवंबर, 2023 से हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार पदभार ग्रहण किया है।

### 2.1 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक:

- डॉ. नलिन सिंघल: अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

[डॉ. नलिन सिंघल ने एचईसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार 31 अक्टूबर, 2023 से त्याग दिया है। इसके अलावा, श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति, सीएमडी, बीएचईएल ने 01 नवम्बर, 2023 से एचईसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।

### 2.2 कार्यात्मक निदेशक:

- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| i) श्रीमती प्रभा दुबे                               | : | निदेशक (वित्त)                    |
| ii) श्री कमल किशोर नायक [30.09.2023 को निधन हो गया] | : | निदेशक (वित्त), अतिरिक्त प्रभार   |
| iii) श्री रवीन्द्र गोले                             | : | निदेशक (उत्पादन), अतिरिक्त प्रभार |

### 3.0 बोर्ड की बैठक:

- श्रीमती प्रभा दुबे
- श्री कमल किशोर नायक [30.09.2023 को निधन हो गया]
- श्री रवीन्द्र गोले

### 3.0 बोर्ड की बैठक:

बोर्ड की बैठकें कंपनी के रांची स्थित पंजीकृत कार्यालय या बोर्ड द्वारा तय किए गए स्थानों पर आयोजित की जाती हैं। कंपनी सचिव बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करता है।

### 3.1 बोर्ड बैठकों की संख्या:

वर्ष 2022-23 के दौरान चार (4) बैठकें आयोजित की गईं,

जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	तारीख	बोर्ड की ताकत	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	30.06.2022	09	07
2.	25.08.2022	09	06
3.	29.12.2022	10	08
4.	23.03.2023	10	08

3.2 बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति:

	निदेशकों का नाम	अवधि	आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	अन्य बोर्ड में निदेशक पद की संख्या	क्या 30.09.2022 को आयोजित अंतिम एजीएम में भाग लिया था
ए)	<b>(कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक))</b>					
1.	डॉ. नलिन सिंघल (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक)	01.04.2022 से 31.03.2023	04	04	01	हाँ
2.	श्रीमती अरुंधति पांडा, निदेशक (वित्त), 30.09.2022 को सेवानिवृत्त हुए	01.04.2022 से 30.09.2022	02	01	00	हाँ
3.	श्री राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक (वित्त), 23.11.2022 को शामिल हुए	23.11.2022 से 31.03.2023	02	02	00	NA
4.	श्री शकील कुमार मनोचा, निदेशक (उत्पादन), 20.12.2022 को शामिल हुए	20.12.2022 से 31.03.2023	02	02	01	NA
5.	श्री मृदुल कुमार सक्सेना, निदेशक (कार्मिक), 26.12.2022 को पद से हट गए	01.04.2022 से 26.12.2022	02	02	01	हाँ
6.	श्री ए के बेहरा, निदेशक (कार्मिक), 27.12.2022 को शामिल हुए	27.12.2022 से 31.03.2023	02	02	01	NA
7.	डॉ. राणा सुभाशिष चक्रवर्ती, निदेशक (विपणन), 16.01.2023 को पद से हट गए	01.04.2022 से 16.01.2023	03	03	00	हाँ
8.	श्री आलोक कुमार सिंघल, निदेशक (विपणन), 03.02.2023 को शामिल हुए	03.02.2023 से 31.03.2023	01	01	00	NA
बी)	<b>सरकार भारत के नामांकित अंशकालिक आधिकारिक निदेशक</b>					
1.	श्री विजय मित्तल (13.09.2022 को पद त्याग)	01.04.2022 से 13.09.2022	02	02	05	NA
2.	डॉ. रेणुका मिश्रा (13.09.2022 को नियुक्त किया गया और 13.03. 2023 को त्याग दिया गया)	13.09.2022 से 13.03.2023	01	01	04	हाँ
3.	श्री विजय मित्तल (13.03.2023 को नियुक्त)	13.03.2023 से 31.03.2023	01	01	03	NA
4.	श्री राजेश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2023	04	01	04	नहीं
सी)	<b>अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक / स्वतंत्र निदेशक</b>					

1.	श्रीमती प्रभा दुबे	01.04.2022 से 31.03.2023	04	04	00	हाँ
2.	श्री कमल किशोर नायक	01.04.2022 से 31.03.2023	03	01	00	नहीं
3.	श्री रवीन्द्र गोले	01.04.2022 से 31.03.2023	04	03	00	हाँ

#### 4.0 लेखापरीक्षा समिति:

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें कंपनी के रांची स्थित पंजीकृत कार्यालय में या ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाती हैं, जैसा लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है।

#### 4.1 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या:

वर्ष 2022-23 के दौरान चार (4) बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	तारीख	स्ट्रेंथ	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	30.06.2022	04	03
2.	25.08.2022	04	03
3.	29.12.2022	04	02
4.	23.03.2023	04	02

निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति की बैठक के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

#### 4.2 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति:

सदस्यों के नाम	अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
1. श्रीमती. प्रभा दुबे	01.04.2022 से 31.03.2023	04	04
2. श्री राजेश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2023	04	01
3. श्री कमल किशोर नायक	01.04.2022 से 31.03.2023	04	02
4. श्री रवीन्द्र गोले	01.04.2022 से 31.03.2023	04	03

#### 5.0 वार्षिक आम बैठक:

पिछली पांच एजीएम का समय, तिथि और स्थान:

वर्ष	तारीख	समय	कार्यक्रम का स्थान
2107-18 (59वीं एजीएम)	07.09.2018	दिन के 11:00 पूर्वाह्न	पंजीकृत कार्यालय
2018-19 (60वीं एजीएम)	27.09.2019	11:30 पूर्वाह्न	पंजीकृत कार्यालय
2019-20 (61वीं एजीएम)	22.12.2020	03:00 अपराह्न	पंजीकृत कार्यालय
2020-21 (62वीं एजीएम)	15.12.2021	03:00 अपराह्न	पंजीकृत कार्यालय
2021-22 (63वीं एजीएम)	30.09.2022	03:00 अपराह्न	पंजीकृत कार्यालय

#### 6.0 आचार संहिता:

निदेशक मंडल ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता निर्धारित की है।

#### 7.0 प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुपालन में, कंपनी ने सभी निदेशकों से इंटरैस्ट का प्रकटीकरण (फॉर्म एमबीपी -1) प्राप्त किया है।

## फार्म नं एमआर 3

## सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार,}

सेवा में

सदस्य,

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड,

एचईसी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग

प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा, रांची - 834004

हमने मेसर्स हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (इसके बाद इसे "कंपनी" कहा जाएगा) के लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध मास्टर डेटा के अनुसार कंपनी का नाम मेसर्स हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है, हालांकि कंपनी अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) के संबंध में सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के अनुसार, 2013, कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट शब्द का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/ वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी की पुस्तकों, कागजात मिनट की किताबों, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, अन्य दस्तावेजों/फाइलिंग के साथ, जो प्रासंगिक हो सकते हैं, जिन पर प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भरोसा किया गया है :-

1. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम।
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

3. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उनके ओएम नंबर 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के तहत जारी किए गए।

4. अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970।

5. यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर महिलाएँ (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013।

6. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इसके तहत बनाए गए अन्य पर्यावरण कानून और नियम।

7. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) पर लागू विशिष्ट कानूनों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी रिपोर्ट प्रबंधन और उसके अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों की सीमा तक सीमित है। हालाँकि, विभिन्न लागू कानूनों के तहत दाखिल किए जाने वाले वैधानिक और/ अन्य रिटर्न के अनुपालन का आश्वासन/ विश्वसनीयता कंपनी के संबंधित एचओडी या अधिकारियों से प्राप्त प्रमाणपत्रों पर निर्भर है।

I हमारी राय में, हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, हमें प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड का सत्यापन और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार (कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 "अधिनियम" के प्रावधानों और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों, कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों का अनुपालन किया है, जो यहां विशेष रूप से बताए गए प्रावधानों के अधीन है (इसके अलावा कंपनी ने उचित बोर्ड-प्रक्रियाओं और अनुपालन-तंत्र का पालन किया है। हालाँकि अनुपालन यहाँ "अनुलग्नक-बी" के रूप में निर्धारित टिप्पणियों और या अवलोकन के अधीन हैं।

1. भाग I के तहत निर्धारित बैलेंस शीट का फार्म, भाग II के तहत निर्धारित लाभ और हानि के विवरण का फार्म और इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश जैसा कि अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित है।

2. पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के नाम का प्रकाशन।
  3. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ अपेक्षित फॉर्म और रिटर्न दाखिल करना।
  4. निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकें बुलाना और आयोजित करना।
  5. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सदस्यों की 63वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन एवं आयोजन 30.09.2022 को हुआ।
  6. वार्षिक आम बैठक, असाधारण आम बैठक, बोर्ड की बैठकों और बोर्ड की समितियों की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त का रख-रखाव, ढीले पत्ते के रूप में उचित रूप से दर्ज किया जाता है, जिसे नियमित अंतराल पर एक पुस्तक के रूप में बांधा जाता है।
  7. निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान।
  8. सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक।
  9. लेखापरीक्षा समिति की संरचना और संदर्भ की शर्तें।
  10. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों और लेखा परीक्षकों को दस्तावेजों की सेवा।
- II हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि**
1. निदेशकों ने आवश्यकता पड़ने पर अन्य कंपनियों में अपनी शेरधारिता और निदेशक पद और अन्य संस्थाओं में हितों का खुलासा किया है और उनके हितों को बोर्ड द्वारा नोट और रिकॉर्ड किया गया है।
  2. निदेशकों ने अपनी नियुक्तियों की पात्रता और निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
  3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम के अनुसरण में कंपनी, उसके निदेशकों और अधिकारियों पर कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया और कोई जुर्माना या दंड नहीं लगाया गया।
  4. कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र और कंपनी सचिव, कंपनी के अनुपालन अधिकारी और अन्य विभागीय प्रमुखों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के आधार पर कंपनी के पास किसी भी प्रकृति का कोई अनुपालन लंबित नहीं है। उपरोक्त परिशिष्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के अधीन कंपनी का।
  5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट के दौरान, कंपनी ने कोई भी विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं की है जिसका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर बड़ा असर हो सकता है।

वास्ते सतीश कुमार एसोसिएट्स



सतीश कुमार  
कंपनी सचिव

UDIN : F008423E001376020

FCS नंबर : 8423

C P No- 9788

स्थान : रांची

दिनांक : 19 अक्टूबर, 2023

नोट :- यह रिपोर्ट हमारे पत्र के साथ पढ़ी जानी है घटना की तारीख जो "अनुलग्नक-ए", "अनुलग्नक-बी" के रूप में संलग्न है यह रिपोर्टका एक अभिन्न अंग है।

## “अनुलग्नक-अ”

सेवा में

सदस्य,

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची

घटना की तारीख की हमारी रिपोर्ट इस पत्र साथ में पढ़ी जानी चाहिए।

### प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय बनाने के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।
4. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता पुस्तकों, जीएसटी और टीडीएस रिटर्न आदि की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
6. कंपनी ने “अनुलग्नक-बी” में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर प्रावधानों, विनियमों, परिपत्रों का अनुपालन किया है।

वास्ते सतीश कुमार एसोसिएट



कंपनी सचिव

UDIN : F008423E001376020

FCS नंबर : 8423

C P No- 9788

स्थान : रांची

दिनांक : 19 अक्टूबर, 2023

## “अनुलग्नक-ब”

टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
(1) वित्त वर्ष के लिए ई-फॉर्म सीआरए-4 (लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-148 के प्रावधानों के तहत 2021-22 और 2022-23 एमसीए के पास दाखिल नहीं किए गए हैं।	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लागत ऑडिट रिपोर्ट कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के साथ प्रगति पर है। लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 को सीएआर वित्तीय वर्ष 2021-22 को अंतिम रूप देने के बाद लागत लेखा परीक्षक के समक्ष रखा जाना है।
(2) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के प्रावधान के अनुसार नहीं की गई थी।	आंतरिक अंकेक्षण के लिए एक टीम का गठन कर उसे लागू कर दिया गया है। आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक टीम द्वारा किया गया है।

वास्ते सतीश कुमार एसोसिएट्स



सतीश कुमार  
कंपनी सचिव

UDIN : F008423E001376020

FCS नंबर : 8423

C P No- 9788



सीएमए राजेश गाँधी  
उपमहाप्रबंधक (ए & बी)  
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

## प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

### अवलोकन:

एचईसी भारत में इस्पात, खनन, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए पूंजीगत उपकरण और मशीनरी का अग्रणी निर्माता और आपूर्तिकर्ता रहा है। यह अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक टर्न-की परियोजनाओं को भी क्रियान्वित करता है। छह दशकों के अनुभव में, एचईसी ने अपनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति के माध्यम से देश में योगदान दिया है।

#### 1.0 स्मॉट विश्लेषण: ताकत और कमजोरियाँ, अवसर और खतरे

##### 1.1 ताकत:

- इस्पात, खनन, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, मुख्य क्षेत्रों और रणनीतिक क्षेत्रों आदि के क्षेत्र में भारी इंजीनियरिंग डिजाइन और विनिर्माण उपकरणों के लिए सबसे बड़ा एकीकृत परिचालन सेटअप।
- एचईसी के पास एक ही छत के नीचे कास्टिंग, फोर्जिंग, मशीनिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग से लेकर खनन और स्टील उपकरणों और मशीन टूल्स के लिए वन-स्टॉप सुविधा है।
- खनन क्षेत्र में एचईसी के पास ड्रैगलाइन, फावड़े (पारंपरिक और हाइड्रोलिक दोनों), भूमिगत खनन उपकरण और खनन स्पेयर आदि जैसे उच्च मूल्यवान और विभिन्न रेंज के खनन उपकरणों की आपूर्ति करने की प्रचुर क्षमता है। 200 से अधिक नग। विभिन्न खदानों में खनन और खनिज प्रसंस्करण उपकरण पहले से ही परिचालन में हैं।
- एचईसी ने धातुकर्म नवाचारों और मुख्य और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपकरणों और घटकों के स्वदेशी निर्माण के लिए प्रवेश द्वार खोले हैं।
- एचईसी ने स्वदेशीकरण और विकास आवश्यकताओं के लिए आईआईटी-आईएसएम धनबाद, आईआईटी खड़गपुर, एनआईएफएफटी रांची जैसे प्रमुख अनुसंधान इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ तकनीकी गठजोड़ किया है। एचईसी ने हाल ही में एनआईएफएफटी रांची के साथ हॉलो शाफ्ट का विकास शुरू किया है।

(vi) एचईसी को महत्वपूर्ण रक्षा/रणनीतिक आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ग्राहकों की विशिष्टताओं के अनुरूप उत्पाद वितरित करने के लिए इसका अपना इन-हाउस आर एंड डी विंग है। एचईसी की इंजीनियरिंग संपदा और ज्ञान इसके परिचालन क्षेत्र में अद्वितीय है।

(vii) एचईसी के पास टीओटी हस्तांतरण के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के साथ-साथ स्वदेशीकरण करने की क्षमता है।

(viii) कौशल स्तर के संदर्भ में, कंपनी के पास पैटर्न बनाने, मोल्ड तैयार करने, स्टील पिघलने, कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग, गियर विनिर्माण, विनाशकारी और गैर-विनाशकारी परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण आदि क्षेत्रों में तकनीशियनों द्वारा समर्थित अच्छी तरह से निपुण इंजीनियर हैं।

##### 1.2 कमजोरियाँ:

- मौजूदा मशीनरी के लिए तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, जो साठ वर्षों से अधिक समय तक सेवा दे चुकी है, जिसके कारण बार-बार खराबी, उच्च अस्वीकृतियाँ और मरम्मत के लिए औसत औसत से अधिक समय लगता है।
- प्रौद्योगिकी गहन दर्जी उत्पाद।
- बड़े विनिर्माण और नकदी रूपांतरण चक्र वाले उत्पाद।
- कार्यशील पूंजी की कमी।
- नगण्य कैपेक्स निवेश के कारण प्रौद्योगिकी उन्नयन का अभाव।
- कम जनशक्ति उत्पादकता।

##### 1.3 अवसर:

- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल।
- खनन, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु जैसे क्षेत्रों में भारी मांग की संभावना
- एचईसी के अधिकांश संभावित बाजार में या तो आयात विकल्प, एकल विनिर्माण आधार शामिल है या



जहां मौजूदा निर्माता मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं जो भविष्य में ऑर्डर की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

- (iv) मानव संसाधन की औसत आयु लगभग 45 वर्ष है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की युवा प्रतिभाएँ अच्छी संख्या में हैं। उनकी क्षमताओं को संवारा और बढ़ाया जा रहा है।
- (v) एचईसी के पास विशेष रूप से धातुकर्म विकास, खनन उपकरण और मशीनरी में एक पूर्ण अनुसंधान-उन्मुख प्रोटोटाइप निर्माता के रूप में काम करने की क्षमता है।

#### 1.4 खतरा:

- (i) आधुनिकीकरण के अभाव में, एचईसी मौजूदा बाजार में आधुनिक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मकता खो रहा है और आगामी निविदाओं में भाग लेने में असमर्थ है।
- (ii) एचईसी ऑर्डर की संभावनाओं को खो रहा है क्योंकि अधिकांश संभावनाएं उच्च मूल्य की हैं, जिसके लिए बड़ी राशि वाली बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसे एचईसी गंभीर वित्तीय संकट के कारण प्रदान करने में सक्षम नहीं है।
- (iii) छोटी इकाइयों की तेजी से वृद्धि हुई है जो कम निश्चित लागत के कारण एल1 आधार पर ऑर्डर हासिल कर रहे हैं।



## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्य,

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने साथ में दिए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी'), सीआईएन नं. U27100JH1958GOI000630, जिसमें 31 मार्च, 2023 की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है, जिसे इसके बाद स्टैंडअलोन वित्तीय कथन के रूप में जाना जाता है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006, संशोधित, ('एएस') और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप मामलों की स्थिति को देखें। 31 मार्च, 2023 को कंपनी का घाटा, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसका नकदी प्रवाह।

### राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अडिटिंग मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हमारी रिपोर्ट का अनुभाग। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। और इसके तहत बनाए गए नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### गोइंग कन्सर्न से संबंधित भौतिक अनिश्चितता

हम वित्तीय विवरणों में नोट 3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो इंगित करता है कि कंपनी को 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 23,084.59 लाख का शुद्ध घाटा हुआ और, उस तारीख तक कंपनी की मौजूदा देनदारियां उसकी कुल संपत्ति से रु. 1,00,665.90 लाख अधिक हो गईं। जैसा कि नोट 3 में बताया गया है, ये घटनाएँ या स्थितियाँ, नोट 33 में बताए गए अन्य मामलों और प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण के साथ, संकेत करती हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। कार्यशील पूंजी के लिए धन के प्रवाह के बिना। कंपनी ने मई 2020 में भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को इस संबंध में एक योजना प्रस्तुत की है और प्रबंधन ने बताया है कि व्यवसाय योजना मंत्रालय के साथ विचाराधीन है और इसके लिए कोई अद्यतन प्रदान नहीं किया गया था और इस संबंध में मामला में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मामले का जोर

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन उत्तर
(ए)	<p>नोट संख्या 15 देखें - जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का हिस्सा है, जो दर्शाता है कि लंबी अवधि के ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें जमाधूसुरक्षा जमा, आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम, प्राप्य दावे आदि शामिल हैं। अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है प्रावधान का स्तर. कंपनी का आकलन मामले के तथ्यों से समर्थित नहीं है बल्कि पहले के वर्षों में लगातार अपनाई गई पिछली पद्धति से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम कंपनी की रिपोर्ट की गई हानि और शुद्ध संपत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। हमने देखा कि लगातार अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार, कंपनी दिए गए सभी दीर्घकालिक अग्रिमों/सुरक्षा जमा के विरुद्ध लगभग 100% का प्रावधान कर रही है जो 3 वर्षों से अधिक समय से खातों की पुस्तकों में जारी है।</p> <p><b>कंपनी ने इसके खिलाफ प्रावधान किये हैं:-</b></p> <p>(i) विभिन्न कर अधिकारियों के विरोध के तहत की गई जमा राशि और विभिन्न राज्य / केंद्र सरकार के विभागों को देय बकाया राशि के विरोध के तहत भुगतान की गई आंशिक मांग, जहां राशि विवादित है और अंतिम मांग की मात्रा निर्धारित की जानी बाकी है - कुल प्रावधान रु. 60.26 लाख किया गया।</p> <p>(ii) राज्य/केंद्र सरकार की इकाइयों/पीएसयू/विभागों सहित आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि - कुल प्रावधान रु. 85.19 लाख।</p> <p>(iii) निजी आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि - रु. 332.85 लाख।</p> <p>(iv) राज्य/केंद्र सरकार की इकाइयों/पीएसयू/विभागों सहित विभिन्न पक्षों को जमा के रूप में भुगतान की गई राशि - कुल प्रावधान रु. 184.06 लाख</p> <p>(v) प्राप्य दावे में लागू की गई बैंक गारंटी शामिल है जिसके लिए प्रावधान रु. 4045.87 लाख है, रेलवे के विरुद्ध COFMOW से प्राप्त दावा रु. है। 146.06, बीएसपी, एमसीएल और एनसीएल द्वारा लगाए गए ब्याज पर जमा टीडीएस उनसे वसूल नहीं किया गया जिसके लिए प्रावधान किया गया है रु. 38.99 लाख, सरकार के खिलाफ दावा। विभाग/पीएसयू रु. 15.65 लाख और टीडीएस पार्टी द्वारा काटा गया लेकिन 26 एस में रु. 4.23 लाख नहीं है।</p> <p>(vi) ऋण और अग्रिम के तहत रु. 219.63 लाख का प्रावधान है, जिसे वित्त वर्ष 2021-22 में नोट 17 के तहत गुड्स-इन-ट्रांजिट विवरण के रूप में लिया गया था, जिसके लिए उपलब्ध नहीं है और एक हस्तांतरण प्रविष्टि पारित की गई थी जिसमें कहा गया था कि यह आपूर्तिकर्ता के लिए अग्रिम है जो लिया गया था पहले इन्वेंट्री के तहत और अब नोट 15 के तहत ऋण और अग्रिम शीर्षक के तहत बहाल किया गया है। अन्य - कुल प्रावधान रु. 22.80 लाख।</p> <p>(vii) कंपनी प्रावधान के आधार के संबंध में कोई भी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी, सिवाय यह बयान प्रस्तुत करने के कि उसी प्रथा का पालन किया जा रहा है। कंपनी द्वारा वर्षों-वर्ष किए जा रहे इस प्रावधान के संबंध में कोई लेखांकन नीति नहीं है। प्रावधान के उचित आधार के बिना कंपनी द्वारा अपनाई जा रही प्रथा के परिणामस्वरूप रु. 5155.59 लाख की हानि का अधिक विवरण और कंपनी की संपत्ति रु.5155.59 लाख की कम बताई गई है।</p>	<p>कंपनी दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के लिए 100: प्रावधान करने की निरंतर प्रथा का पालन कर रही है जिसमें जमा/ सुरक्षा जमा, आपूर्तिकर्ता को अग्रिम आदि शामिल हैं और जो 3 वर्षों से अधिक समय से खातों की पुस्तकों में जारी हैं।</p> <p>उच्च स्तरीय निर्णय लागू करके प्रावधान की समीक्षा के लिए नोट किया गया</p> <p>संदिग्ध ऋणों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है। इस संबंध में एक सतत प्रक्रिया के रूप में आवश्यक समायोजन /कार्यवाही की जा रही है।</p>

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन उत्तर
(बी)	<p>नोट संख्या 8 देखें - जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा है - 'व्यापार देय - जैसा कि क्रमांक में दिखाया गया है। बैलेंस शीट का 4(बी) - रु. 13,884.13लाख - जिसमें से आइटम नं. 4(बी)(प) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की बकाया राशि रु. 677.80लाख है, और मद संख्या। 4(बी)(पप) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का बकाया राशि रु. 13,206.33 लाख है, जिसमें से मध्यम उद्यमों का बकाया राशि रु. 2,180.67 लाख है और अन्य का बकाया - राशि रु. 11,025.66 लाख है जिसे शामिल किया गया है दायित्व के रूप में।</p> <p>कंपनी ने नोट 33.14 - 'वित्तीय विवरण के अन्य नोट्स' में बताया है कि अतिदेय मूल देयता की राशि के अलावा, ब्याज की अतिरिक्त देयता रु. 5,761.90 लाख है और इसे पुस्तकों में देयता के रूप में या आकस्मिक देयता के रूप में नहीं दिखाया गया है। लेकिन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में अन्य नोट्स के अंतर्गत दिखाया गया है। इसके अलावा, कंपनी एमएसएमई क्षेत्र के लिए इस दायित्व का निर्वहन करने की दिशा में किए गए अपने प्रयासों को प्रमाणित करने के लिए कोई पत्राचार या कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। कंपनी की देनदारियां सुलह और शेष राशि की पुष्टि के बाद किए जाने वाले आवश्यक समायोजन की सीमा तक बताई गई हैं। देय ब्याज का समायोजन, यदि कोई हो, वहां पर।</p>	<p>नोट संख्या 8 - एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, जो खरीदार एमएसएमई से सामान खरीदता है या सेवाएं लेता है, उसे अनिवार्य रूप से अपने वार्षिक विवरण में एमएसएमई को बकाया मूल राशि और उस पर देय ब्याज के संबंध में अतिरिक्त जानकारी का खुलासा करना होगा। निर्धारित प्रारूप में खातों की। एचईसी ने नोट संख्या 33.16 - 'वित्तीय विवरण के अन्य नोट्स' के तहत इस आवश्यकता का अनुपालन किया है।</p>
(सी)	<p>नोट संख्या 18 देखें - 'व्यापार प्राप्य' - रु. 39,587.91 लाख (प्रावधान रु. 29,477.84 लाख) -नोट संख्या 21- अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत षकिराया और अन्य प्राप्य रु. 6,004.29 लाख (प्रावधान रु. 2,980.97 लाख) ये नोट बनाते हैं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा - दिखाया गया शेष पार्टियों से पुष्टि और समाधान पर परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। इसके अलावा, लेखांकन नीति के अनुसार, 3 वर्षों से अधिक समय से प्राप्त नहीं हुई व्यापार प्राप्य की राशि पूरी तरह से प्रदान की जाती है, जबकि 12 महीने से अधिक के किराए और अन्य प्राप्तियों के मामले में पूरी तरह से प्रदान की जाती है और इस प्रावधान का आधार नहीं है कंपनी की लेखांकन नीति। इसके अलावा, सरकार से प्राप्तियां भी हैं। / सरकार. ऐसी एजेंसियाँ भी जो आमतौर पर संदिग्ध नहीं होती हैं और सामान्यतः देरी से लेकिन 100: पर वसूली की जा रही हैं। प्रावधानों को अक्सर उक्त प्राप्तियों की वसूली पर वापस लिखा जाता है। कंपनी के इन परिसंपत्ति प्रमुखों में सामंजस्य और शेष की पुष्टि के बाद किए जाने वाले आवश्यक समायोजन की सीमा तक अधिक या कम बताया गया है।</p>	<p>व्यापार प्राप्य के संबंध में शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन पुष्टि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>हालाँकि, व्यापार प्राप्य में शेष जानकारी और दस्तावेजों के अनुसार हैं और उसी अभ्यास का लगातार पालन किया जा रहा है।</p> <p>किराए और अन्य प्राप्तियों के लिए एक उपयुक्त लेखांकन नीति की समीक्षा करने और तैयार करने के लिए नोट किया गया।</p>
(डी)	<p>नोट संख्या 8 देखें - जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा है - व्यापार देय - जैसा कि क्रमांक में दिखाया गया है। बैलेंस शीट का 4(बी) - रु. 13,884.13 लाख - दिखाई गई शेष राशि पार्टियों से पुष्टि और समाधान पर परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। कंपनी की देनदारियां सुलह और शेष की पुष्टि के बाद आवश्यक समायोजन की सीमा तक बताई गई हैं।</p>	<p>नोट किया गया</p>

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन उत्तर
(इ)	नोट संख्या 33.1 - क्रमांक देखें। 1 - पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गई - रु. 8,310.40 लाख (पिछला वर्ष बताया गया - रु. 12186.14 लाख) - इस वर्ष, कंपनी ने एक इकाई द्वारा दूसरे के लिए निष्पादित किए जा रहे अनुबंधों की पूंजी प्रतिबद्धताओं को शामिल नहीं किया है कंपनी की इकाई/इकाइयाँ। नोट संख्या 33.1 - क्रम संख्या देखें। 2 - राजस्व खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गई - रु. 38810.38 लाख (पिछला वर्ष - रु. 43592.92 लाख) - इस वर्ष, कंपनी ने एक इकाई द्वारा दूसरी इकाई के लिए निष्पादित किए जा रहे अनुबंधों की राजस्व प्रतिबद्धताओं को शामिल नहीं किया है /कंपनी की इकाइयां।	पूंजीगत वस्तुओं (स्वयं का विनिर्माण) का ठेका एक इकाई से दूसरी इकाई को इंटरप्लान्ट ट्रांसफर दर पर दिया जा रहा है। हालांकि, मूल्य WIP में दिखाया जा रहा है, क्योंकि कोई तीसरे पक्ष की प्रतिबद्धता नहीं है, इसलिए ऐसे मूल्यों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।
(एफ)	नोट संख्या 33.13 देखें - कंपनी विविध देनदारों, विविध लेनदारों, उन पार्टियों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं कर सकी, जिन्हें कंपनी के व्यवसाय के दौरान ऋण और अग्रिम और सुरक्षा जमा दिए गए थे। हमने देखा कि ग्राहक से प्राप्त राशि ग्राहक से अग्रिम के रूप में पड़ी हुई है जबकि कंपनी पर एक ही पार्टी के नाम पर विविध देनदार हैं। बिल-वार विवरण के साथ पार्टी से शेष राशि की पुष्टि के अभाव में, आंकड़ों को समायोजित नहीं किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्राप्यों का अतिरिक्त विवरण हो रहा है।	नोट किया गया
(जी)	नोट संख्या - 21 देखें - किराया और अन्य प्राप्तियां - विविध देनदारों पर लेखांकन नीति है (नोट संख्या 1(9) लेकिन अन्य प्राप्तियों जैसे किराया, बिजली शुल्क और जल शुल्क आदि के लिए, कोई लेखांकन नीति नहीं है। कंपनी यदि चालान की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर वसूली नहीं की जाती है, तो किराया, जल शुल्क, बिजली शुल्क आदि के खिलाफ प्राप्य राशि पर 100: का प्रावधान कर रहा है। इस प्रथा का बिना किसी आधार के पालन किया जा रहा है। विविध प्रावधान के लिए एक लेखांकन नीति है देनदारों का कहना है कि यदि देय अवधि 3 वर्ष से अधिक है तो 100: का प्रावधान किया गया है, लेकिन किराया, पानी और बिजली प्राप्तियों के लिए, यदि बकाया अवधि 12 महीने से अधिक है तो प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा, एक उम्र के अनुसार वर्गीकरण किया गया है देनदार का प्रावधान लेखांकन नीति में नहीं है।	किराए और अन्य प्राप्तियों के लिए एक उपयुक्त लेखांकन नीति की समीक्षा करने और तैयार करने के लिए नोट किया गया।
(एच)	कंपनी द्वारा अपनाई जा रही इन्वेंट्री के मूल्यांकन की प्रक्रिया अनुमत मानक अभ्यास के अनुसार नहीं है। कंपनी इस संबंध में निर्धारित लेखांकन मानकों पर विचार नहीं कर रही है। इसके परिणामस्वरूप इन्वेंट्री का मूल्यांकन अधिकधकम हो रहा है। एनआरवी तक पहुंचने की प्रणाली भी उचित नहीं है और उद्योगों में अपनाई जाने वाली मानक पद्धति के अनुरूप नहीं है। पूरा करने की लागत की अवधारणा और लागत की गणना के परिणामस्वरूप असामान्य आंकड़े आते हैं क्योंकि पहले से ही खर्च की गई लागत (जिसमें अप्रत्यक्ष खर्चों का असामान्य विभाजन और निष्क्रिय घंटों पर विचार न करना आदि शामिल है) अधिक है और इसलिए कई मदों में, एनआरवी नकारात्मक हो जाती है (यानी, शून्य) जो गलत है और इस प्रथा को प्रबंधन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने की आवश्यकता है।	इन्वेंट्री का मूल्यांकन AS2 के अनुसार किया जा रहा है। पूरा करने की लागत के अनुमान की दिशा में और सुधार के लिए नोट किया गया।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन उत्तर
(आई)	वर्तमान और गैर-वर्तमान परिसंपत्ति/देयता का वर्गीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुरूप नहीं है	नोट किया गया
(जे)	कंपनी द्वारा दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम का प्रावधान वर्तमान उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्लांट प्रभारी के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार किया गया है, लेकिन प्रबंधन हमारे सामने प्लांट प्रभारी के पास उपलब्ध जानकारी, समीक्षा रिपोर्ट और कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसके आधार पर कंपनी द्वारा निर्णय और प्रावधान किया गया है।	आगे सुधार के लिए नोट किया गया।
(के)	कंपनी ने संयंत्र प्रभारी द्वारा प्रमाणित अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाओं के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य पर 100% प्रावधान किया है। प्रबंधन कोई भी समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका और केवल 2 लाइन का बयान कि प्रगति में चल रही पूंजी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, वित्त विभाग द्वारा प्लांट प्रभारी से प्राप्त किया गया है और 100% प्रावधान किया गया है। जिन पूंजीगत कार्यों में वर्षों से कोई कार्य नहीं हुआ है, उन प्रगतिरत कार्यों को कंपनी द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित दर्शाया गया है, जो प्रथम दृष्टया स्थायी रूप से बंद हैं। कंपनी की इन प्रगति परियोजनाओं में पूंजीगत कार्य की समीक्षा करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसमें कंपनी ने कंपनी की कार्यशील पूंजी का पर्याप्त मात्रा में निवेश किया है।	नोट किया गया
(एल)	कंपनी का कामकाज भी आउटसोर्स अनुबंधों पर आधारित है और उनके संचालन में किसी भी अनिश्चितता का कंपनी के कामकाज और राजस्व बुकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, आकस्मिक दायित्व की मात्रा और प्रकृति को देखते हुए, भविष्य में असाधारण मुकदमेबाजी और नियामक कार्रवाइयों से इंकार नहीं किया जा सकता है।	नोट किया गया
(एम)	कंपनी ने पीएफ ट्रस्ट को देय रु. 11,096.85 लाख का भुगतान नहीं किया है, जिसमें पीएफ ट्रस्ट से लिए गए ऋण पर कर्मचारियों से की गई कटौती, स्वैच्छिक योगदान और उस पर ब्याज शामिल है। इसके अलावा, पीएफ अंशदान की 3871.64 लाख रुपये की राशि पीएफ ट्रस्ट को हस्तांतरित नहीं की गई।	नोट किया गया
(एन)	नोट नं. 33.23, कंपनी का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि के खाते में कोई कमी नहीं देखी गई है, जबकि कंपनी ने पीएफ ट्रस्ट को रु. 14968.49 लाख की राशि हस्तांतरित नहीं की है और कंपनी ने इस संबंध में ट्रस्ट का कोई लेखापरीक्षित खाता प्रस्तुत नहीं किया है।	पीएफ ट्रस्ट का ऑडिट प्रगति पर है और ऑडिट रिपोर्ट को एक सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
(ओ)	सीईएफसी प्रथम फाउंडेशन की संपत्ति और देनदारियां एचईसी को हस्तांतरित कर दी गईं और एस्करो खाते में पड़ी राशि इस संबंध में देयता से कम थी और इसके अलावा कंपनी के बैंक ने कार्यशील पूंजी में अपनी अतिदेय राशि के भुगतान के लिए इस एस्करो खाते में पड़ी राशि को मनमाने ढंग से समायोजित किया है। सीमाएँ जो एस्करो खाते के लिए प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं।	एचईसी के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में जाने से बचाने के लिए बैंकर ने एस्करो खाते से अतिदेय बैंक ब्याज की राशि को समायोजित किया है। हालाँकि, लेन-देन का चित्रण किया गया है उचित रूप से।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	प्रबंधन उत्तर
(पी)	कंपनी ने कंपनी की आकस्मिक देनदारी की समीक्षा के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। विभिन्न मंचों पर विभिन्न मामलों को देखने वाली एजेंसी से अद्यतन जानकारी प्राप्त नहीं की गई और न ही हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। अंतिम अद्यतन, यदि कोई हो, हमें प्रदान नहीं किया गया था इसलिए रिपोर्ट की जा रही आकस्मिक देनदारी समीक्षा किए जाने वाले विभिन्न मामलों में शामिल मात्रा में वृद्धि या कमी के अधीन है।	कानूनी मामलों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट में सुधार के लिए नोट किया गया।
(क्यू)	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों (बाह्य या आंतरिक) की नियुक्ति नहीं की गई थी और आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अभाव में, हमारी रिपोर्टिंग कंपनी के प्रबंधन की ओर से इस चूक के अधीन है।	वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा सेल का गठन पहले ही किया जा चुका है और उचित रूपरेखा तैयार की जाएगी ताकि यह आने वाले वर्ष में प्रभावी हो।

ऊपर के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

#### अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रतीत होता है भौतिक रूप से गलत किया गया।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत हैय हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। जैसा कि अन्य जानकारी हमें प्रदान नहीं की गई है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स



(सीए एस. के. वाधवा)

पार्टनर सदस्यता सं. - 074749

फर्म पंजीयन सं. - 006271C

UDIN : 23074749BGWWUR7990

तिथि : 15.09.2023

स्थान : रांची



सीएमए राजेश गाँधी

उप महाप्रबंधक (ए&बी)

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि., राँची

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, कंपनी के लेखा 133 (धारा) के तहत निर्धारित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के साथ धारा 133 के तहत निर्धारित के अनुसार, कंपनी के नकदी प्रवाह सहित वित्तीय प्रदर्शन, संशोधित, और अन्य लेखांकन सिद्धांतों को आम तौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री से मुक्त होते हैं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जारी रखे जाने की क्षमता का खुलासा करने के रूप में, लागू करना, चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा रखता है या युद्ध संचालन, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

### स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एक पूरे के रूप में भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और सामग्री मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है। एसएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं।

### हम भी :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में संबंधित खुलासों पर



ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बन सकता है।

- खुलासे सहित स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

हम अन्य मामलों में, ऑडिट की योजना बनाई गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय। शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी। इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ पल्ला झुकना।

#### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत आवश्यक है, हम ऑडिट की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर 'अनुबंध 1' में एक बयान देते हैं, उस पर कार्रवाई और उस पर प्रभाव पड़ता है खाते और कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) ऑर्डर 2016 ("ऑर्डर") के अनुसार, हम "अनुबंध 2" में दिए गए मामलों पर एक बयान देते हैं। आदेश के पैरा 3 और 4।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :
  - क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।
  - ख) हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकों को कंपनी द्वारा अब तक रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।
  - ग) कम्पनी के कोलकाता और नई दिल्ली में शाखा कार्यालय है जिनके खाते मुख्यालय के साथ समेकित है
  - घ) इस बैलेंस शीट, लाभ और हानि नकदी प्रवाह के विवरण सहित इस रिपोर्ट के साथ खाते की पुस्तकों के के अनुरूप है।
  - ङ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं। कम्पनी (खाता) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है जैसा की संशोधित है अन्य मामले रिपोर्टिंग के अधीन है।
  - च) कम्पनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले वित्तीय लेन-देन या मामलो पर को प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
  - छ) 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया, 31 मार्च, 2023 तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) के तहत किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
  - ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी अलग रिपोर्ट देखें 'अनुलग्नक 3'। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

- झ) खातों में रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- ञ) सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में। यह उक्त प्रावधान लागू नहीं है।
- ट) कम्पनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि बाद में संशोधित किया गया, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम लोगों को:
- कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में वित्तीय स्थिति पर लंबित केस के प्रभाव का खुलासा किया है।
  - कंपनी ने प्रावधान किया है, जैसा कि लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक है, लंबी अवधि के अनुबंधों पर, भौतिक रूप से हानि के नुकसान के लिए।
  - प्रबंधन से प्राप्त प्रतिनिधित्व के अनुसार, ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था।
  - (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अलावा, जैसा कि खातों में नोट में प्रकट किया गया है, कोई भी धन उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या कोई भी) अन्य स्रोतों या निधियों के प्रकार) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(यों) में, विदेशी संस्थाओं सहित ("मध्यस्थ"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें।
  - (ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, इसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियां") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी, जो किसी भी तरीके से या उसकी ओर से पहचानी गई हो। फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करते हैं।
  - (ग) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-धारा (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।
- v. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।
- vi. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, यथासंशोधित, लेखा सफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की किताबें बनाए रखने के लिए, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लरग संपादित करें) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, कंपनी पर प्रभावी रूप से लागू है 1 अप्रैल, 2023 से और तदनुसार संशोधित कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स



(सीए एस. के. वाधवा)

पार्टनर सदस्यता सं. - 074749

फर्म पंजीयन सं. - 006271C

UDIN : 23074749BGWWUR7990

तिथि : 15.09.2023

स्थान : रांची

## अनुलग्नक - 1 स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट के लिए

(रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में उल्लिखित हमारी रिपोर्ट के सेक्शन हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए भी)

### अनुलग्नक - 1

वित्तीय वर्ष 2022-23 खाते के ऑडिट के लिए लागू कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत दिशा-निर्देश

क्र.सं.	प्रश्न	प्रबंधन का जवाब
(अ)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का निहितार्थ, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है, लेकिन इसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित वित्तीय नियंत्रण और आंतरिक जांच के साथ उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ एक मजबूत एकीकृत प्रणाली का अभाव है जो सभी विभागों के एकीकरण और विभिन्न प्रक्रिया के लिए आवश्यक है डिवीजनों के साथ ही हेड क्वार्टर में। प्लान्ट स्टोर पर आगे के स्टोर लीडर्स को नॉन-इंटीग्रेटेड सिस्टम पर रखा गया है। हालांकि, स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर कोई सामग्री निहितार्थ नहीं है।
(ब)	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या छूट/ऋण/ऋण/ब्याज आदि को लिखना है या नहीं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाना चाहिए। क्या ऐसे मामलों का हिसाब ठिक से किया जाता है?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के ऋण को चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी द्वारा ऋण के लिए किए गए ऋणों/ऋणों/ ब्याज आदि की माफी या छूट के मामलों का कोई पुनर्गठन नहीं है। हालांकि, कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ-साथ सरकार द्वारा दिए गए लोन के ब्याज का भी भुगतान नहीं किया है। भारत की ऋण और ब्याज की किस्तों का भुगतान करने में असमर्थता के कारण जो पहले से ही देय हैं।
(स)	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि (ग्राण्ट/सब्सिडी) प्राप्त/प्राप्त की गई थी या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त की गई धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग/उपयोग किया गया।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स



(सीए एस. के. वाधवा)

पार्टनर सदस्यता सं. - 074749

फर्म पंजीयन सं. - 006271C

UDIN : 23074749BGWWUR7990

स्थान : रांची

तिथि : 15.09.2023

## लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक-2

(समान तिथि के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

1. (क)(a) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है।
  - (क)(b) कंपनी अमूर्त सम्पत्ती का मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण नहीं रखा।
  - (ख) प्रबंधन द्वारा इन संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों को आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष के दौरान नमूना जांच के आधार पर भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है।
  - (ग) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है। बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार कंपनी का नाम (के लिए शीर्षक विलेख हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं हमारे आगे के सत्यापन।
  - (घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
  - (ङ) कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।
2. (क) प्रबंधन द्वारा प्रतिनियुक्त आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष के दौरान इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है और प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित नहीं है, जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि प्रत्येक श्रेणी की इन्वेंट्री के लिए कुल योग में 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई है और जहां भी कोई विसंगतियां देखी गई हैं, उन्हें खाते की पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया है।
  - (ख) किसी भी समय, कुल मिलाकर, पाँच करोड़ रुपये से अधिक की नई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।
3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है। देयता भागीदारी या कोई अन्य पार्टियां। उप-खंड (ए) से (एफ) कंपनी पर लागू नहीं है।
4. कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत परिभाषित ऋण, निवेश, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।
5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान जमाराशि स्वीकार नहीं की है, जैसा कि धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत परिभाषित किया गया है।
6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्दिष्ट किया गया है और हमारे ऐसे रिकॉर्ड में ऑडिट की तारीख तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कॉस्ट ऑडिट नहीं किया गया है।
7. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री सहित अविवादित वैधानिक जमा करने में नियमित रही है कर, बिक्री-कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और नीचे दिये गये को छोड़कर, उपयुक्त प्राधिकारियों को कोई अन्य सामाग्री बकाया। संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की

तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया वैधानिक बकाया। राशि की सूची :

अधिनियम का नाम/सांविधिक देय की प्रकृति	राशि (बकाया) ₹ लाख।
सीपीएफऋण	6480.73
स्वैच्छिक भविष्य निधि	4616.12
पीएफ नियोक्ता कंट्रीब्यूशन	1593.71
पीएफ कर्मचारी कंट्रीब्यूशन	2277.91
जल बकाया	5962.28
नगरपालिका कर	173.47
झारखंड प्रदूषण नियंत्रण	4.00
जीएसटी रिवर्स चार्ज कर बकाया	215.67
पेशेवर कर	7.36

- (ख) वैधानिक बकाया हैं, जो बकाया हैं, कुछ विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं 31 मार्च, 2023 तक जमा नहीं किये गये ऐसे विवादित बकाये का विवरण संलग्नक - "2ए"।
8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जो खाते की किताबों में या आयकर अधिनियम, 1961 (43) का दर्ज नहीं किया गया है।
9. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों और सरकार से ऋण या उधार लिया है लेकिन कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। सरकार से प्राप्त ऋण। भारत और उस पर देय ब्याज के साथ-साथ दंडात्मक ब्याज (₹ 12831.48 लाख) का कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा बैंक से उधार लेने में कोई चूक नहीं है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) से रु. 3500.00 लाख की राशि का अंतर कॉर्पोरेट ऋण लिया है, जिसका प्रारंभिक वितरण रु. 2000.00 लाख है। राशि का उपयोग कंपनी द्वारा विशेष रूप से विनिर्माण के लिए किया जाना है और एनसीएल द्वारा दिए जाने वाले आदेशों के विरुद्ध पुर्जों की आपूर्ति
- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- (ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।
- (च) कंपनी में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। सहयोगी कंपनियों आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है ने वर्ष के दौरान) आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।
10. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए खंड 3(x)(a) आदेश कंपनी पर लागू नहीं है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान ने कोई पसंदीदा आवंटन या निजी प्लेसमेंट या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन नहीं किया है और इसलिए खंड 3(xi)(b) आदेश कंपनी पर लागू नहीं है।

11. (क) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई वास्तविक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट लेखा परीक्षकों द्वारा फॉर्म एडीटी -4 में दायर नहीं की गई है, जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित है। केन्द्रीय सरकार।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
12. (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xii)(a) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xii)(b) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xii)(c) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
13. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पार्टी लेनदेनद्वारा आवश्यक लेखांकन मानकों स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है।
14. (क) जैसा की नोट 33.13 (एच) में बताया गया है, कंपनी ने कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियुक्त नहीं किया है।
- (ख) विचाराधीन अवधि के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट नहीं है।
15. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या इसके निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 192 के तहत कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
16. (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने नहीं किया है कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित की गई हों।
- (ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।
- (घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी वह समूह नहीं है जिसके समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सीआईसी हैं।
17. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा उठाया है।
18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
19. वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के लेखा परीक्षक का ज्ञान, भौतिक अनिश्चितता मौजूद है ऑडिट रिपोर्ट की तारीख कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर

आती हैं, जब तक कि व्यापार योजना भारी उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की जाती, भारत सरकार, स्वीकार और अनुमोदित है और कार्यशील पूंजी के लिए धन का संचार किया गया है।

20. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अलावा, कंपनी को छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में अव्ययित राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति का।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप-धारा (5) धारा 135 के तहत किसी भी चल रही परियोजना के तहत बची हुई कोई भी राशि, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की प्रावधान के उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के तहत स्थानांतरित नहीं किया गया है।

21. चूंकि, कंपनी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार कर रही है और यह स्वयं, इसकी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यमों या सहयोगियों का कोई समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं कर रही है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स



(सीए एस. के. वाधवा)

पार्टनर सदस्यता सं. - 074749  
फर्म पंजीयन सं. - 006271C  
UDIN: 23074749BGWWUR7990

तिथि: 15.09.2023  
स्थान: रांची

## लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक-3

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत अनुच्छेद 3 (एफ) के संदर्भ में है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की धारा 3 उप के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च, 2023 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर दिए गए मार्गदर्शन नोट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के वित्तीय घटकों के बारे में बताया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, सटीकता और पूर्णता कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लेखांकन रिकॉर्ड और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

### लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपने वित्तीय लेखा परीक्षा के ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार (भारत सरकार के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए 'गाइडेंस नोट') और कंपनियों की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करते हैं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की सामग्री के जोखिम के मूल्यांकन का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार



करने की अनुमति देने के लिए दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं। और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पता लगाने या उचित वित्तीय विवरणों पर सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलतियाँ हो सकती हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

### राय

हमारी राय में, हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के लिए और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी के पास सभी सामग्री मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से चल रहे थे। 31 मार्च, 2023, कंपनी के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताया गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, विषय इस संबंध में हमारी टिप्पणियों के लिए।

- (क) अग्रिमों के साथ-साथ पुस्तकों में पड़े दायित्व को समय पर समायोजित नहीं किया जा रहा है। बहुत पुरानी प्रगति और पुरानी देनदारियों को कंपनी की पुस्तकों में पूरी तरह से बिना किसी समीक्षा के पूरा किया जा रहा है। कुछ मामले में अग्रिम/देय का मूल तिथि मिल भी नहीं पा रहा है।
- (ख) कंपनी के पास लीज रेंटल के प्राप्य की उम्र-वार जानकारी नहीं है।
- (ग) प्रविष्टियों को पास करते समय निर्माता और चेकर की अवधारणा का पालन नहीं किया जा रहा है।
- (घ) टर्न कि परियोजना में सम्पत्ति एवं देनदारी का वर्गीकरण का सिद्धांत वर्तमान एवं अवर्तमान के रूप में उचित रूप से नहीं लिया जाता है।
- (च) प्रावधान की प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रावधान की राशि में इस वर्ष के दौरान काफी ऊपर और नीचे की ओर संशोधन किए गए थे जो दस्तावेज लेखा नीति और समर्थित दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसके अलावा, कुछ साल पहले अपनाई गई एक प्रथा का लगातार बिना किसी समीक्षा के पालन किया जा रहा है और वित्तीय पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जा रहा है।

ऊपर के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स



(सीए एस. के. वाधवा)

पार्टनर सदस्यता सं. - 074749

फर्म पंजीयन सं. - 006271C

UDIN: 23074749BGWWUR7990

तिथि: 15.09.2023

स्थान: रांची

## स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुबंध - 2A

(अनुबंध में उल्लिखित - 2 पैरा vii (स) 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत हमारी स्वतंत्र रिपोर्ट के अनुभाग को हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को उस तारीख के संदर्भ में)

कानून की प्रवृत्ति	फोरम, जहाँ लंबित है	लंबित अवधि जिससे राशि से संबंध है	राशि (लाख में)	राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
Value Added Tax Act, 2005 (VAT) Central Sales Tax (CST)			VAT	CST	Total
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2008-2009	10.78	10.35	21.13
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2009-2010	19.63	57.76	77.39
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2010-2011	92.41	137.18	229.59
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2011-2012	79.18	794.55	873.73
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2013-2014	397.75	16.02	413.77
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2014-2015	904.90	19.75	924.65
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2015-2016	124.91	57.88	182.79
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2016-2017	25.80	1806.23	1830.37
	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2017-2018	18.87	97.30	116.17
	<b>Total</b>		<b>1674.23</b>	<b>2997.02</b>	<b>4671.25</b>

Service Tax Act	Commissioner Appeal, Ranchi	2012-13 & 2013-14	Service Tax Act Rs. 221.05 Lakhs

Central Excise Act	CESTAT, Kolkata	2010-11 to 2014-15	Excise Duty Rs. 4272.25 Lakhs
	CESTAT, Kolkata	2015-16 to 2016-17	Rs. 1447.80 Lakhs

The Employees provident fund & Miscellaneous Provision Act, 1952	High Court of Jharkhand	Mar-1976 to Sep-1999	PF Dues Rs. 9501.54 Lakhs

Jharkhand Municipal Act, 2011	झारखण्ड उच्च न्यायालय ने मामले को खारिज कर अयुक्त पदाधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने का निर्देश दिया। एक पिटिशन 04.08.2021 को निदेशक, शहरी राज्य विकास प्राधिकार, राँची के यहाँ फाइल है।	2016-2017	Municipal Tax Dues Rs. 1686.77 Lakhs

PHED Govt. of Jharkhand	उद्योग सचिव, झारखण्ड सरकार के समक्ष सेटलमेंट	upto 2011-12	Rs. 418.04 Lakhs

अनुलग्नक- 'द'

## 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी मंतव्य व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण पर मानक के अनुरूप स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित होगा। ऐसा कहा गया है कि यह अंकेक्षण रिपोर्ट उनके द्वारा किया गया है, जो दिनांक 15 सितम्बर 2023 के उनकी ऑडिट रिपोर्ट को प्रतिस्थापित करता है।

हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष पर हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरे, कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6) (अ) के तहत पूरक अंकेक्षण कराया है। पूरक अंकेक्षण कार्य स्वतंत्र होकर निष्पादित किया गया है। जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक के दस्तावेजों का उपयोग नहीं किया गया और यह प्रारंभिक स्तर पर सांविधिक लेखा परीक्षक और कम्पनी कार्मिक के पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेख की चयन परीक्षण तक सीमित है।

हमारे पूरक अंकेक्षण के आधार पर कुछ भी महत्वपूर्ण मामला हमारे पास नहीं आया है जिस पर किसी प्रकार की टिप्पणीयाँ कंपनी अधिनियम की धारा 143(6) (b) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर पूरक टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं नियंत्रक एवं महालेखा  
परीक्षक की ओर से

  
(यू.एस. श्रव्साद)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (इस्पात)  
राँची

स्थान - राँची

दिनांक - 30.10.2023



**FORM NO. MGT 9**

EXTRACT OF ANNUAL RETURN AS ON THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2023

[Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014]

**1. REGISTRATION & OTHER DETAILS:**

i	CIN	U27100JH1958GOI000630
ii	Registration Date	31/12/1958
iii	Name of the Company	HEAVY ENGINERRING CORPORATION PRIVATE LIMITED
iv	Category/Sub-category of the Company	COMPANY LIMITED BY SHARE/GOVERNMENT COMPANY
v	Address of the Registered office and contact details	PLANT PLAZA ROAD, DHURWA, RANCHI - 834004
vi	Whether listed company	No
vii	Name, Address and Contact details of the Registrar and Transfer Agent, if any.	N.A

**2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY :**

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

SL. No	Name & Description of main products/services	NIC Code of the Product /service	% to total turnover of the company
1	Steel Plant Mining Equipments, Steel Casting, Forgings & Rolls	273	100

**3. PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES**

Sl. No	Name & Address of the Company	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
1	N.A				
2	N.A				
3	N.A				

SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Break up as percentage to Total Equity)

**i. Category – wise Share Holding**

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
<b>A. Promoters</b>									
<b>(1) Indian</b>									
a) Individual/HUF									
b) Central Govt.	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corporates									
e) Bank/FI									
f) Any other									
<b>SUB TOTAL : (A) (1)</b>	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0
<b>(2) Foreign</b>									
a) NRI- Individuals									
b) Other Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Banks/FI									
e) Any other									
<b>SUB TOTAL : (A) (2)</b>									
<b>Total Shareholding of Promoter</b>									
<b>(A)= (A)(1)+(A)(2)</b>	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0

<b>B. PUBLIC SHAREHOLDING</b>									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>(1) Institutions</b>									
a) Mutual Funds									
b) Banks/FI									
C) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Fund									
f) Insurance Companies									
g) FIIS									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
<b>SUB TOTAL (B)(1):</b>									
<b>(2) Non Institutions</b>									
a) Bodies Corporates									
i) Indian									
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs.1 lakhs									
ii) Individuals shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakhs									
c) Others (specify)									
<b>SUB TOTAL (B)(2):</b>									
<b>Total Public Shareholding (B)= (B)(1)+(B)(2)</b>									

<b>C. Shares held by Custodian for GDRs &amp; ADRs</b>									
<b>Grand Total (A+B+C)</b>	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0

**(ii) SHARE HOLDING OF PROMOTER**

Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		NO of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged encumbered to total shares	NO of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged encumbered to total shares	
1	<b>G.O.I</b>	6060788	100	0	6060788	100	0	0
	Total	6060788	100	0	6060788	100	0	0

**(iii) CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING ( SPECIFY IF THERE IS NO CHANGE) - N.A.**

Sl. No.		Share holding at the beginning of the Year		Cumulative Share holding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	6060788	100	6060788	100
2	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc)	0	0	0	0
3	At the end of the year	6060788	100	6060788	100

5. INDEBTEDNESS				
Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment				
				(Amt in Lakh)
	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
<b>Indebtness at the beginning of the financial year</b>				
i) Principal Amount	20364.40	4789.00		25153.40
ii) Interest due but not paid		6452.70		6452.70
iii) Interest accrued but not due		513.21		513.21
<b>Total (i+ii+iii)</b>	<b>20364.40</b>	<b>11754.91</b>		<b>32199.31</b>
<b>Change in Indebtedness during the financial year</b>				
Additions				
Reduction				
<b>Net Change</b>				
<b>Indebtedness at the end of the financial year</b>				
i) Principal Amount	17864.68	4789.00		22653.68
ii) Interest due but not paid		7529.27		7529.27
iii) Interest accrued but not due		513.21		513.21
<b>Total (i+ii+iii)</b>	<b>17864.68</b>	<b>12831.48</b>		<b>30696.16</b>

6 REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL					
A. Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:					
Sl.No	Particulars of Remuneration	Total Amount (Rs. Lakh)			
1	Gross salary	Arundati Panda	M.K. Saxena	Rana S. Chakravarty	
	(a) Salary as per Provisions contained in Section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	20.06	27.56	29.06	76.68
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961		1.28	1.28	2.56
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961				
2	Stock Option				
3	Sweat Equity				
4	Commission -as % of profit -Other, Specify				
5	Others, please specify-				
6	Total (A)	20.06	28.84	3.34	79.24
7	Ceiling As per the Act				

B Remuneration to other Directors:					
Sl.No	Particulars of Remuneration	Name of Director			Total Amount (Amt in Rs.)
	Independent Directors	Prabha Dubey	K. K. Naik	Ravindra Gole	
	(a) Fee for attending board committee meetings				
	(b) Commission	80000.00	30000.00	60000.00	170000.00
	(c) Others, please specify- Sitting Fees				
	<b>Total(i)</b>				
	<b>Other Non Executive Directors</b>				
	(a) Fee for attending board committee meetings				
	(b) Commission				
	(c) Others, please specify- Sitting Fees				
	<b>Total(ii)</b>				
	<b>TotalB = (i+ii)</b>				
	Total Managerial Remuneration				
	<b>Overall Ceiling as per the Act</b>				

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD					
Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total (Rs. Lakh)
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1	<b>Gross Salary</b>				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961.		17.71		
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961				
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961				
2	Stock Option				
3	Sweat Equity				
4	Commission				
	as % of profit				
	others, specify				
5	Others, please specify				
	<b>Total</b>				

**7. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES**


Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/Punishment/Compounding fees imposed	Authority (RD/NCLT/ Court)	Appeal made if any (give details)
<b>A. COMPANY</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
<b>B. DIRECTORS</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
<b>C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					


हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
 31 मार्च 2023 को तूलन पत्र


₹ लाख में


	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को	31.03.2022 को
<b>I. इक्विटी एवं देयताएँ</b>			
<b>1. शेयरधारक फंड</b>			
(अ) शेयर पूंजी	2	60607.88	60607.88
(ब) आरक्षित एवं अधिशेष	3	(168673.49)	(145014.57)
<b>2. शेयर उपयोग रकम</b>			
लंबित आवंटन		0.01	0.01
<b>3. गैर चालू देयताएँ</b>			
(अ) दीर्घकालीन उधारकर्ता	4	0.00	0.00
(ब) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	5	683.76	519.55
(स) दीर्घकालीन प्रावधान	6	6715.94	8442.76
<b>4. चालू देयताएँ</b>			
(अ) लघुकालीन उधारकर्ता	7	17864.68	20364.40
(ब) व्यवसाय देय			
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		677.80	821.44
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त ऋणदाता का कुल बकाया	8	13206.33	16644.69
(स) अन्य चालू देयताएं	9	111623.36	92077.82
(द) लघुकालीन प्रावधान	10	2123.86	2605.09
<b>कुल</b>		<b>44830.13</b>	<b>57069.07</b>
<b>II. परिसम्पत्तियाँ</b>			
<b>1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ</b>			
(अ) नियत परिसम्पत्तियाँ			
(i) सम्पत्ति, प्लांट एवं उपस्कार	11	3942.33	4506.25
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	12	0.00	0.00
(iii) पूंजीगत चालू कार्य	13	1989.86	1480.26
(ब) गैर चालू निवेश	14	0.36	0.36
(स) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	15	9.60	9.60
(द) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	16	0.00	0.00
<b>2. चालू परिसम्पत्तियाँ</b>			
(क) वस्तुसूचियाँ	17	10456.14	14968.10
(ख) व्यवसाय प्राप्ययोग्य	18	10110.07	19588.55
(ग) नकद एवं नकद समकक्ष	19	5288.48	5466.18
(घ) लघुकालीन ऋण एवं अग्रिम	20	10009.97	8016.59
(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	21	3023.32	3033.18
<b>कुल</b>		<b>44830.13</b>	<b>57069.07</b>

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1  
 वित्तीय विवरण का अन्य टिप्पणियाँ 33  
 टिप्पणी सं. 1 से 33 एवं कैश फ्लो विवरण, वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं।

  
 ए. के. कठ  
 कम्पनी सचिव

  
 सीएमए प्रवेश गाँधी  
 उपमहाप्रबंधक (ए & बी)

  
 सीएमए आर. के. द्विवेदी  
 निदेशक (वित्त)

  
 डॉ. नलिन सिंघल  
 अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट  
 कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स



(सीए एस. के. वाधवा)

पार्टनर सदस्यता सं. - 074749

फर्म पंजीयन सं. - 006271C

UDIN: 23074749BGWWUR7990

स्थान : राँची

दिनांक : 15.09.2023



हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
**लाभ एवं हानि ब्यौरे**  
 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

₹ लाख में

	टिप्पणी सं.	2022-23	2021-22
i. प्रचालन से राजस्व	22	9243.80	18772.90
ii. अन्य आय	23	6154.39	9574.31
<b>iii. कुल राजस्व</b>		<b>15398.19</b>	<b>28347.21</b>
<b>iv. व्यय</b>			
(क) सामग्री खपत लागत	24	1281.31	7410.97
(ख) समापन भंडार एवं प्रगतिशील कार्य के वस्तुसूची में परिवर्तन	25	3194.02	(1610.76)
(ग) कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	10674.53	12602.69
(घ) वित्तीय लागत	27	4256.27	3096.72
(ङ) मूल्य ह्रास, परिशोधन एवं हानिकारक	28	570.84	596.43
(च) अनुसंधान एवं विकास व्यय	29	64.18	70.95
(छ) अन्य व्यय			
(i) निर्माण सेवा व्यय	30 (I)	3300.04	3747.01
(ii) निर्माण एवं अन्य परिचालन व्यय	30 (II)	6900.76	9580.80
(iii) प्रशासन, विक्री एवं वितरण व्यय	30 (III)	7791.66	11686.18
(iv) अन्य प्रावधान व्यय एवं ह्रास	30 (IV)	2426.81	6765.62
<b>कुल व्यय</b>		<b>40460.42</b>	<b>53946.61</b>
पूर्व अवधि, अपवादित एवं असाधारण आइटम के पूर्व लाभ/हानि		(25062.23)	(25599.40)
पूर्व अवधि संमंजन (निवल)	31	(47.51)	(7.79)
<b>v. अपवादिक, असाधारण आइटम एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)</b>		<b>(25109.74)</b>	<b>(25607.19)</b>
vi. अपवादिक आइटम			
vii. असाधारण आइटम एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		(25109.74)	25607.19
viii. असाधारण आइटम	32	2025.15	0.00
<b>ix. कर पूर्व लाभ (हानि) (VII-VIII)</b>		<b>(23084.59)</b>	<b>(25607.19)</b>
<b>x. कर व्यय</b>			
(i) चालू कर		0.00	0.00
(ii) आस्थगित कर		0.00	0.00
<b>xi. सतत प्रचालन के अवधि से लाभ/(हानि) (IX-X)</b>		<b>(23084.59)</b>	<b>(25607.19)</b>
xii. विच्छिन्न प्रचालन से लाभ/(हानि)		0.00	0.00
xiii. विच्छिन्न प्रचालन से कर व्यय		0.00	0.00
<b>xiv. विच्छिन्न प्रचालन के अवधि से लाभ/(हानि) (XII-XIII)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
अवधि के लिए लाभ (हानि) (XI+XIV)		(23084.59)	(25607.19)
प्रति शेयर उपार्जन (अंकित मूल्य रु. 1000) (1) रु. में मूल		(380.88)	(422.51)
(2) रु. में कमी		(380.88)	(422.51)

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1  
 वित्तीय विवरण के अन्या टिप्पणियाँ 33  
 टिप्पणी सं. 1 से 33 कैंस पलो विवरण, वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है।

ए. के. कंट  
कम्पनी सचिव

सीएमए राजेश गाँधी  
उपमहाप्रबंधक (ए & बी)

सीएमए आर. के. द्विवेदी  
निदेशक (वित्त)

डॉ. नलिन सिंघल  
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट  
 कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

स्थान : राँची  
 दिनांक : 15.09.2023

(सीए एस. के. वाधवा)  
 पार्टनर सदस्यता सं. - 074749  
 फर्म पंजीयन सं. - 006271C  
 UDIN: 23074749BGWWUR7990

## हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

**अप्रैल 2022-मार्च 2023 के तुलन पत्र पर संलग्न कौश फलों विवरण**

₹ लाख में

	2022-23		2021-22	
<b>(अ) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>				
कर से पहले शुद्ध लाभ	(25109.74)		(25607.19)	
अतिरिक्त सामान्य मदों के लिए समायोजन	2025.15	(23084.59)	0.00	(25607.19)
मूल्यह्रास	570.84		596.46	
ब्याज व्यय	4256.27		3096.72	
अतिरिक्त सामान्य मदें	(2025.15)		0.00	
पट्टा आय	(574.33)		(574.33)	
अर्जित ब्याज	(90.84)		(44.05)	
दीर्घावधि प्रावधान	(1726.82)		(424.14)	
अल्पावधि प्रावधान	481.23	(71.26)	488.41	3139.07
<b>कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ के लिए समायोजन</b>		(23155.85)		(22468.12)
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य (शुद्ध)	0.00		104.36	
लघु सावधि व्यापार प्राप्य (शुद्ध)	9478.48		3752.60	
किराया और अन्य प्राप्य (शुद्ध)	9.86		1271.45	
माल (शुद्ध)	4511.96		(486.87)	
व्यापार देय	(3582.00)		3161.87	
अन्य दीर्घकालिक देयताएं	164.21		0.00	
अन्य वर्तमान देनदारियां	19545.54		19805.98	
लघु अवधि के ऋण और अग्रिम (शुद्ध)	(1993.38)	28134.67	(895.08)	26714.31
संचालन से उत्पन्न नकद		4978.82		4246.19
शुद्ध परिचालन गतिविधियों से		4978.82		4246.19
<b>(ब) नकद निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>				
अचल संपत्तियों की खरीद अचल संपत्तियों की विक्री/समायोजन	(7.86)		(206.50)	
संचित मूल्यह्रास	0.94		0.64	
में समायोजन पूंजी कार्य-प्रगति में समायोजन (शुद्ध)	0.00		(1.55)	
अर्जित ब्याज	(509.60)		(911.75)	
लीज आय	90.84		44.05	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	574.33	(148.65)	574.33	(500.78)

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
अप्रैल 2022-मार्च 2023 के तुलन पत्र पर संलग्न कैश फ्लो विवरण

₹ लाख में

	2022-23	2021-22
(स) नकदी प्रवाह से गतिविधियां		
ब्याज भुगतान	(4256.27)	(3096.72)
असाधारण मदें	2025.15	0.00
बैंक उधार	(2499.72)	(33.68)
रिजर्व और अधिशेष	(574.33)	(574.33)
शुद्ध नकदी वित्तीय गतिविधियों	<u>(5305.17)</u>	<u>(3704.73)</u>
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी)		
नकद और नकद समकक्षों	<u>(177.70)</u>	<u>40.68</u>
नकद और नकद समकक्ष का प्रारंभिक शेष	5466.18	5425.50
नकद और नकद समकक्ष का समापन शेष	<u>5288.48</u>	<u>5466.18</u>
	<b><u>(177.70)</u></b>	<b><u>40.68</u></b>

टिप्पणी : उपर्युक्त कैशफ्लो विवरण लेखा मानक - 3 के अन्तर्गत परोक्ष रूप से तैयार किया गया है।



ए. के. कंट  
कम्पनी सचिव



सीएमए राजेश गाँधी  
उपमहाप्रबंधक (ए & बी)



सीएमए आर. के. द्विवेदी  
निदेशक (वित्त)



डॉ. नलिन सिंघल  
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट  
कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स



(सीएमए आर. के. वाधवा)

पार्टनर सदस्यता सं. - 074749

फर्म पंजीयन सं. - 006271C

UDIN: 23074749BGWWUR7990

स्थान : राँची

दिनांक : 15.09.2023

## कॉर्पोरेट सूचनाएं

एच.ई.सी. एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है  
एच.ई.सी. कैपिटल गुडस के निर्माण में लगी हुई है

### टिप्पणी संख्या -1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरण सुनाम संस्थान के सदृश्य पुरानी लागत प्रथा एवं लेखाकरण जमा प्रणाली के अनुसार तैयार किये गये हैं, जो सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्त के अनुरूप है।

ये सब वित्तीय विवरण लेखा मानक द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधान को अनुपालन करने हेतु तैयार किया गया है।

### 2 अचल परिसम्पत्तियां

अचल परिसम्पत्तियां (राज्य सरकार से प्राप्त निःशुल्क भूमि को छोड़कर) अर्जन लागत या संचित अवमूल्यन रहित निर्माण के आधार पर उल्लिखित है। राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त भूमि का मूल्य रु. 1/- प्रति एकड़ है।

### 3 वस्तुसूची मूल्य

(क) वस्तुसूची का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित लागत शुद्ध प्राप्य कीमत इनमें से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

(ख) तैयार माल एवं चालू कार्य का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित कारखाना लागत या शुद्ध कीमत, इनमें से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

(ग) कच्चे माल, उपस्कर, फुटकर औजार, स्टोर्स एवं स्पेयर्स का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

(घ) आइटम जो सामान्यतया अन्तर परिवर्तनीय तथा जो उत्पादित माल या सेवाएं विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पृथक किये गये हैं, का मूल्यन वैयक्तिक लागत की विशिष्ट पहचान पर किया जाता है।

(ङ) अस्वीकृत एवं रद्दी मालों का मूल्यन समापन खाता दर पर होता है, जहाँ कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है।

(च) उप उत्पादों का मूल्यन बाजार दर पर होता है।

(छ) चालू कार्य के पूरा करने का प्रतिशत अर्थात्

चालू कार्य के समापन का स्तर तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर शॉप प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

(ज) शॉप में निर्गत फुटकर औजारों, रेखांकन औजारों आदि को तकनीकी आधार पर बट्टे में डालकर वस्तु सूची में दिखाया गया है अर्थात् साधारण औजारों को 4 वर्षों में एवं अन्य औजारों को दस वर्षों में, मोल्ड्स को नौ वर्षों में एवं अन्य औजारों को अनुमानित जीवन के आधार पर बट्टे में डाल कर वस्तु सूची में रखा गया है। पैटर्न की कीमत उसके निर्गत वर्ष में दर्शायी जाती है। उन वस्तुओं का केवल मात्रात्मक अभिलेख शॉप स्तर पर जहाँ व्यावहारिक है, रखा जाता है।

### 4 राजस्व पहचान

(क) जब महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व का लाभ ग्राहकों के पास अंतरण होता है जो बिक्री रिकॉर्ड की जाती है। दीर्घकालीन संविदाओं के लिए आंशिक आपूर्तियां जिनके जी.एस.टी. बिल दिए गये हैं, उनका मूल्यन संविदा मूल्य या प्रावधानिक मूल्य पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ख) संविदा पर वृद्धि युक्तियां ढंग से सुनिश्चित कर प्रासंगिक संविदा की शर्तों के अनुरूप लेखाबद्ध किया गया है, जिसकी सम्पुष्टि/स्वीकृति ग्राहकों द्वारा होती है।

(ग) संविदा के प्रावधान या ग्राहकों द्वारा साक्ष्य स्वीकृति के बाद विभिन्नताओं को लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) बिक्री को जी.एस.टी. छोड़कर लेखाबद्ध किया गया है।

### 5 दीर्घकालीन टर्न की संविदाएं

(क) राजस्व पहचान कार्य समापन की प्रतिशतता विधि आधारित संविदा की कुल प्राक्कलित लागत में प्रतिवेदित तिथि तक वास्तविक लागत खर्च के प्रतिशत के आधार पर राजस्व की पहचान की गई है।

उपस्कर/पद्धति के सप्लाई/इरेक्शन तथा सिविल कार्य से आम ग्राहकों को प्रेषण एवं प्रोजेक्ट साइट पर निष्पादित कार्य के आधार पर पहचान की गई।

(ख) अपूर्ण/आंशिक निष्पादित/ग्राहकों द्वारा मापी नहीं कार्य के लिए राजस्व पहचान:

वर्ष के अंत में निष्पादित कार्य, परन्तु मापी नहीं/आंशिक निष्पादित/अपूर्ण कार्य प्रोजेक्ट साइट पर कार्यरत एच.ई.सी. अभियंता और राजस्व पहचान के प्रयोजनार्थ हेतु ग्राहकों के प्रमाण पत्र के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ग) चालू कार्य का मूल्यन

संविदा कार्य के प्रमाणित मूल्य की सीमा तक वर्षानुवर्ष चालू कार्य पर की गई वृद्धि समेत व्यय को संबंधित संविदा के अन्तर्गत बिक्री में दिखाई गई राशि को घटाने के बाद चालू कार्य में लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) हानि के लिए आवश्यक प्रावधान यदि कोई, कार्य निष्पादित होने पर किया गया है।

## 6. वारंटी प्रावधान

बिक्री पर 0.5 प्रतिशत का प्रावधान संविदात्मक बाध्यताएं/ वारंटी के तहत देयता के लिए किया गया है। वारंटी व्यय को आय में पुनःलिखित हेतु एक वर्ष बाद में प्रावधान होगा। वारंटी/संविदात्मक बाध्यता के आधार पर व्यय जिसे भार ग्रहण के वर्षों में स्वाभाविक शीर्षों के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया है।

## 7. कर्मचारी हित लाभ

- दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ, कर्मचारी की सेवा प्रारंभ करने की तिथि से बारह महीने के उपरांत देय अस्वस्थता अवकाश एवं सेवा निवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्यूटी, सेवा निवृत्त यात्रा भत्ता और अवकाश नगदीकरण की गणना वार्षिक तीसरी पार्टी बीमांकित मूल्यन के आधार पर योजनागत यूनिट क्रेडिट प्रक्रिया के द्वारा छूट देकर की गई है एवं अवकाश यात्रा भत्ता (पात्र कर्मचारी हेतु) की गणना प्राक्कलित आधार पर की गई है।
- दीर्घकालीन कर्मचारी हित लाभ, तुलन पत्र में पहचान की गई है जो दायित्व को वर्तमान

मूल्य प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि अचिन्हित विगत सेवा कीमत के लिए समायोजित किया गया है यदि कोई हो, योजनागत परिसम्पत्ति के उचित मूल्य द्वारा कमी के अनुरूप जहाँ लागू है तथा बीमांकित लाभ/हानि, लाभ और हानि लेखा में एक सीमा तक पहचान की गई है।

बीमांकित लाभ एवं हानि को संक्रमण दायित्व के अचिन्हित भाग से अधिक की सीमा तक लाभ और हानि लेखा में पहचान की गई है।

- दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के संबंध में संक्रमण दायित्व को पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक सीधी पंक्ति आधारित व्यय के रूप पहचान की गई।
- उपदान (ग्रेच्यूटी) और नगदीकरण अवकाश की व्यवस्था तुलन पत्र तिथि के आंकड़ों के आधार पर बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

## 8. मूल्य हास

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में उपबंधित दर के अनुसार सीधी रेखा विधि के आधार पर अचल सम्पत्ति पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है, तथा वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति में वृद्धि/कटौती के संबंध में यथानुपात मासिक आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है। जहाँ प्लांट एवं मशीनरी तथा प्लांट बिल्डिंग की नींव के लागत ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्लांट बिल्डिंग पर चालू दर से अवमूल्यन प्रभारित है।

## 9. विविध देनदार

- (अ) इसमें से बिल शामिल है जिनका मूल्य निर्धारण लंबित होने तथा ग्राहकों से औपचारिक आदेश न होने के कारण बिल अन्तिम दर पर दिये गये हैं, जिनके प्रासंगिक संविदा के लिए प्राप्त अग्रिम/प्रगति अदायगी के यथानुपात आधार पर समंजन के उपरांत बिल नहीं बनाये गये हैं।
- (ब) यह प्रावधान नियत तारीख से 3 वर्ष से अधिक के बकाया देनदार के खिलाफ किया गया है।

## 10. सहायता अनुदान

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को इसी मद में खर्च किया गया।

सहायकता अनुदान के अव्यचित शेष राशि चालू देयता के शीर्षाधीन बाद के लिए अग्रणीत किया गया। अन्य राजस्व के लिए प्राप्त अनुदान को तत्संबंधित वर्षों में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया है।

### 11. निवेश

एक वर्ष से अधिक समय के लिए किये गये/किये जाने वाले अर्थात् दीर्घकालीन निवेश का मूल्यन लागत में से मूल्य की गिरावट (अस्थिर गिरावट को छोड़कर) को घटा कर किया जाता है, जबकि चालू अद्धृत निवेश का मूल्यन कम कीमत या बाजार मूल्य पर किया जाता है।

### 12. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित मुख्य व्यय भार ग्रहण करने के वर्ष में लाभ एवं हानि लेखा के अन्तर्गत प्रभारित किया गया है। अनुसंधान एवं विकास संबंधी अचल परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय का प्रतिपादन अन्य अचल परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय के अनुरूप ही किया जाता है। ऐसी अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्य हास अन्य अनुसंधान एवं विकास व्यय के साथ दर्शाया गया है।

### 13. विदेशी मुद्रा लेन-देन

आस्थगित उधार अदायगी समेत विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित मौद्रिक परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तुलनपत्र तिथि के अनुसार बकाया शेष का वर्षांत की दर पर परिवर्तित किया गया है। वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तथा प्राप्य लाभ और विदेशी मुद्रा के लेन-देन में हानि के परिवर्तन में अंतर को अचल सम्पत्ति के अर्जन से संबंधित जो अचल सम्पत्ति की लागत में समंजन किये गये हैं, जो छोड़कर लाभ एवं हानि लेखा में लेखाबद्ध किया गया है।

### 14. एच.ई.सी. बिल से कंपनी द्वारा/कंपनी के खिलाफ/ ग्राहकों से घटाया/वसूली परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) या एचइसी द्वारा घटाया/वसूली परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) ग्राहकों के बिल पर

(क) संविदाओं के अनुसार विशेष परिनिर्धारित नुकसानी को अभिनिश्चयन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है तथा विशेष नुकसानी के मामलों व कंपनी द्वारा विवादित दावों के युक्ति संगत प्राक्कलन के आधार पर कंपनी

द्वारा प्रावधान किया गया है।

- (ख) प्राप्त की गई परिनिर्धारित नुकसानी को वर्ष में वसूली के तीन साल के बाद आय के रूप में पहचान की गई है।
- (ग) ग्राहकों द्वारा कटौती एल डी को वर्ष में व्यय हेतु पहचान की गई है।
- (घ) निर्यात प्रोत्साहनों, रेलवे एवं बीमा दावे, विविध निपटान योग्य सामग्रियों तथा विशेष स्क्रैपों की बिक्री उत्पाद एवं सीमा शुल्क की वापसी तथा अन्य सदृश्य मदों से प्राप्त आय को राशि के अभिनिश्चयन तथा उनका प्राप्य/दावा की निश्चितता के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

### 15. अन्तर प्लांट लागत आवंटन

निम्नांकित व्यय निम्नवत वर्णित आधार पर विभिन्न प्लांटों में आवंटित किये गये हैं।

- (अ) मुख्यालय व्यय (निवल) : प्रत्येक प्लांट के बजटीय उत्पादन
- (ब) टाउनशिप (निवल) : प्रत्येक प्लांट के आवंटित आवास की संख्या
- (स) ब्याज : पूर्ववर्ती वर्ष में प्रत्येक प्लांट द्वारा वास्तविक राशि का उपयोग
- (द) के.ओ.सु.बल व्यय : प्रत्येक प्लांट में के.ओ.सु. बल के कार्मिक की प्रतिनियुक्ति।

### 16. वस्तु सूची

भंडार के अचल वस्तुसूची का विश्लेषण समय-समय पर किया गया है। प्रत्यक्ष सत्यापन में अधिशेष सामग्री को या तो निपटान कर दिया गया है या उसके वैकल्पिक उपयोग के लिए समीक्षा की गई है। यदि कोई हानि हो तो निश्चित होने पर लेखाबद्ध किया गया है। यद्यपि कि अचल आइटम तीन वर्षों से अधिक का है, अधिकतम प्रावधान यदि आवश्यक हो, तो वस्तुसूची की कीमत के 90 प्रतिशत तक सीमित होगा।

### 17. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय जो प्रत्येक मामले में रुपये एक लाख से अधिक नहीं है को चालु वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है एवं खातों के प्राकृतिक शिर्षों को प्रभावित करता है।

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2023	31.03.2022
<b>टिप्पणी संख्या -2</b>	<b>शेयर पूंजी</b>	
अधिकृत पूंजी		
10000000 (विगत वर्ष 10000000) इक्विटी शेयर प्रत्येक रु.1000/-	100000.00	100000.00
निर्गत एवं अभिदत्त पूंजी		
60,60,788 (विगत वर्ष 60,60,788) इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 1000/-		
के पूर्णतः भुगतान किए गए, जिसमें 5496		
(विगत वर्ष 5496) शेयर के मूल्य नकद में		
न प्राप्त होकर अन्य रूप में प्राप्त हुए।	60607.88	60607.88
<b>निबल शेष</b>	<b>60607.88</b>	<b>60607.88</b>

प्रमोटर का शेयरहोल्डिंग			
वर्ष समाप्ति पर प्रमोटर के पास शेयर			वर्ष के दौरान % बदलाव
प्रमोटर नाम	शेयर की संख्या	होल्डिंग %	
भारत के राष्ट्रपति	6060788	100%	.....

<b>टिप्पणी संख्या -3</b>	<b>आरक्षित एवं अधिशेष</b>			
पूंजी आरक्षित				
प्रारंभिक अधिशेष	7839.31		8413.64	
वर्ष के दौरान योग	0.00		0.00	
	7839.31		8413.64	
वर्ष के दौरान कटौती	574.33	7264.98	574.33	7839.31
सरप्लस				
प्रारंभिक अधिशेष	(152853.88)		(127246.69)	
वर्ष के दौरान योग	(23084.59)	(175938.74)	(25607.19)	(152853.88)
<b>योग</b>	<b>(168673.49)</b>		<b>(145014.57)</b>	

<b>टिप्पणी संख्या -4</b>	<b>दीर्घकालीन उधार</b>			
टर्म ऋण				
		0.00		0.00
<b>योग</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

<b>टिप्पणी संख्या -5</b>	<b>अन्य दीर्घकालीन देयताएँ</b>			
(a) व्यापार देय				
विविध देनदार		343.03		306.95
(a) अन्य				
ठेकेदार से प्रतिभूति एवं अन्य जमा		327.05		198.92
अन्य देयताएँ		13.68		13.68
<b>योग</b>		<b>683.76</b>		<b>519.55</b>

### टिप्पणी संख्या- 5 (a) व्यापार देय अवधि वृद्धि अनुसूची

विवरण	31.03.2023				
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य	37.23	304.84	0.44	0.52	343.03
(iii) विवादित बकाया-एमएमएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया - अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश**

₹ लाख में

31.03.2023

31.03.2022

**टिप्पणी संख्या- 5 (a) व्यापार देय अवधि वृद्धि अनुसूची**

विवरण	31.03.2022				
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य	305.99	0.44	0.52	0.00	306.95
(iii) विवादित बकाया-एमएमएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया - अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**टिप्पणी -6**
**दीर्घकालीन व्यवस्थाएँ**
**(अ) कर्मचारियों के लाभ हेतु व्यवस्था**

उपदान हेतु व्यवस्था	5250.85	5571.76
छुट्टी नकदीकरण के लिए व्यवस्था	1234.42	2632.57
छुट्टी यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	35.35	53.44
	<u>6520.62</u>	<u>8257.77</u>

**(ब) अन्य**

विकृत परिसम्पत्तियों हेतु व्यवस्था	62.38	62.38
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	132.94	122.61
	<u>195.32</u>	<u>184.99</u>
<b>योग</b>	<b>6715.94</b>	<b>8442.76</b>

**टिप्पणी -7**
**अल्पकालीन ऋण**

प्रतिभूत ऋण		
कार्यशील पूंजी हेतु बैंक से ऋण (कच्चा माल, तैयार माल, चालू कार्य, भंडार और अतिरिक्त पूर्ण एवं खाता ऋण के हाइपोथिकेशन से प्रतिभूत)	17864.68	20364.40
MCLR के उपर ब्याज दर @8.10 बैंक में प्रस्तुत चालू सम्पत्ती का विवरण समान्यतः लेखा खाता के साथ समझौते में होता है।		
<b>योग</b>	<b>17864.68</b>	<b>20364.40</b>

**टिप्पणी संख्या -8**
**व्यवसाय देय**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदार का कुल बकाया	11025.66	15098.41
माध्यम उद्यमों का कुल बकाया	2180.67	1546.28
<b>योग</b>	<b>13206.33</b>	<b>16644.69</b>

**टिप्पणी संख्या- 8 (a) व्यापार देय अवधि वृद्धि अनुसूची**

विवरण	31.03.2023				
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	1299.97	259.64	427.62	871.24	2858.47
(ii) अन्य	303.52	1724.79	924.10	8073.25	11025.66

**टिप्पणी संख्या- 8 (b) व्यापार देय अवधि वृद्धि अनुसूची**

विवरण	31.03.2022				
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	1638.61	317.14	69.59	342.38	2367.72
(ii) अन्य	5152.49	1165.17	1591.88	7188.87	15098.41



## तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2023	31.03.2022
<b>टिप्पणी संख्या -9</b>	<b>अन्य चालू देयताएँ</b>	
कर्मचारियों के देयताएँ*	25159.40	16532.18
स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना दायित्व	1.36	1.36
भारत सरकार से ऋण*	4789.00	4789.00
जोड़े : प्राप्त ब्याज एवं सरकारी ऋण पर देय	<u>8042.48</u>	<u>6965.91</u>
सरकारी अनुदान (अनयूटीलाइज्ड)		
कर भुगतान हेतु भारत सरकार से प्राप्त किए	18243.00	18243.00
घटाये : पूंजी लाभ कर के विरुद्ध चार्ज (13-14)	9245.61	9245.61
घटाये : पूंजी लाभ कर के विरुद्ध चार्ज (17-18)	6200.00	6200.00
घटाये : अग्रिम कर शेष	2054.39	2054.39
जोड़े : ब्याज आय	<u>2636.24</u>	<u>2505.49</u>
सीईएफसी देनदारी	272.64	272.64
ठेकेदारों से प्रतिभूति एवं अन्य जमा राशि	4142.66	5657.75
अनुसूचित बैंकों के साथ ओवर ड्राफ्ट खाता	0.00	4.42
सरकारी अनुदान से प्राप्त रकम 5 cum एक्सकेवेटर	500.00	500.00
सीआइएसएफ बकाया ब्याज सहित	15995.44	12179.04
विद्युत बकाया	18639.68	15356.08
जल कर बकाया	5962.28	5233.97
सीपीएफ ब्याज	1994.02	752.40
ग्राहकों से अग्रिम	12759.87	12848.53
अन्य देयताएँ	88.44	317.47
सुरक्षा खर्च की देनदारी	357.12	300.45
देय कर	372.99	1758.79
कार्य अनुबंध	7699.57	4372.07
ईईएसएल देनदारी	691.37	412.07
विविध	775.80	575.20
<b>योग</b>	<b><u>111623.36</u></b>	<b><u>92077.82</u></b>

\*यह ग्रेच्युटी पर ब्याज बकाया रु.1032.66 लाख शामिल करता है। \*\*भुगतान के लिए परिपक्व सरकारी ऋण

### टिप्पणी संख्या -10

### अल्पकालीन व्यवस्थाएँ

(अ) <u>कर्मचारियों के हित लाभ हेतु व्यवस्था</u>		
उपदान के लिए व्यवस्था	751.26	1003.46
छुट्टी नकदीकरण के लिए व्यवस्था	941.55	1048.48
निवृति यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	23.98	6.44
छुट्टी यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	136.16	187.66
कर्मचारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण की व्यवस्था	<u>123.89</u>	<u>123.89</u>
(ब) <u>अन्य</u>		
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	147.02	235.18
<b>योग</b>	<b><u>2123.86</u></b>	<b><u>2605.09</u></b>

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

टिप्पणी संख्या -11

सम्पत्ति, प्लांट एवं उपस्कर

परिसम्पत्तियों के स्वरूप	कुल खंड				मूल्य ह्रास				निबल खंड	
	01.04.22 को लागत	योग / समंजन	कटौती / समंजन	31.03.23 को लागत	31.03.22 को	वर्ष के लिए	योग / (कटौती)	31.03.23 तक	31.03.23 को	31.03.22 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भूमि (भूमि विकास सहित)	219.82	0.00	0.94	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	218.88	219.82
भवन	5838.91	0.00	0.00	5838.91	5407.78	44.40	0.00	5452.18	386.73	431.13
सड़कें	266.17	0.00	0.00	266.17	252.90	0.00	0.00	252.90	13.27	13.27
प्लांट एवं मशीनरी	27797.83	0.00	0.00	27797.83	24781.43	434.48	0.00	25215.91	2581.92	3016.40
फर्नीचर एवं उपस्कर	166.76	0.00	0.00	166.76	132.16	3.75	0.00	135.91	30.85	34.60
मोटर गाड़ी	147.73	0.00	0.00	147.73	136.35	0.80	0.00	137.15	10.58	11.38
रेलवे पथिकाएँ	469.39	0.00	0.00	469.39	445.16	0.78	0.00	445.94	23.45	24.23
कार्यालय उपस्कर	233.00	0.00	0.00	233.00	203.65	10.68	0.00	214.33	18.67	29.35
कम्प्यूटर एवं डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	733.40	5.95	0.00	739.35	558.73	53.21	0.00	611.94	127.41	174.67
विद्युत संस्थापनाएँ एवं उपस्कर	841.64	1.91	0.00	843.55	705.84	17.46	0.00	723.30	120.25	135.80
पाइपलाइन एवं सल्यूसेस	605.56	0.00	0.00	605.56	564.78	2.17	0.00	566.95	38.61	40.78
अन्य परिसम्पत्तियाँ (अ) के लघु योग	37320.21	7.86	0.94	37327.13	33188.78	567.73	0.00	33756.51	3570.62	4131.43
लीज में दिए गए परिसम्पत्तियाँ										
भूमि (भूमि विकास सहित)	22.32	0.00	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.32	22.32
भवन	807.08	0.00	0.00	807.08	531.43	0.00	0.00	531.43	275.65	275.65
<b>अन्य परिसम्पत्तियाँ (ब) के लघु योग</b>	<b>829.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829.40</b>	<b>531.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531.43</b>	<b>297.97</b>	<b>297.97</b>
सम्पूर्ण परिसम्पत्तियाँ										
31.03.2023 को प्लांट एवं मशीनरी	1014.39	0.00	0.00	1014.39	952.04	0.00	0.00	952.04	62.35	62.35
2022-23 के दौरान प्लांट एवं मशीनरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण परिसम्पत्तियाँ (स) के लघु-योग	1014.39	0.00	0.00	1014.39	952.04	0.00	0.00	952.04	62.35	62.35
कुल योग टेन्जीबल स्थायी परिसम्पत्तियाँ (अ+ब+स)	39164.00	7.86	0.94	39170.92	34762.25	567.73	0.00	35239.98	3930.94	4491.75
<b>B. अमूर्त संपत्ति</b>										
कंप्यूटर सॉफ्ट वेयर	15.54	0.00	0.00	15.54	1.04	3.11	0.00	4.15	11.39	14.50
कुल - अमूर्त संपत्ति (B)	15.54	0.00	0.00	15.54	1.04	3.11	0.00	4.15	11.39	14.50
कुल - (A+B)	39179.54	7.86	0.94	39186.46	34673.29	570.84	0.00	35244.13	3942.33	4506.25
विगत वर्ष के आंकड़े	38973.67	206.50	0.64	39179.53	34078.38	597.06	2.16	34673.28	4506.25	

चालू अवधि मूल्यह्रास

570.84

कुल ह्रास

570.84

\*खाली जमीन का औसत सर्कल मूल्य रूपये 1120/- लाख प्रति एकड़, मूल्य 4538688.00/- लाख है।

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

टिप्पणी :- जमीन की स्थिती	एकड़
(क) झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित जमीन	2342.03
(ख) सी.आई.एस.एफ. को हस्तांतरित जमीन	158.00
(ग) स्मार्ट सिटी के लिए झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित जमीन	647.08
(घ) अतिक्रमण जमीन	73.05
(ङ) लीज में दिए गए जमीन	313.31
(च) अपने यूज के लिए जमीन	3666.04
मूल डिड (बिलेख) के अनुसार कुल जमीन	<u>7199.51</u>

### टिप्पणी संख्या -12

### विकाशाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

अमूर्त परिसम्पत्तियां विकासाधीनी

कुल

0.00

0.00

### टिप्पणी संख्या -13

### पूंजीगत चालू कार्य

### पूंजीगत चालू कार्य

प्लांट एवं मशीनरी

4128.93

3619.30

घटाये : व्यवस्था

2139.04

2139.04

योग-

1989.86

1480.26

### नोट संख्या - 13 (अ) कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस एजिंग शेड्यूल

सीडब्ल्यूआईपी	31.03.2023 तक				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं	509.60	1268.63	0.00	211.63	1989.86
अस्थायी रूप से परियोजनाएं निलंबित	0.00	0.00	572.85	1566.19	2139.04

### नोट संख्या 13 (बी) 31.03.23 को

सीडब्ल्यूआईपी	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
2 भट्टी (एफएफपी)	0.00	211.63	0.00	0.00
6000 टन प्रेस (एफएफपी) का	0.00	1778.23	0.00	0.00

### नोट संख्या - 13 (अ) कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस एजिंग शेड्यूल

सीडब्ल्यूआईपी	31.03.2022 तक				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं	1268.63	0.00	0.00	211.63	1480.26
अस्थायी रूप से परियोजनाएं निलंबित	0.00	572.85	0.00	1566.19	2139.04

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

नोट संख्या 13 (बी) पूंजीगत कार्य-प्रगति समापन अनुसूची 31.03.22 तक पूरा किया जाना है।

	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
2 भट्टी (एफएफपी)	0.00	211.63	0.00	0.00
6000 टन प्रेस (पीपीएफ) का नवीनीकरण	0.00	1268.63	0.00	0.00

परियोजना का विवरण जहां गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
एससीएच संख्या : 01405.2 दुकान का आधुनिकीकरण (एफएफपी)	58.24	58.24
एससीएच संख्या : 11805.1 सॉफ्टवेयर (एफएफपी)	50.91	50.91
संख्या : 11102.1 सीईटीपी (एफएफपी)	210.93	210.93
प्रौद्योगिकी विकास - Cniitmash (FFP)	572.81	572.81
SCH No. : 11408-1 CEN.Cylinder / 6000T (FFP)	59.79	59.79
विविध आइटम (FFP)	15.58	15.58
SCH No. : 71210-1 रोलर टेबल (FFP)	107.18	107.18
SCH No. : 71311-4 इलेक्ट्रो हाईड्रो (IFFP)	303.71	303.71
प्लेट स्ट्रेटनिंग (HMBP)	31.51	31.51
वेल्डिंग रोटेटर (HMBP)	0.86	0.86
30/5T Crane (HMBP)	5.79	5.79
मशीन नंबर SR 125 (HMBP) के लिए फाउंडेशन	3.16	3.16
रेडियो नियंत्रण प्रणाली	5.20	5.20
सीएनसी लेथ	140.00	140.00
सीएनसी लेथ मॉडल LRT -65N/5M 020 शॉप को फाउंडेशन	0.52	0.52
OKBM (तकनीकी ऑडिट पर सेवाएं प्रदान करना) (HMBP)	572.85	572.85
कुल	2139.04	2139.04

### टिप्पणी संख्या -14

#### इक्विटी उपकरण में निवेश

(व्यापार निवेशों के अलावा) अनुदघृत 3575 (विगत वर्ष 3575)

ई.पी.आई.लि. के इक्विटी शेयर जिसका अंकित

मूल्य रु. 10.00 प्रति शेयर है।

### गैर-चालू निवेश

	0.36	0.36
योग-	0.36	0.36

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि. के इक्विटी शेयरों का अभिदत्त अंकित मूल्य इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि. के आदेश संख्या डी.एल.आई/एस.ई.सी/ए.जी.एम/003/40 दिनांक 22.03.2011 के अनुमोदन से रु. 38.95 से घटकर रु. 10.00 प्रति शेयर किया गया है। 31.03.2023 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध नहीं है। 31.03.2022 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेयर का मूल्य 0.84 लाख है।

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2023			31.03.2022		
<b>टिप्पणी संख्या –15</b>	<b>दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम</b>					
<b>(अ) ऋण एवं अग्रिम</b>						
अग्रिम ऋण तथा अग्रिम अन्य राशियाँ जो नकद वस्तु या प्राप्य मूल्य में वसुलने योग्य है (ठेकेदारों वाह्य पार्टियों को आपूर्तित तथा/समंजन निलंबित सामग्रियों के मूल्य सहित) संदेहात्मक	कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि	कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि
	655.51	655.51	0.00	667.91	667.91	0.00
<b>(ब) प्रतिभूति जमा</b>						
निजी पार्टियों के पास जमा	0.87	0.32	0.55	0.87	0.32	0.55
सरकारी अधिकारियों के पास जमा	208.23	199.27	8.96	208.23	199.27	8.96
<b>(स) सुरक्षा जमा राशि</b>	33.71	33.71	0.00	33.71	33.71	0.00
<b>(द) अन्य</b>						
कर्मचारियों का अग्रिम	0.18	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00
प्राप्य दावें	4266.69	4266.60	0.09	4670.21	4670.12	0.09
<b>योग-</b>	<b>5165.19</b>	<b>5155.59</b>	<b>9.60</b>	<b>5581.11</b>	<b>5571.51</b>	<b>9.60</b>
<b>दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम का विवरण</b>						
प्रतिभूत प्राप्य समझे गये			0.00			0.00
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये			9.60			9.60
संदेहात्मक			5155.49			5571.51
<b>योग</b>			<b>5165.19</b>			<b>5581.11</b>
<b>टिप्पणी संख्या –16</b>	<b>अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ</b>					
<b>दीर्घकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य</b>						
<b>(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग</b>						
अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये		0.00			0.00	
संदेहात्मक		3048.84			3048.84	
<b>योग (अ)</b>		<b>3048.84</b>			<b>3048.84</b>	
<b>(ब) अन्य</b>						
संदेहात्मक		0.00			0.00	
<b>योग (ब)</b>		<b>21.51</b>			<b>21.51</b>	
<b>लघु योग (अ+ब)</b>		<b>3070.35</b>			<b>3070.35</b>	
घटाये: संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था		3070.35			3070.35	
एल.डी.कटौती एवं चार्ज के विरुद्ध व्यवस्था		0.00	0.00		0.00	0.00

- दीर्घकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य में आपूर्ति की गई उपकरण और स्पेयर्स मद में रु. 222.67 लाख (विगत वर्ष रु. 222.67 लाख ) भी शामिल है जो देय नहीं है जिनकी वसूली कुछ संविदात्मक वाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

31.03.2023

31.03.2022

### नोट संख्या 16(अ) व्यापार प्राप्य आयु अनुसूची

विवरण	31.03.23 तक					
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	3070.35	3070.35
(iii) विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### नोट संख्या 16(ब) व्यापार प्राप्य आयु अनुसूची

विवरण	31.03.22 तक					
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	3070.35	3070.35
(iii) विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

टिप्पणी संख्या -17

वस्तुसूची

## तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2023		31.03.2022	
(प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित)				
कच्चे माल तथा अवयव	5289.44		5947.76	
घटायें: व्यवस्था/स्टॉक समंजन	3080.14	2209.30	2962.99	2984.77
भंडार, अतिरिक्त पूर्जे एवं अवयव निर्माण सामग्रियों सहित	1260.50		1286.26	
घटायें: व्यवस्था/स्टॉक समंजन	347.63	912.87	295.02	991.24
अलग्न औजार, (लूज टूल्स) रेखांकन यंत्र इत्यादि	428.66		801.23	
घटायें: व्यवस्था	51.94	376.72	52.43	748.80
निर्मित उत्पाद स्टॉक	446.42		702.77	
घटायें: व्यवस्था	89.11	357.31	89.11	613.66
प्रगतिशील कार्य	4882.62		7869.75	
घटायें: व्यवस्था	429.66	4452.96	337.64	7532.11
प्रगतिशील कार्य (टर्न की प्रोजेक्ट)	2146.98		2097.52	
घटायें: व्यवस्था	0.00	2146.98	0.00	2097.52
कुल माल	14454.62		18705.29	
घटायें : प्रावधान/स्टॉक समंजन	3998.48	10456.14	3737.19	14968.10
<b>योग-</b>		<b>10456.14</b>		<b>14968.10</b>

- टिप्पणी :-**
- समापन भंडार में निर्मित एवं प्रगतिशील कार्य के लिए रु. 203.55 लाख (विगत वर्ष रु. 201.92 लाख) मूल्य के बन्द, निरस्त पुराने कार्यदेशों की वे वस्तुएँ जिनका मूल्यांकन स्क्रेप दर पर किया गया है, शामिल है।
  - अचल कच्चा माल, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे जो तीन वर्ष के अधिक के हैं, का मूल्य रु. 3845.87 लाख (विगत वर्ष रु. 3630.62 लाख) है एवं इसके लिए वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त पाया गया।
  - शॉपफ्लोर में रु. 60.91 लाख का स्क्रेप सहित कच्चा माल एवं अवयव (विगत वर्ष रु. 66.15 लाख) शामिल है।

टिप्पणी संख्या -18

व्यवसाय प्राप्य योग्य

## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2023			31.03.2022		
<b>अल्पकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य</b>							
(अ) <u>लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग</u>	छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	योग	छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	योग	
अप्रतिभूत प्राप्य:समझे गये	9096.41	999.10	10095.51	14661.40	4912.81	19574.21	
संदेहात्मक समझे गये	28574.17	132.89	28707.06	27585.35	906.01	28491.36	
<b>लघु योग (अ)</b>	<b>37670.58</b>	<b>1131.99</b>	<b>38802.57</b>	<b>42246.75</b>	<b>5818.82</b>	<b>48065.57</b>	
<b>(ब) अन्य</b>							
अप्रतिभूत प्राप्य: समझे गये	14.34	0.22	14.56	0.00	14.34	14.34	
संदेहात्मक समझे गये	770.78	0.00	770.78	777.02	0.00	777.02	
<b>लघु योग (ब)</b>	<b>785.12</b>	<b>0.22</b>	<b>785.34</b>	<b>777.02</b>	<b>14.34</b>	<b>791.36</b>	
<b>योग (अ+ब)</b>			<b>39587.91</b>			<b>48856.93</b>	
घटाये : संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था			16859.04			16905.86	
घटाये : एल डी कटौती एवं चार्ज के विरुद्ध व्यवस्था			12618.80			12362.52	
<b>निबल योग</b>			<b>10110.07</b>			<b>19588.55</b>	

**टिप्पणी :-** 1. अल्पकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य में आपूर्ति की गई उपकरण एवं स्पेयर्स मद में रु. 7365.33 लाख (विगत वर्ष रु. 8906.55 लाख) भी शामिल है जो देय नहीं है। जिनकी वसूली कुछ संविदात्मक बाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।

### नोट संख्या 18 (ए) व्यापार प्राप्य उम्र अनुसूची

विवरण	31-03-23 तक					
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	1242.86	411.31	1059.96	881.91	6514.03	10110.07
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	128.57	219.84	2111.44	2882.43	24098.03	29440.31

### नोट संख्या 18 (ए) व्यापार प्राप्य उम्र अनुसूची

विवरण	31-03-22 तक					
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	7627.66	162.91	1568.86	435.26	9793.86	19588.55
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	897.57	107.98	2722.20	912.40	24590.70	29230.85



## तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

		31.03.2023		31.03.2022	
		नकद एवं नकद समकक्ष			
<b>टिप्पणी संख्या -19</b>					
(अ) अनुसूचित बैंक चालू खाता में शेष	2028.30		1992.02		
(ब) अपने पास रखे हुए नकद	0.32		1.88		
घटाया : प्रावधान	0.32	2028.30	0.28	1993.62	
(स) अन्य					
<b>बैंकों के साथ चिह्नित शेष</b>					
अनुसूचित बैंक के साथ अल्पकालीन जमा •		3260.18		3472.56	
<b>योग-</b>		<b>5288.48</b>		<b>5466.18</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• विकृत नोट एवं सिक्के प्रचलन में नहीं है।</li> <li>• पूंजीलाभ कर भुगतान के लिए अनुउपयोग सरकारी अनुदान एवं उपार्जित ब्याज TDR रु. 3173.87 लाख सम्मिलित करता है।</li> </ul>					
<b>टिप्पणी संख्या -20</b>		<b>अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम</b>			
(अ) <b>ऋण एवं अग्रिम</b>					
अप्रतिभूति प्राप्त समझे गये		1266.28		53.11	
(ब) <b>प्रतिभूति जमा</b>					
निजी पार्टियों के पास जमा		4.59		4.89	
सरकारी अधिकारियों के पास जमा		617.74		587.89	
(स) <b>सुरक्षित जमा</b>		0.00		0.00	
असुरक्षित समझा माल		1119.13		896.40	
(ब) <b>अन्य</b>					
कर्मचारियों का अग्रिम		111.39		62.27	
पूर्वदत्त व्यय		97.81		173.63	
प्राप्य दावे		6409.68		5381.74	
स्रोत पर काटे गये आयकर #		607.37		918.59	
	<b>लघु योग</b>	<b>10233.99</b>		<b>8078.52</b>	
घटाये: अप्राप्य एवं संदेहात्मक अग्रिम के लिए व्यवस्था		224.02		61.93	
	<b>योग-</b>	<b>10009.97</b>		<b>8016.59</b>	
<b>अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम का विवरण</b>					
प्रतिभूत प्राप्त समझे गये		7624.56		7067.08	
अप्रतिभूत प्राप्त समझे गये		2385.41		949.51	
संदेहात्मक		224.02		61.93	
	<b>योग</b>	<b>10233.99</b>		<b>8078.52</b>	

**लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश**

₹ लाख में

	2022-23		2021-22	
टिप्पणी संख्या -21			<u>अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ</u>	
<u>किराया एवं अन्य प्राप्य</u>				
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग से प्राप्य जमीन बिक्री (GOJ) अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये (झारखण्ड सरकार)	1014.20		1262.32	
(i) किराया, जल, बिजली, लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग	1799.81		1560.73	
(ii) संदेहात्मक	<u>2199.79</u>	<u>3999.60</u>	<u>2039.62</u>	<u>3600.35</u>
(ब) निजी पार्टी				
(i) अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये	209.31		210.13	
(ii) संदेहात्मक	<u>781.81</u>	<u>990.49</u>	<u>724.50</u>	<u>934.63</u>
<b>योग-(अ+ब)</b>	<b><u>6004.29</u></b>		<b><u>5797.30</u></b>	
घटाये : संदेहात्मक प्राप्य योग्य हेतु प्रावधान	2980.97		2764.12	
<b>निबल रकम</b>	<b><u>3023.32</u></b>		<b><u>3033.18</u></b>	

## लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	2022-23		2021-22	
<b>टिप्पणी संख्या -22</b>	<b>प्रचालन से राजस्व</b>			
<b>बिक्री एवं सेवाएं</b>				
उत्पादों की बिक्री	8766.03		17826.60	
सेवाओं की बिक्री	377.32	9143.35	642.20	18468.35
<b>अन्य प्रचालन राजस्व</b>				
आंतरिक उपयोग के लिए जॉब जोड़े: अन्तर प्लांट हस्तान्तरण	100.45		304.05	
	0.00	100.45	0.00	304.05
<b>योग</b>		<b>9243.80</b>		<b>18772.90</b>
<b>टिप्पणी संख्या -23</b>	<b>अन्य आय</b>			
ब्याज		90.84		44.05
किराया		1843.74		1468.75
स्टोर्स की बिक्री		1116.70		99.05
विविध आय		311.92		340.89
एच टी आई से आय		10.02		21.16
अधिक प्रावधान प्रतिलेखित		2768.07		7287.95
जल एवं बिजली चार्ज		313.10		312.46
<b>योग-</b>		<b>6154.39</b>		<b>9574.31</b>
<b>टिप्पणी संख्या -24</b>	<b>सामग्री खपत लागत</b>			
कच्चा माल एवं अवयवों की खपत	588.82		2182.08	
घटाये: अंतर प्लांट हस्तान्तरण	85.84	502.98	242.29	1939.79
स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत	778.76		5540.17	
घटाये: अंतर प्लांट हस्तान्तरण	0.43	778.33	68.99	5471.18
<b>योग</b>		<b>1281.31</b>		<b>7410.97</b>
<b>टिप्पणी संख्या - 25</b>	<b>चालू कार्य एवं निर्मित माल के वस्तुसूची में परिवर्तन</b>			
<b>चालू कार्य एवं निर्मित माल के मूल्य में हास/(अभिवृद्धि)</b>				
<b>चालूकार्य</b>				
प्रारंभिक स्टॉक	9967.27		8297.38	
समापन स्टॉक	7029.60	2937.67	9967.27	(1669.89)
<b>तैयार स्टॉक</b>				
प्रारंभिक स्टॉक	702.77		761.90	
समापन स्टॉक	446.42	256.35	702.77	59.13

**लाभ एवं हानि ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश**

₹ लाख में

	2022-23	2021-22
<b>योग</b>	<b>3194.02</b>	<b>1610.76</b>
<b>टिप्पणी संख्या -26</b>	<b>कर्मचारी हितलाभ व्यय</b>	
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	8918.78	9142.81
भविष्य निधि के मद में निगम		
अंशदान और कर्मचारी पेंशन फंड	1016.99	1021.55
कामगार एवं कर्मचारी कल्याण व्यय	636.50	718.49
छुट्टी नकदीकरण	(710.00)	832.73
ग्रेच्युटी (उपदान)	876.44	958.06
<b>लघु योग-</b>	<b>10738.71</b>	<b>12673.64</b>
घटाये: अनुसंधान एवं विकास व्यय का अंतरण	64.18	70.95
<b>योग-</b>	<b>10674.53</b>	<b>12602.69</b>
● यह बकाया ग्रेच्युटी पर ब्याज 206.82 (पिछले वर्ष 59.75 लाख) शामिल करता है।		
<b>टिप्पणी संख्या -27</b>	<b>वित्तीय लागत</b>	
बैंक उधार पर ब्याज	3022.65	2020.15
सरकारी ऋण पर ब्याज	1076.57	1076.57
अन्य ऋण पर ब्याज	157.05	0.00
<b>योग-</b>	<b>4256.27</b>	<b>3096.72</b>
<b>टिप्पणी संख्या -28</b>	<b>मूल्य हास एवं परिशोधन व्यय</b>	
टिप्पणी सं. 11 के अनुसार मूल्य हास	567.73	595.42
डिप्लेशन व्यय	3.11	1.04
टिप्पणी सं. 11 के अनुसार हानिकरण	0.00	0.03
<b>योग-</b>	<b>570.84</b>	<b>596.43</b>
<b>टिप्पणी संख्या -29</b>	<b>अनुसंधान और विकास व्यय</b>	
अनुसंधान और विकास व्यय		
वेतन एवं भत्ते	64.18	70.95
<b>योग-</b>	<b>64.18</b>	<b>70.95</b>
<b>टिप्पणी संख्या -30</b>	<b>अन्य व्यय</b>	
(अ) निर्माण सेवा लागत		
जल, ऊर्जा और इंधन	3154.39	3452.15
मरम्मती एवं अनुरक्षण		
प्लांट एवं मशीनरी	28.13	96.75
बिल्डिंग	2.93	9.94
अन्य	22.58	53.64
बीमा		60.31
	92.01	167.00
<b>लघु योग (अ)</b>	<b>3300.04</b>	<b>3747.01</b>
(ब) निर्माण एवं अन्य प्रचालन व्यय		
मशिनिंग एवं एसेम्बली चार्ज	42.13	140.96
अलग्न औजार चार्जड ऑफ	483.97	778.08

## लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	2022-23		2021-22	
वाह्य एजेंसी द्वारा निर्मित जॉब टर्न की प्रोजेक्ट व्यय	4200.72		4262.52	
उत्पादन के लिए अन्य प्रभार	163.07	6942.89	436.09	9722.21
घटाये: अंतर प्लांट अंतरण (सेवाएं)		42.13		141.41
<b>लघु योग- (ब)</b>		<b>6900.76</b>		<b>9580.80</b>
<b>(स) प्रशासनिक बिक्री एवं वितरण व्यय</b>				
किराया		33.72		29.58
बिजली एवं पेय जल व्यय		1302.07		1253.23
सुरक्षा व्यय		2556.57		2506.89
सीआइएसएफ बकाया पर ब्याज		1451.02		1011.30
यात्रा एवं सवारी भत्ता		56.56		68.09
बैंक प्रभार		249.15		383.35
टेलीफोन एवं डाक व्यय		20.59		24.60
प्रिंटींग एवं स्टेशनरी व्यय		9.19		18.67
विविध		149.03		261.63
विलम्ब प्रेषण पर ब्याज		1313.99		455.83
मोटर वाहन चालन व्यय		135.24		156.78
परामर्शी एवं वैधिक व्यय		60.00		67.35
नगरपालिका कर/प्रभार		34.96		33.30
एल.डी कटौती एवं चार्ज्ड बिक्री एवं वितरण व्यय		365.54		5340.22
अंकेक्षक पारिश्रमिक		49.26		67.44
अंकेक्षक शुल्क	2.70		2.25	
कर अंकेक्षण शुल्क	0.50		0.38	
आंतरिक अंकेक्षक शुल्क	0.00		1.00	
रिर्बसमेन्ट व्यय	0.15	3.35	0.15	3.78
प्रशिक्षण व्यय		1.42		4.14
<b>लघु योग (स)</b>		<b>7791.66</b>		<b>11686.18</b>
<b>(द) अन्य प्रावधान/व्यय बट्टे में डालना</b>				
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	1662.68		5937.28	
अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	27.09		10.76	
स्टॉक सत्यापन अन्तर का प्रावधान	28.73		71.61	
वारंटी व्यय का प्रावधान	39.49		92.35	
अग्रिम प्रावधान	0.00		0.51	
विदेशी मुद्रा अंतर हेतु प्रावधान	87.57		33.37	
स्टॉक सत्यापन के अन्तर हेतु प्रावधान	236.30		357.80	
CWIP प्रावधान	0.00		210.93	
विविध प्रावधान	344.95		50.56	
विविध हानियां बट्टे में डालना	0.00	2426.81	0.45	6765.62
<b>लघु योग - (द)</b>		<b>2426.81</b>		<b>6765.62</b>
<b>कुल योग (अ+ब+स+द)</b>		<b>20419.72</b>		<b>31779.61</b>

**लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश**

₹ लाख में

	2022-23	2021-22
<b>टिप्पणी संख्या -31</b>	<b>पूर्व अवधि समंजन</b>	
<b>आय</b>		
बिक्री (सेवा आय के साथ)	(14.66)	26.16
अंतर प्लांट हस्तान्तरण	0.00	(2.75)
विविध आय	<u>(50.66)</u>	<u>(14.36)</u>
	(65.32)	9.05
<b>घटाये: व्यय</b>		
कच्चा माल की खपत	(149.07)	0.00
कर्मचारी भुगतान का प्रावधान	156.23	0.00
सीआइएसएफ व्यय	0.00	18.39
मूल्य हास	0.00	(1.55)
विविध व्यय (शुद्ध)	<u>(24.97)</u>	<u>0.00</u>
पूर्व अवधि समंजन (निवल)	<u>(47.51)</u>	<u>(16.84)</u>
		(7.79)
<b>टिप्पणी संख्या -32</b>	<b>असाधारण आइटम</b>	
<b>आय</b>		
जमीन हस्तांतरण बिक्री का प्रतिफल	2026.09	0.00
	<u>2026.09</u>	<u>0.00</u>
<b>घटाये: व्यय</b>	0.94	0.00
झारखण्ड सरकार को जमीन हस्तांतरण लागत	<u>(0.94)</u>	<u>0.00</u>
<b>निवल</b>	<b>2025.15</b>	<b>0.00</b>

### टिप्पणी संख्या 33 – “वित्तीय विवरण के लिए अन्य टिप्पणियां”

संगत वित्तीय विवरण एच.ई.सी.लि. (कम्पनी) के 31 मार्च 2023 तक के वित्तीय विवरण को शामिल करता है। कम्पनी का लेखा गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किया गया है। कम्पनी पूर्णतः भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक उद्यम है। कम्पनी कैपिटल उपकरण, स्टील, माइनिंग, रेलवे, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा रणनीतिक क्षेत्र के लिए मशिनरी का निर्माण एवं आपूर्ति करता है। कम्पनी में विकट नकदी संकट के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान कम कारोबार हुआ, फिर भी 31 मार्च 2023 को कम्पनी के पास कार्यादेश रूपये 135500.00 लाख से अधिक का रहा है। कम्पनी वर्ष 2022-23 के दौरान रूपये 14053.00 लाख के कार्यादेश को अर्जित किया है। कम्पनी अपने स्रोत से ही कार्यशील पूँजी को उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है एवं आशा है कि आने वाले विकट नकदी संकट को पार कर लेगा।

#### 33.1 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिवद्धता (प्रदान नहीं की गई)

₹ लाख में

क्रम सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1	(A) ठेका की अनुमानित राशि, शेष को पूँजी खाते में डाला जाएगा और इनके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।	8310.40	12186.14
	(B) ठेका की अनुमानित राशि शेष को आय खाते में डाला जाएगा और इनके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।	38810.38	43592.92
2	क्रेडिट की असमाप्त पत्र	65.95	1425.58
3	असमाप्त बैंक गारंटी	13071.04	14100.21
4	होल्डींग कर	1686.77	1686.77
5	जल बकाया	418.04	2223.92
6	(अ) पी.एफ. बकाया राशि के प्रति हर्जाना। ई.पी.एफ. बकाया का भुगतान में चुक होने से रिजनल भविष्यनिधि आयुक्त, राँची का भुगतान हेतु नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। एच. ई. सी लि. अध्यक्ष केन्द्रीय निदेशक बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 03/76 से 09/99 तक के बीच की अवधि में 9501.54 लाख रु. की क्षति को माफ करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसे रिजनल भविष्य निधि आयुक्त, राँची द्वारा दिनांक 12.11.2010 को अस्वीकृत किया गया। कम्पनी ने फिर से नागरिक विविध पेटिशन (सी एम पी) में पेटिशन सी. पी 476/2010 झारखण्ड माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व दायर की। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड ने आदेश दिनांक 14.10.2019 को याचिका सीएमपी 476/2010 को खारिज कर दिया। ईपीएफओ, के कार्यालय के पत्र क्रमांक जेएच/आरक्यू/आरएनसी/रिकवरी/दिनांक 23.12.2019 से बैंक खाते को संलग्न किया, एचईसी लिमिटेड ए WP (सी) रिकवरी अधिकारी के आदेशों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 09.01.2020 को 62/2020 दायर किया गया है, ईपीएफओ ने जेएच/आरओ/आरएनसी/Recovery/1465/2019/1397/34379 और JH/RO/RNC/Recovery स्टेट बैंक को जारी किए गए ERY/1465/2019/1398/34380 dt 23.12.2019 भारतीय और केनरा बैंक। याचिकाकर्ता मेसर्स एचईसी लिमिटेड, 23.12.2019 के नाम, 18.01.2020 को आदेश में झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय प्रतिबंधात्मक/अटैचमेंट आदेश को अगले नियम समय तक रोक लगाने का निर्देश दिया है।	9501.54	9501.54
	(ब) ईपीएफओ, राँची द्वारा सीपीएफ ट्रस्ट पर पत्र संख्या- JH/RO/RNC/PD/2022/JHRAN0001465000/2832/7214 दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से जुर्माने की राशि 47338906/- रुपये की मांग 12/95 से 01/25010 की अवधि के लिए 14-बी के तहत सीपीएफ बकाया के भुगतान में देरी के लिए लगाया गया।	473.33	473.33
	(स) साथ ही पत्र सं. JH/RO/RNC/PD/2022/JHRAN0001465000/2833/7214 दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से CPFO राँची द्वारा 15622991/- रुपये की ब्याज राशि की मांग जारी की गई है। यह ब्याज राशि 13.05.2022 को अदा की गई।		
7	<b>कानूनी केस :-</b> एच. ई. सी. के विरुद्ध दावा दायर की मध्य पावती नहीं	<b>केस</b>	
		<b>रकम</b>	
		2022-23	2021-22
	(ब) मध्यस्थता		
	• एच.ई.सी. Vs G4S Secure	469.83	0.00
	• मेटशो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड Vs एच.ई.सी.	943.93	0.00
	• एस बनर्जी	246.64	246.64
	• अन्य (केस नं.-5)	55.57	55.57
		1715.97	1154.56
		27777.83	25372.76

	(स) एमएसएमइडी (केस नं.-9)	604.94	1831.41		
	(द) अन्य कानूनी केस				
	• रामपुर इन्जिनियरिंग कं. लिमिटेड	19948.85	18447.12		
	• आदर्श कॉर्पोरेटिव	1271.81	1271.81		
	• अन्य (केस नं.-15)	4236.26	2667.86		
		25456.92	22386.79		
8	वाणिज्य कर (वैट एवं सीएसटी) आयुक्त, राँची के पास विचाराधीन मूल्यांकन आदेश अपील के तहत माँग			4671.25	4671.25
		वर्ष	वैट रकम	सीएसटी रकम	कुल रकम
		2008-09	10.78	10.35	21.13
		2009-10	19.63	57.76	77.39
		2010-11	92.41	137.18	229.59
		2011-12	79.18	794.55	873.73
		2013-14	397.75	16.02	413.77
		2014-15	904.90	19.75	924.65
		2015-16	124.91	57.88	182.79
		2016-17	25.80	1806.23	1832.03
		2017-18	18.87	97.30	116.17
		कुल	1674.23	2997.02	4671.25
9	सेवा कर				
	3 शॉवल पूर्ति के लिए कन्ट्रेक्ट सेवा के कुछ अंश में सेवा कर की मांग। (आदेश संख्या वी (65) 34/एच ई सी, एडजन/रान 1/2015/8304 दिनांक 23.09.2015). आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।		221.05		
				221.05	3370.66
10	उत्पाद शुल्क				
	1 सीनवेट क्रेडिट के गैर रिवर्सल के लिए उत्पाद शुल्क की मांग जिसे हमलोगों ने उपयोग किया/लाभ और पूँजी हेतु वित्तीय विवरण 2010-11 से 2014-15 के (आर्डर सं. 05/सेन्ट्रल एक्साइज/कमि. 2017, 24.03.2017) में कुछ प्रावधान किया है। सी ई एस टी ए टी कोलकाता में अपील लम्बित है।		4272.25		
				5720.05	5392.61
	2 2015-16 से 2016-17 के दौरान इनपूट एवं कैपिटल गुड्स नन रिवर्सल ऑफ सिनवेट एक्साइज ड्यूटी के मांग जिसका उचित प्रावधान हमारे वित्तीय स्टेटमेंट में लिया गया है। (आदेश संख्या 21/Central Excise/pr. Commr/2020 dt 31.07.2020)। सीईएसटीएटी कोलकाता में अपील लम्बित है।		1447.80		
	योग			110727.69	123997.75

### 33.2 पुनरुत्थान पैकेज

- बहुत बड़े नकारात्मक निवल मूल्य (नेगेटिव नेट वर्थ) के साथ युग्मित घाटे के लम्बे समय तक रहने के कारण कम्पनी को बीमार घोषित किया गया और उसे 24-02-1992 को बी आई एफ आर को भेजा गया। 26-08-1996 को बी आई एफ आर ने एक पुनर्वास पैकेज की मंजूरी दी जिसे भारत सरकार द्वारा 07-02-1997 को अनुमोदित किया गया। इसके बाद 06-07-2004 को बी आई एफ आर ने योजना विफल होने की घोषणा की और कंपनी को पूरी तरह से समटने या बंद करने का आदेश दिया।
- उक्त समापन आदेश के खिलाफ कंपनी ने 18-08-2004 को झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समापन आदेश खारिज करने/रोक लगाने के लिये एक रिट याचिका संख्या 4513/04 दायर किया। झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार, झारखण्ड सरकार एवं एच.ई.सी. को, एच.ई.सी. के पुनरुद्धार के लिये एक प्रस्ताव न्यायालय के सामने जमा करने का मौका दिया। इसके बाद दिनांक 9-9-2004 से 13-11-2009 के बीच कई सुनवाईयाँ हुईं और अंततः झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13-11-2009 को भारत सरकार, झारखण्ड सरकार, एच. ई. सी. एवं उससे संबंधित पार्टियों को निर्देश दिया कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया गया था उसे अमल में



लाया जाय और वाइडिंग-अप को 2004 के सी. पी. संख्या 5 के साथ डबल्यू पी संख्या 4513 को बंद किया जाए, और आशा एवं उम्मीद जताई कि भविष्य में पिछली घटनाओं को दुहराया न जाए और एच.ई.सी., जो राष्ट्र का गौरव है, और सारी कंपनियों की मदद कंपनी है वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करें। झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निम्नलिखित पुनरुत्थान पैकेज भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। इस तरह के प्रस्तावों का विवरण एवं उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

**(A) भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज की स्थिति :-**

(7-10-2005 को बी. आर. पी. एस. ई. द्वारा अनुशासित एवं 15-12-2005 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)

भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता	कार्यान्वयन की स्थिति
अ) 31.03.2005 को रु. 1527.49 लाख के योजना ऋण का इक्विटी में रूपांतरण	मार्च 2006 में कार्यान्वित
ब) 31-03-2005 तक गैर-योजना ऋण पर छूट और योजना एवं गैर-योजना ऋण पर ब्याज रु. 110101.96 लाख	मार्च 2006 में कार्यान्वित
स) रु. 10200.00 लाख के गैर-योजना ऋण को रु. 9203.00 लाख के बिना योजना ऋण के रूप में देना, रु. 498.50 लाख के योजना ऋण को, जो कंपनी द्वारा दोबारा तीन वर्षों में चुकता किया जाएगा और साथ ही साथ रु. 498.50 लाख इक्विटी के रूप में भी। (क्र.सं0 अ,ब,स 13.07.2006 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा अनुमोदित।)	मार्च 2006 में कार्यान्वित
द) राज्य सरकार को पूर्व में ही किराए पर दिए गए आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण, कंपनी के ठेकेदारों तथा पूर्व कर्मचारियों के साथ लंबी अवधि पर आवासों के निपटान के लिए पट्टा (लीज), वाणिज्यिक एवं संस्थागत क्षेत्रों का निपटान तथा स्कूलों और अस्पतालों के निजीकरण के माध्यम से संसाधन जुटाना (लगभग रु. 33000.00 लाख)	आवासीय क्वार्टर के दीर्घकालीन पट्टे से कंपनी ने रु. 8543.82 लाख अर्जित किए।

**ब. भारत सरकार द्वारा सितंबर 2008 में अनुमोदित पुनरुत्थान योजना :**

अ) योजना ऋण (रु. 582.50 लाख) और गैर योजना ऋण (रु. 10221.00 लाख) का इक्विटी में रूपांतरण	मार्च 2009 में कार्यान्वित
ब) 2005-06 और 2006-07 में रु. 4480.54 लाख बकाया ब्याज प्राप्त किया जिसे दिनांक रु. 18.09.2008 तक इक्विटी में हस्तांतरण किया।	मार्च 2009 में कार्यान्वित
स) कार्यशील पूंजी की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी गारंटी को रु. 15000.00 लाख से रु. 25300.00 लाख बढ़ाना	मार्च 2009 में कार्यान्वित
द) सीआईएसएफ को कंपनी की भूमि के अनुरूप राशि का हस्तांतरण करके सीआईएसएफ के रु. 7906.00 लाख की देनदारी का निपटारा	रु. 7906.00 लाख की बकाया राशि के परिसमापन के लिए मार्च 2009 में 158 एकड़ भूमि सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2008 में भारत सरकार द्वारा सीआईएसएफ पर बकाया राशि रु. 3790.62 लाख पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज की माफी और 31-7-2008 के बाद ब्याज और दंडात्मक ब्याज पर निर्णय को अनुमोदित और कार्यान्वित किया गया था।

स. पुनरुद्धार पैकेज की स्थिति : डीएचआई, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार और एच.ई.सी. लिमिटेड के बीच सहमति व्यक्त की।					
अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज					करोड़ रु. में
सीसीईए	झारखंड सरकार की ओर से दायर हलफनामे और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय की मंजूरी के अनुसार।	माफ / समायोजित / प्राप्त की जाने योग्य राशि	माफ / समायोजित / प्राप्त की गई राशि	माफ / समायोजित / प्राप्त की जाने योग्य शेष राशि	
1	बिजली बकाया माफी विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं। परंतु रु. 50000.00 लाख की बिजली बकाया राशि की माफी का प्रस्ताव झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत।	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के पश्चात, रु. 30637.42 लाख की बिजली बकाया राशि की माफी और विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) का जेएसईबी द्वारा अंतिम निष्पादन।	रु. 96984.68 लाख कुल राशि की माफी / समायोजन किया जाना है।	रु. 85342.46 लाख (31.08.2008 तक रु. 30637.42 लाख का बिजली बकाया और रु. 54705.04 लाख का डीपीएस की माफी)	01.09.2008 से 31.03.2010 तक डीपीएस के विरुद्ध रु. 11642.22 लाख माफ किया जाना है।
2	रु. 3103.00 लाख का पीएचईडी बकाया माफ	31.03.2007 तक पी एच ई डी बकाया रु. 3264.80 लाख की माफी।	रु. 3264.80 लाख (माफ)	रु. 3264.80 लाख (माफी)	कुछ नहीं
3	रु. 2551.00 लाख रुपये की बिक्री कर बकाया राशि की माफी	झारखण्ड सरकार ने सहमति व्यक्त की है कि एचईसी द्वारा रु. 2551.00 लाख भुगतान को 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता का पूर्ण और अंतिम निपटान माना जाएगा, जिसमें विलंबित भुगतान के लिए दंड / दंडात्मक ब्याज आदि भी शामिल है, जो सीटी दायित्व के आकलन से संबंधित है। इसके अलग दायित्व और बाद में पाये गये किसी भी दायित्व को प्रासंगिक कानून / दिशानिर्देशों के अनुसार माना जाएगा।	1) झारखण्ड सरकार द्वारा रु. 2551.00 लाख का भुगतान किया जाना है। 2) कंपनी को झारखण्ड सरकार के पास रु. 2551.00 लाख जमा करना है। 3) 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता पर माफी का आदेश झारखण्ड सरकार द्वारा जारी किया जाना है।	1) रु. 2551.00 लाख मिला 2) वाणिज्यिक कर के एवज में एचईसी द्वारा रु. 2551.00 लाख जमा किए गए। 3) आदेश जारी नहीं किया गया	1) कुछ नहीं 2) कुछ नहीं 3) झारखण्ड सरकार द्वारा 31.03.07 तक सभी बकाया राशि पर माफी के लिए आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।

4	भविष्य में किसी प्रकार की भूमि या भवन के हस्तांतरण की प्रतिबद्धता के बिना एचईसी को झारखण्ड सरकार से रु. 25000.00 लाख प्राप्त करने के लिए अधिकृत करना	रु. 27551.00 लाख का अनुदान जिसमें ऊपर क्र. सं. 3 में उल्लेखित रु. 2551.00 लाख शामिल है।	रु. 27551.00 लाख रुपये	रु. 20021.00 लाख समायोजित हुआ PMAY-U से रु. 2633.00 लाख प्राप्त हुआ। प्राप्त रु. 4897.47 लाख (रु.1439.80 लाख 25.06.2020, रु. 3457.20 लाख 5.11.2020 और रु. 0.47 लाख 11.01.2021)	कुछ नहीं
5	एचईसी को 2342 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए झारखण्ड सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुमति देना। इसमें इमारत के लिए संबंधित भूमि की 85 एकड़ जमीन भी शामिल है।	एचईसी को झारखण्ड सरकार को 2342 एकड़ भूमि सौंपना है।	झारखण्ड सरकार को 2035.14 एकड़ भूमि पर अधिकार दे दिया गया है जिसमें लिए हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया। शेष 306.86 एकड़ भूमि को अतिक्रमण हटाने के बाद सौंप दिया जाएगा। पत्रांक सं.-7 05/02/2019 पीई-5 एमएसआइ एण्ड पीईडिएचआइ, 21.10.2019 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के प्रावधान के अनुसार, झारखण्ड सरकार को 107.28 एकड़ भूमि के लिए किसी भी पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी- उक्त 306.86 एकड़ जमीन में से उसी का उपयोग किया जाएगा। पात्र झुग्गी निवासियों के लिए PMAY-U के तहत किफायती आवास परियोजना (एस) के लिए सरकार। शेष 199.58 एकड़ का उपयोग पीएमएवाई-यू के अलावा शहरी विकास योजनाओं के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए रु. 4897.47 लाख प्राप्त किया गया है।		
6	एचईसी को 17 इमारतों और 1155 आवासीय क्वार्टर के साथ-साथ रु. 14223.00 लाख मूल्य की सटी हुई जमीन को झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अनुमति देना।	एचईसी को 17 गैर आवासीय इमारत तथा 1148 आवासीय क्वार्टर झारखण्ड सरकार को सौंपना है।	17 गैर आवासीय भवनों, 1148 आवासीय भवनों तथा संबंधित भूमि के 85.11 एकड़ पर पहले से ही झारखण्ड सरकार को 31.03.2009 तक के लिए किराए पर देने के लिए अधिकृत किया जा चुका है और इसे झारखण्ड सरकार को सौंप दिया गया। भवनों का पंजीकरण अभी किया जाना बाकी है।		

33.3) दिनांक 12.04.2017 को भारत सरकार द्वारा निगम की 675.43 एकड़ जमीन को रु. 74298.00 लाख में झारखण्ड सरकार को हस्तान्तरण हेतु अनुमोदन दिया गया। दिनांक 23.05.2018 को हस्तांतरण विलेख अनुसार 675.43 एकड़ जमीन में से 508.44 एकड़ जमीन को रु. 55928.40 लाख में झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण किया गया और दिनांक 17.01.2019 तक हस्तांतरण विलेख के अनुसार रु. 16264.60 लाख में 147.86 एकड़ जमीन झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण किया गया। कुल रु. 72193.00 लाख में 31.02.2022 तक मात्र रु. 70930.67 लाख प्राप्त किया एवं बकाया राशि रु. 1262.33 लाख टिप्पणी संख्या 21 में झारखण्ड सरकार से प्राप्य योग्य हेतु दर्शाया गया है। प्राप्त राशि का उपयोग पुरानी देनदारी को समाप्त करने के लिए किया गया।

डीएचआइ, झारखण्ड सरकार से बाकी की प्राप्त सभी का उपयोग कार्यशील पूँजी के रूप में करने की अनुमति दिया है। भारत सरकार ने झारखण्ड सरकार को एच.ई.सी. भूमि के हस्तान्तरण के कारण पूँजीगत लाभ कर देयता को पूरा करने के लिए स्वीकृत अनुदान के उपयोग करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।

- 33.4) कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली के साथ दिनांक 29 अगस्त 2022 को रु. 3500.00 लाख के इन्टर कॉरपोरेट लोन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके तहत एनसीएल ने 14.09.2022 को एसक्रो खाता में रु. 2000.00 लाख भेजा है। वर्ष के दौरान कुल रु. 305.65 लाख राशि का उपयोग हुआ एवं प्रतिबंध शर्त के अनुसार रु. 67.22 लाख का ब्याज उपार्जित हुआ है।
- 33.5) 31.03.2023 तक 5 क्युबिक मीटर हाईड्रोलिक एक्सवेटर - एच.ई.एक्स-400 के विकास हेतु प्रोजेक्ट में डी. एच.आई. का अनुदान राशि रु. 500.00 लाख (वित्त वर्ष रु. 500.00 लाख) एस.ई.सी. द्वारा प्राप्त किया और दिनांक 31.03.2022 तक रु. 573.06 लाख का उपयोग किया गया। उपयोग राशि डब्लू आई पी एवं अनुदान को चालु दायित्व में नोट संख्या 09 पर दर्शाया गया है।
- 33.6) डी.एच.आई. द्वारा रु. 5000.00 लाख कोमन इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र के लिए एच.ई.सी. में प्रशिक्षण संस्थान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त रकम रु. 5000.00 लाख में सरकारी अनुदान रकम रु. 3000.00 लाख और एच.ई.सी. द्वारा रकम रु. 2000.00 लाख का योगदान होगा।

डी.एच.आई. एवं कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र के बीच दिसम्बर, 2016 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया गया है। जिसमें प्रशिक्षण, स्कील विकास, कन्सल्टेशन एवं विकास और वितरण, आविष्कार, प्रौद्योगिकों की विपणन हेतु व्यवस्था की गई है। इसमें मेल्टिंग, स्टील मेकिंग, वेल्डिंग, गीयर का निर्माण इत्यादि है।

दिनांक 24.12.2016 को एच.ई.सी. एवं सी.ई.एफ.सी., प्रथम के बीच करार में हस्ताक्षर हुआ। एच.ई.सी. प्रयवेक्षण कम्पनी एवं सी.ई.एफ.सी., प्रथम इसको कार्यान्वित करने वाला कम्पनी होगा।

दिनांक 11.01.2019 तक इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा रकम रु. 1545.00 लाख और एच.ई.सी. द्वारा रु. 607.89 लाख वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 111.75 लाख। (वित्तीय वर्ष 2018-19 रु. 368.00 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18) में रु. 128.14 लाख वित्तीय वर्ष 2016-17, रु. 111.75 लाख) जमा किया गया, जो एच.ई.सी. लेखा में दर्शाया गया है। पत्रांक 12/26/2015 एच ई एवं एम टी दिनांक 11.01.2019 के अनुसार एच.ई.सी. को फंड की हस्तांतरण एवं अन्य सम्पत्ती और दायित्व देने के बाद सी.ई.एफ.सी., प्रथम फाउन्डेशन की बन्दी पर डी एच आई द्वारा जरूरी कार्रवाई के करने हेतु फैसला लिया है।

सी.ई.एफ.सी. प्रथम का सम्पत्ती की हस्तांतरण और दायित्व का भुगतान सी.ई.एफ.सी. के अंकेक्षण के बाद का प्रगति पर है। अतः लेखा में सम्पत्ती और दायित्व नहीं दर्शाया गया है। 01.03.2019 वित्तीय वर्ष (2018-19) को सी.ई.एफ.सी., प्रथम से एसक्रो खाता में रकम रु. 130.00 लाख प्राप्त हुआ है और दिनांक 31.03.2019 (2018-19) को एच.ई.सी. रु. 130 लाख एच.ई.सी. सी.ई.एफ.सी. एसक्रो खाता में जमा किया।

#### डीएचआई अनुदान का विवरण :

सी.ई.एफ.सी. प्रथम फाउन्डेशन 11.01.2019 तक	रु. 1545 लाख
एच.ई.सी.-सी.ई.एफ.सी. एसक्रो खाता, एसबीआई एमएमई रांची 01.03.2019 को	रु. 130 लख
कुल अनुदान 31.03.2023 तक	<u>रु. 1675 लाख</u>

#### एच.ई.सी. सी.ई.एफ.सी. एसक्रो खाता, एसबीआई एमएमई रांची :

सी.ई.एफ.सी. प्रथम से प्राप्त (वित्तीय वर्ष 2019-20) :	रु. 190 लाख
डीएचआई से अनुदान (वित्तीय वर्ष 2018-19) :	रु. 130 लाख
एच.ई.सी. योगदान (वित्तीय वर्ष 2018-19) :	रु. 130 लाख
अन्य :	रु. 0.38 लाख
<b>कुल</b>	<u><b>रु. 450.38 लाख</b></u>

वित्त वर्ष 2021-22 में रु. 179.00 लाख की राशि एचईसी हिस्से से संबंधित को एचईसी खाते में वापस ले लिया गया है क्योंकि यह अप्रयुक्त पड़ा हुआ था और वित्त वर्ष 2021-22 में अन्य आय के रूप में माना गया था। रु. 272.64 लाख को नोट संख्या 9 "अन्य देनदारियों" में देयता के रूप में दर्ज किया गया के विरुद्ध वर्ष के दौरान 31.03.23 को एचईसी सीईएफसी एस्करो खाते में पड़ी राशि रु. 104.40 लाख, रु. 168.23 लाख जो कि बैंक द्वारा बकाया ब्याज और अन्य मदों के विरुद्ध काटा गया है, छोड़कर है।

- 33.7) सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 में ग्रेच्युटी देयता को समाप्त करने के लिए रु. 4789.00 लाख का गैर-योजना ऋण प्रदान किया जो 2015-16 से प्रति वर्ष पाँच वार्षिक किशतों में देय होगी। वित्तीय संकट के कारण कम्पनी उस किशत और ब्याज का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। दिनांक 31.03.2023 को ब्याज/पेनल ब्याज सहित रु. 12831.48 बकाया है।
- 33.8) 1995-96 तक दीर्घकालीन लीज़ में रु. 16357.06 लाख प्राप्त किया। लीज़ काल में रु. 574.33 लाख (विगत वर्ष रु. 574.33 लाख) को आय में परिशोधित किया गया था और पूंजी आरक्षित टिप्पणी संख्या 3 में समंजन किया गया है।
- 33.9) रु. 128.40 लाख का इंटरप्लॉट हस्तांतरण (पिछले वर्ष रु. 452.69 लाख) कंपनी के संचालन के कुल राजस्व से बाहर रखा गया है।
- 33.10) 31.03.2023 को या उससे पहले प्रभावित बिक्री को 26.04.2023 तक ग्राहक के समक्ष प्राप्त किया गया, यह प्रचलन राजस्व माना गया है।
- 33.11) डी.एच.ई. से दिनांक 01.01.2017 से वेतन पुनरीक्षण से संबंधित किसी दिशानिर्देश/अनुदेश के अभाव में, वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 33.12) (अ) वित्तीय संकट के कारण, कम्पनी समवर्ती आधार पर अनुसूची के समय के अनुसार ग्रेच्युटी देयता रु. 4512.47 लाख को चुकाने की स्थिति में नहीं है और 31.03.2023 को विलम्ब पर ब्याज का रु. 1032.66 लाख का प्रावधान किया गया है।  
(ब) फंड संकट के कारण, ईपीएस/पीएफ (उप एवं जारी) का प्रेषण नियमित कर्मचारियों के लिए दिसंबर 2021 से और जनवरी 2022 से अनुबंध कर्मियों के लिए रु. 3871.64 लाख ब्याज सहित लंबित है। 31.03.2023 तक पीएफ ट्रस्ट को प्रेषण के लिए अप्रैल 2019 से ब्याज सहित बकाया ऋण वीपीएफ की राशि रु. 11096.85 लाख लंबित है।
- 33.13) (अ) परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर प्रसंस्करण के लिए संपत्तियों और नकदी और नकद समकक्षों में उनकी वसूली के लिए, परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से कंपनी के परिचालन चक्र को बारह महीने माना जाता है।  
(ब) लंबी अवधि के पट्टे का परिशोधन पट्टे की अवधि को ध्यान में रखते हुए सीधी रेखा पद्धति से किया गया है।  
(स) कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर संयंत्र स्तर पर परिसंपत्ति की हानि का आकलन करती है। यदि मूल्यांकन पर, परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तो उन्हें शुद्ध बही मूल्य पर प्रदान किया जाता है।  
(द) प्लॉट टर्नकी परियोजना कार्य/अनुबंध जिसकी निष्पादन अवधि बारह महीने से अधिक है, संविदात्मक दायित्व पूरा होने तक 0.5 की दर से वारंटी व्यय प्रावधान में रखा जाता है।  
(ध) गैर-व्यापार देनदारों के लिए प्रावधान यानी टाउनशिप राजस्व से प्राप्य से संबंधित प्रावधान प्रदान किया जा रहा है जो एक वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।  
(च) वर्तमान उपलब्ध जानकारी के आधार पर संयंत्र प्रभारी के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम का प्रावधान किया गया है।

(छ) संयंत्र प्रभारी द्वारा प्रमाणित अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाओं के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य के लिए पूर्ण प्रावधान प्रदान किया गया है।

(ज) आंतरिक लेखापरीक्षा बाहरी एजेंसी द्वारा नहीं की गई है।

33.14 (अ) परिचालन से राजस्व अनुमोदित विलिंग कार्यक्रम एवं समस्त कार्य के रियर के विलिंग देन और निरीक्षण के आधार पर भुगतान की शर्त इन दोनों के आधार पर प्रोजेक्ट डिवीजन द्वारा निष्पादित प्रमुख अनुबंध (पिछले वर्ष रु. 7965.57 लाख) के मद्देनजर रु. 3310.85 लाख की राशि शामिल है।

01.04.2003 को या उसके बाद निर्माण संविदा से संबंधित खुलासे लेखांकन मानक एएस-7 (संशोधित) के आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार हैं :

लाख रु. में

	2022-23	2021-22
वर्ष के दौरान चिन्हित अनुबंध राजस्व	<b>3310.85</b>	7965.57
31.03.2023 तक अनुबंध की प्रगति के संबंध में		
लागत खर्च और चिन्हित लाभ (न्यूनतम चिन्हित हानियां)	<b>85150.05</b>	133791.89
प्राप्त अग्रिम की राशि	<b>80456.69</b>	125677.65
प्रतिधारण की राशि (अस्थगित ऋण)	<b>0.00</b>	0.00
उचित नेटिंग ऑफ के बाद ग्राहकों से बकाया राशि के संबंध में		
एक परिसंपत्ति के रूप में ठेका पर काम करने के लिए ग्राहकों से बकाया सकल राशि	<b>4693.36</b>	8114.24
एक दायित्व के रूप में ठेका पर काम करने के लिए ग्राहकों पर बकाया सकल राशि	<b>500.00</b>	<b>510.33</b>
आकस्मिक व्यय	<b>कुछ नहीं</b>	कुछ नहीं

(ब) निर्माण संविदा के संबंध में 1 अप्रैल 2003 को या उससे पहले के कुल लागत और कुल राजस्व का अनुमान लेखा मानक (एएस) - 7 (आर) के अनुसार निर्माण संविदा पर प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गयी, उसे समयानुसार नवीनतम बनाया गया एवं चालू वर्ष के खाते में आवश्यक समायोजन किए गये।

(स) परियोजना प्रभाग के मामले में, प्रति बिक्री पर 0.5% की दर से वारंटी खर्च का प्रावधान किया जाता और अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र (एफएसी) तक प्रावधान में रखा जाता है। इसे ग्राहक से अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र के बाद आय के रूप में वापस लिखा जाएगा।

(द) एएस-7 और एचईसी महत्वपूर्ण लेखा नीति नोट संख्या 5(iii) के संदर्भ में, परियोजना प्रभाग के लिए डब्ल्यूआईपी/एफजी को परियोजना के राजस्व की निश्चितता को ध्यान में रखते हुए पहले से खर्च की गई लागत के मुकाबले राजस्व को ठीक सं पहचानने के लिए महत्व दिया गया है। दिनांक 31.03.2023 को WIP/FG का मूल्य पिछले वर्ष में दिखाए गए रु. 2097.52 लाख के मुकाबल रु. 2146.98 लाख है।

33.15) फुटकर देनदार की शेष राशि की पुष्टि के लिये प्रमुख ग्राहकों के लिये पत्र जारी करने के बावजूद ग्राहकों से आज तक कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। जमा, ऋण और अग्रिम, विविध लेनदार आदि के बारे में पुष्टि, संबंधित पक्षों से प्राप्त नहीं की जा सकी।

33.16) सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित अतिदेय राशि पर ब्याज नहीं दिया गया। उसी को नीचे दर्शाया गया है-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006		
	लाख रु. में	
	2022-23	2021-22
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में विलंबित भुगतान बकाया के कारण		
सिद्धांत	2862.84	2368.09
ब्याज	5761.90	3514.50
अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष के दौरान सभी विलंबित भुगतान पर दिया गया कुल ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं

इस अधिनियम के तहत ब्याज की राशि के बिना वर्ष के दौरान देय तिथि के बाद मूलधन राशि पर बकाया ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं (वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज दर्शाया गया है लेकिन बकाया नहीं है क्योंकि ब्याज देय तिथि से मासिक आधार पर गणना की जाती है)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया (सभी ब्याज राशि जो पूर्व के वर्षों से बकाया है को एक साथ दर्शाया गया है जबतक कि ब्याज वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से आयकर प्रयोजन के लिए गैर स्वीकार्य ब्याज राशि का पता लगाने के लिए)	कुछ नहीं	कुछ नहीं

33.17 विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) संस्थान द्वारा जारी एएस-22 के रूप में अस्थगित कर परिसंपत्तियों (नेट) को वहां आभासी निश्चितता के अभाव में मान्यता प्रदान नहीं किया गया, जो ठोस सबूत द्वारा समर्थित है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध रहेगा जिसके खिलाफ इस तरह के अस्थगित कर संपत्ति को महसूस किया जा सकता है।

33.18 व्यवस्था का विवरण :

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 01.04.2022 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़े : अवधि के दौरान व्यवस्था बनाया	घटायें : अवधि के दौरान व्यवस्था का उपयोग	घटायें : अवधि के दौरान अनुपयोग व्यवस्था का रिवर्स किया	दिनांक 31.03.2023 को समापन शेष
1	बोनस के लिए प्रावधान	110.90	29.14	50.36	0.00	89.68
2	अप्राप्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था	19976.20	1476.01	1317.13	205.69	19929.39
3	ग्राहक द्वारा प्राप्त हरजाना के लिए व्यवस्था	12362.53	365.54	108.93	0.34	12618.80
4	दावा प्राप्त हेतु व्यवस्था	4665.89	2871.44	3270.73	0.00	4266.60
5	अन्य के साथ संदेहात्मक जमा हेतु व्यवस्था	237.53	0.00	4.23	0.00	233.30
6	सप्लायर/सब-ठेकेदार के लिए संदेहात्मक अग्रिम हेतु व्यवस्था	730.20	156.58	0.00	6.89	879.71
7	इन्वेंट्री	3737.19	277.43	3.00	13.14	3998.48
8	ग्रेच्युटी के लिए व्यवस्था	6575.22	0.00	0.00	573.11	6002.11
9	छुट्टी नकदीकरण हेतु व्यवस्था	3681.03	0.00	567.49	937.57	2175.97
10	सेवानिवृत्त यात्रा भत्ता का व्यवस्था	59.88	0.60	0.00	1.15	59.33
11	एल.टी.सी./एल.टी.ए के लिए व्यवस्था	187.66	31.61	0.00	83.11	136.16
12	वेतन पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था	123.89	0.00	0.00	0.00	123.89
13	वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	357.79	36.70	0.69	113.84	279.96

33.19 (अ) रु. 937.50 Kg निकेल एवं 491.00 Kg फेरोएलॉय दिनांक 29.09.2020 से 12.10.2020 के बीच मेन स्टोर एफएफपी से लापता पाया गया जिसका एफआईआर 16.10.2020 को किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 15.18 लाख इन्वेंट्री के लिए प्रावधान किया गया है। रु. 15.18 लाख के लिए 13.10.2020 को इन्स्यूरेंस क्लेम दर्ज कराया गया, जो कि रद्द हो गया। इसके अतिरिक्त आदेश दिनांक 18.11.2021 के अनुसार इसे मेसर्स फ्रंट लाईन सेक्युरिटी एजेंसी के बकाया से समायोजित किया गया है।

33.19 (ब) रु. 42.00 लाख का नन फेरस कॉस्टींग आईटम कन्टेनर एवं भंडार/010 Shop/HMBP से 29.5.2021 को लापता पाया गया जिसका एफआईआर 09.06.2021 को केश नं. 102/21 माध्यम से किया गया। आदेश दिनांक 18.11.2021 के अनुसार इसे मेसर्स फ्रंट लाईन सेक्युरिटी एजेंसी सीआईएसएफ के बकाया राशि से रु. 21.00 लाख का समायोजित किया गया है।

33.20 1 अप्रैल, 2007 के संशोधन नियमों (वित्तीय मानक), 2008 के तहत कंपनी लेखा जोखा मानक 15 द्वारा किए गए

संशोधन (पुनरीक्षित 2005) के तहत कर्मचारियों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए बाध्य है :

- (अ) आईसीएआई (ICAI) के द्वारा जारी पुनरीक्षित लेखा मानक 15 - कर्मचारी हितों के प्रावधानों के तहत कंपनी 31 मार्च 2023 तक कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए कृत संकल्प है।
- (ब) 31 मार्च, 2023 को वास्तविक मूल्य निर्धारण के अनुसार हितों के प्रावधानों को परिभाषित किया जाए।
  - (1) **उपदान** - कर्मचारी जो 5 वर्ष या इससे अधिक कम्पनी की सेवा करते हैं उन्हें 15 दिन का वेतन प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर सेवानिवृति के उपरांत उपदान स्वरूप देय होगा। उपदान की देय राशि रु. 20 लाख तक सीमित है।
  - (2) **छुट्टी नकदीकरण** - अर्जित अवकाश की राशि सेवानिवृति होने पर पूरा देय होगा। अर्जित अवकाश अधिक से अधिक पूर्ण सेवा काल तक 300 दिन ही जमा कर सकते हैं। जमा किए गए अर्जित अवकाश की नकदीकरण एक कैलेण्डर वर्ष में एक ही बार 30 दिन का देय होगा।
  - (3) **भविष्य निधि** - मूलवेतन और मंहगाई भत्ता के 12% राशि कम्पनी की भविष्य निधि संगठन के ट्रस्ट में जमा होता है।
  - (4) **सेवानिवृति के बाद का फायदा** - सेवानिवृति उपरान्त कर्मचारियों को अपने स्थायी गृह स्थान तक जाने को राशि देय है।
  - (5) भविष्य निधि न्यास को वर्ष के दौरान देय/देय कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी के प्रोविडेंटफंड ट्रस्ट को कर्मचारियों के भविष्य निधि और विविध प्रावधानों अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट दी गई है। छूट के अनुदान की शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि नियोक्ता ट्रस्ट विज़ द्वारा घोषित ब्याज दर में, यदि कोई हो, तो अच्छी कमी करेगा। ए-विज़ सांविधिक दर। कंपनी भविष्य निधि के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर खातों में पहले से ही पर्याप्त प्रावधान कर चुकी है।
  - (6) प्रोविडेंट फंड के अलावा परिभाषित लाभ दायित्व अनफंड है।
  - (7) लेखा मानक (ए. एस) - 15 (कर्मचारियों के लाभों पर संशोधित) के तहत उपेक्षित अन्य प्रकटीकरण निम्नलिखित है :-

लाख रु. में

	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	निवृत्ति यात्रा भत्ता
<b>मार्च 31, 2023 के लिए वर्ष की समाप्ति पर लाभ व हानि के आधार पर खर्च का ब्यौरा</b>			
1. तात्कालिक सेवा मूल्य	280.64	105.23	4.26
2. पूर्व सेवा मूल्य	0.00	0.00	0.00
3. ब्याज सेवा मूल्य	469.80	263.01	4.28
4. एचपीएल के कारण अनुग्रह राशि में कटौती	0.00	0.00	0.00
5. वर्ष के दौरान वास्तविक लाभ या हानि का लेखा जोखा	(249.77)	(1494.98)	(8.34)
<b>कुल खर्च</b>	<b>500.67</b>	<b>(1126.73)</b>	<b>0.20</b>
<b>बैलेंस शीट में वर्णित वास्तविक सम्पत्ति (जिम्मेदारी)</b>			
1. अनुग्रह का वर्तमान मूल्य (तात्कालिक)	751.25	590.09	4.93
2. अनुग्रह का वर्तमान मूल्य गैर (तात्कालिक)	5250.85	1585.89	54.38
3. अनुदान का लेखा जोखा	(6002.10)	(2175.98)	(59.31)
4. बैलेंस शीट में चिन्हित वास्तविक सम्पत्ति	6002.10	2175.98	59.31



<b>31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान अनुग्रह राशि के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन</b>			
1. 1 अप्रैल 2022 को अनुग्रह राशि का तात्कालिक मूल्य	6575.23	3681.03	59.87
2. वर्तमान सेवा दर	280.64	105.23	4.26
3. ब्याज दर	469.80	263.00	4.28
4. पिछला सेवा दर	0.00	0.00	0.00
5. अनुदान देय	(1073.80)	(378.32)	(0.76)
6. अनुग्रह पर वास्तविक लाभ या हानि	(249.77)	(1494.98)	(8.34)
7. 31 मार्च 2023 को अनुग्रह राशि का तात्कालिक मूल्य	6002.10	2175.98	59.31
<b>अनुमानित ब्यौरा</b>			
1. छूट दर	7.45%	7.45%	7.45%
2. क्षतिपूर्ति दर में बढ़ोतरी	8.00%	8.00%	8.00%
3. मोरटेलिटी दर एलआईसी (2006-2008) टेबल			

33.21) ICAI द्वारा वित्तीय मानक-17 (AS-17) द्वारा जारी खंड युक्त सूचनाओं की प्रस्तुति निम्नलिखित है-  
विभिन्न व्यवसायिक इकाइयों (खंडों) 2022-2023 के बारे में सूचनाएँ :-

(लाख रु. में)

	एफ.एफ.पी प्लांट	एच.एम.बी.पी. प्लांट	एच.एम.टी.पी. प्लांट	प्रोजेक्ट (टर्नकी)	एच.ई.सी.
राजस्व					
बाहरी बिक्री	3134.60	2335.72	362.18	3310.85	9143.35
इंटर-प्लांट/अपने उपयोग के लिए किया गया कार्य	125.99	95.56	7.30	0.00	228.85
<b>कुल राजस्व</b>	<b>3260.59</b>	<b>2431.28</b>	<b>369.48</b>	<b>3310.85</b>	<b>9372.20</b>
<b>कुल लाभ (ब्याज पूर्व कर पश्चात)</b>	<b>(10149.03)</b>	<b>(7001.40)</b>	<b>(2074.44)</b>	<b>396.55</b>	<b>(18828.32)</b>
ब्याज	1510.15	2446.87	299.25	0.00	4256.27
<b>कुल लाभ</b>	<b>(11659.18)</b>	<b>(9448.27)</b>	<b>(2373.69)</b>	<b>396.55</b>	<b>(23084.59)</b>
विशेष वस्तुएं	618.48	1145.02	261.65	0.00	2025.15
पूर्व के समय में हुई आमदनी	(125.17)	72.91	4.75	0.00	(47.51)
<b>सामान्य गतिविधियों से कुल लाभ (कर पश्चात)</b>	<b>(12152.49)</b>	<b>(10666.20)</b>	<b>(2640.09)</b>	<b>396.55</b>	<b>(25062.23)</b>
अन्य सूचनाएँ					
सम्पत्ति के खंड	11675.35	15494.02	2618.96	5171.23	34959.56
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00	0.00	2.67	2.67
अविभाजित सम्पत्ति					9867.90
कुल सम्पत्ति					44830.13
खंडों की जवाबदेही	42600.99	21220.77	3273.42	15685.02	82780.20
अविभाजित खंडों की जवाबदेही					70115.53
कुल देयताएं					152895.73
पूंजी खर्च	509.60	0.00	0.00	2.67	512.27
अविभाजित पूंजी खर्च					4.25
कुल पूंजी खर्च					516.52
मूल्यहास	388.34	58.01	17.81	2.16	466.32
अविभाजित मूल्यहास					104.52
कुल मूल्यहास					570.84

33.22) ICAI द्वारा वित्तीय मानक -18 (AS & 18) द्वारा पार्टी से संबंधित आवश्यक सूचनाओं की प्रस्तुति निम्नलिखित है -  
संबन्धित पार्टी का ब्यौरा लेन देन का विवरण (लाख रु. में)

	मुख्य प्रबंधन कर्मचारी	अवधि	पारिश्रमिक	सत्रीय लाभ
1	डॉ. नलिन सिंघल सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	04 / 2022 - 03 / 2023	0.00	0.00
2	श्री राजेश कुमार द्विवेदी निदेशक वित्त (अतिरिक्त प्रभार)	11 / 2022 - 03 / 2023	0.00	0.00
3	श्री ए के बेहरा निदेशक कार्मिक (अतिरिक्त प्रभार)	12 / 2022 - 03 / 2023	0.00	0.00
4	श्री आलोक कुमार सिंघल निदेशक विपणन (अतिरिक्त प्रभार)	02 / 2023 - 03 / 2023	0.00	0.00
5	श्री शकिल कुमार मनोचा निदेशक उत्पादन (अतिरिक्त प्रभार)	12 / 2022 - 03 / 2023	0.00	0.00
6	श्रीमती अरुन्धती पंडा निदेशक (वित्त)	04 / 2022 - 09 / 2022	20.06	2.25
7	श्री मृदुल कुमार सक्सेना निदेशक (कार्मिक)	04 / 2022 - 12 / 2022	27.56	2.96
8	डॉ. राणा एस. चक्रवर्ती निदेशक (विपणन) एवं निदेशक उत्पादन (अतिरिक्त प्रभार)	04 / 2022 - 01 / 2023	29.06	3.29
		<b>कुल</b>	<b>76.68</b>	<b>8.50</b>

उपरोक्त के अलावा (डॉ. नलिन सिंघल, श्री राजेश कुमार द्विवेदी, श्री ए के बेहरा, श्री आलोक कुमार सिंघल, श्री शकिल कुमार मनोचा को छोड़कर) उन्हें घर, कार इत्यादि रियायती दर पर मिलता है।

33.23) कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में घाटे की स्थिति में यह कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के खाते में ऐसा कोई घाटा परिलक्षित नहीं है।

33.24) वर्ष के दौरान कुछ विशेष क्षेत्रों में जैसे परिवहन और चिकित्सा, जैसे खुदरा सामान, दवाएँ और अन्य वस्तुओं को खर्च हो चुका माना गया।

33.25) 31.03.2023 को कम्पनी का नेटवर्थ निगेटिव था चूँकी कम्पनी अनलिस्टेड है अतएव वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईएनडी ए.एस लागू नहीं है।

33.26) हमारे विचार से केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर हमारे दावे और केन्द्रीय विद्यालय का रु. 140.23 लाख की दावा, जो कागजात के अभाव में प्रप्री नहीं है और इसलिए इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।

33.27) विगत वर्षों के हिसाब या लेखा जोखा को पुनर्विभाजित, पुनर्वर्गित, पुनर्परिभाषित और पुनर्व्यवस्थित करना है ताकि चालू वर्ष की तुलना में उसे और व्यावहारिक बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, दो वर्षों के आंकड़ों के तुलना, पिछले वर्ष अन्य प्राप्य दिखायें गये आँकड़ा अब वर्ष के दौरान ट्रांजिट गुड्स (HMBP) जो पिछले वर्ष में कर्ज एवं अग्रिम तथा प्रवेश कर (KSL Project) भण्डार के तहत वर्गीकृत किया गया है

**33.28 अतिरिक्त सूचना**

अ 1. अनुपात विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	31.03.23 को	31.03.22 को	% बदलाव	कारण
a	वर्तमान अनुपात	0.27	0.39	-30.54%	बकाया भुगतान नहीं होने के कारण
b	डेब्ट इक्विटी अनुपात	-0.17	-0.24	31.48%	औसत शेयर धारक निधि में 34.94% के कमी के कारण
c	डेब्ट सर्विस कवरेज अनुपात	-4.29	-7.08	39.38%	उच्च ब्याज दर
d	इक्विटी रिटर्न	23.99%	35.91%	33.20%	औसत शेयर धारक निधि में 34.94% के कमी के कारण
e	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	0.73	1.27	-42.96%	कम बिक्री
f	प्राप्त व्यापार टर्नओवर अनुपात	0.62	0.87	-28.62%	कम कारोबार
g	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	0.03	0.46	-94.02%	कम उत्पादन
h	कुल पूंजी टर्नओवर अनुपात	-0.10	-0.25	61.20%	कम कारोबार
i	कुल लाभ अनुपात	-2.50	-1.36	-83.08%	बिक्री में 51% की कमी
j	प्रायोजित पूंजी पर रिटर्न	24.41%	44.19%	-44.76%	वर्तमान देनदारी में बढ़ोत्तरी
k	निवेश पर निटर्न	NA	NA	NA	NA

नोट : इस वर्ष और पिछले वर्ष का अनुपात विश्लेषण कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचि 3 में दिये गये पैरामिटर के अनुसार है।

अनुपात का विवरण :-

- (i) सभी मापदंडों का औसत (ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस)/2 के रूप में लिया गया है।
- (ii) नियोजित पूंजी - कुल ऋण, कुल शेयरधारक की निधि
- (iii) बेची गई वस्तुओं की लागत, उपभोग की गई इन्वेंट्री में परिवर्तन
- (iv) क्रेडिट खरीद को शुद्ध खरीद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है
- (v) क्रेडिट बिक्री को शुद्ध बिक्री द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है
- (vi) चुकाया गया ऋण = ब्याज मूलधन का पुनर्भुगतान
- (vii) EBITDA = ब्याज, कर और मूल्यह्रास एवं परिशोधन से पहले की कमाई
- (viii) कुल निवेश - अल्पकालिक निवेश दीर्घकालिक निवेश
- (ix) कार्यशील पूंजी वर्तमान परिसंपत्ति - वर्तमान देनदारियां

	2022-23	2021-22
अ. 2. उन कर्मचारियों का विवरण जो पूरे वर्ष भर नियोजित थे एवं जिनका वार्षिक पारिश्रमिक (लाभों सहित) रु. 60,00,000.00 या इससे ज्यादा था या ऐसे कर्मचारी जो एक वर्ष से कम समय के लिए नियोजित थे एवं जिनका मासिक पारिश्रमिक (लाभों सहित) रु. 5,00,000.00 लाख या इससे ज्यादा था।	Nil	Nil
अ. 3. लेखा परीक्षक व्यय		
(i) सांविधिक लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	2.70	2.25
(ii) कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.50	0.38
(iii) व्यय की प्रतिपूर्ति	0.15	0.15
(ब) कच्चे माल, अवयवों, भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों की खपत मूल्य (तैयार माल की खरीद सहित) तथा उनकी		

प्रतिशतता	₹ लाख में			
	2022 - 23		2021 - 22	
(ए) कच्चे माल	मूल्य	%	मूल्य	%
(1) आयातित	46.81	7.95	246.64	11.30
(2) स्वदेशी	542.01	92.05	1935.44	88.70
	<b>योग</b>	<b>588.82</b>	<b>100.00</b>	<b>2182.08</b>
			<b>100.00</b>	
(बी) भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे (मरम्मत तथा रख रखाव के लिए प्रयोग में लाये गए भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे सहित)				
(1) आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) स्वदेशी	778.76	100.00	5540.17	100.00
	<b>योग</b>	<b>778.76</b>	<b>100.00</b>	<b>5540.17</b>
			<b>100.00</b>	

टिप्पणी : निर्धारित एजेन्सियों द्वारा आयातित वस्तुओं को छोड़कर

(स) सी.आई.एफ. के आधार पर आयात का मूल्य

कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जे, जी.आई.टी

अवयव

514.44

100.00

156.72

100.00

कैपिटल गुड्स

0.00

0.00

0.00

0.00

**योग**

**514.44**

**100.00**

**156.72**

**100.00**

एच. एम. बी. पी. के मामले में कच्चा माल, स्पेयर पार्ट्स के सी. आई. एफ. मूल्य में सामग्री का दाम एवं सामग्री दाम का 5.5 प्रतिशत बीमा और भाड़ा के लिए सम्मिलित है।

(द) विदेशी मुद्रा में व्यय

विदेश यात्रा-भत्ता विदेश यात्रा भत्ता

0.00


0.00


**योग**


**0.00**


**0.00**

33.29) नोट संख्या 1 से 32 और मुद्रा संबंधी तथ्य इस खाते के अभिन्न अंग है।

  
 ए. के. कंत  
 कंपनी सचिव


  
 सीएमए सजेश गाँधी  
 उपमहाप्रबंधक (ए & बी)

  
 सीएमए आर. के. द्विवेदी  
 निदेशक (वित्त)

  
 डॉ. नलिन सिंघल  
 अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट  
 कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

स्थान : राँची  
 दिनांक : 15.09.2023

  
 (सीएमए के. वाधवा)  
 पार्टनर सदस्यता सं. - 074749  
 फर्म पंजीयन सं. - 006271C  
 UDIN: 23074749BGWWUR7990

# कंपनी की कार्यक्षमता

प्लांट विविध उत्पादों का निर्माण करने में समर्थ है, जिसमें कुछ उत्पादों का विवरण निम्नांकित है:

# CAPABILITIES OF THE COMPANY

The plants can manufacture various products, some of which are as here under:

## फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट

आयरन कास्टिंग्स	: 100 टन वजन तक
स्टील कास्टिंग्स	: 90 टन वजन तक
नन-फेरस कास्टिंग्स	: 2 टन वजन तक
फोर्जिंग्स	: 40 टन वजन तक
रॉल्स	: हॉट रॉलिंग मिल, स्लैबिंग, ब्लोमिंग मिल हेतु 40 टन वजन तक फोर्ज्ड इंडक्शन हारडेंड रॉल्स, एस.सी., आयरन रॉल्स

## Foundry Forge Plant

Iron Castings	- Weighing upto 100 T
Steel Castings	- Weighing upto 90 T
Non-Ferrous Casting	- Weighing upto 2 T
Forgings	- Weighing upto 40 T
Rolls	- Forged induction hardened Roolls weighing upto 40 T for Hot Rolling Mills, Slabbing Mills, Blooming Mills, SG Iron Roolls etc.

## हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

- ब्लास्ट फर्नेस : क्षमता 1719,2000 एवं 3200 घन मी.
- कोक ओवेन बैटरिज : 4.3 से 7 मी. की ऊँचाई
- सिन्टरिंग प्लांट्स : आकार 75 वर्ग मी., 80 वर्ग मी., 252 वर्ग मी. एवं 312 वर्ग मी.
- 100 टन/130 टन एवं 300 टन एल.डी कन्वर्टरस समेत स्टील मेल्टिंग शॉप इक्विपमेंट
- कंटेन्यूअस कास्टिंग मशीन : स्लैब्स एवं ब्लूमस हेतु
- रॉलिंग मिल इक्विपमेंट
- इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल्स: क्षमता 5 घन मी., 12.5/15 घन मी.
- हाईड्रोलिक शॉवेल्स: क्षमता 3 से 8 घन मी.
- वाकिंग डैगलाइन्स 20/90 एवं 24/96
- उच्च शक्ति के मेटालर्जिकल क्रेन एवं अन्य ई.ओ.टी. क्रेन: क्षमता 450 टन एवं रोटेटिंग टॉग क्रेन
- मैटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यथा-वैगन टीपलर, एपरॉन फीडर, रिकलेमर्स आदि।
- मूल उद्योगों की जरूरत हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण यथा प्राइमरी जाइरेटरी एवं अन्य क्रसर्स
- ओवर बर्डेन ब्लॉस्ट होल ड्रिल्स: 250 मि.मी. व्यास
- प्रोजेक्ट डिवीजन निम्नांकित क्षेत्रों में टर्न-की आधारित प्रोजेक्टों का कार्य निष्पादन करने में समर्थ है :
  - मैटेरियल हैंडलिंग सिस्टम
  - कोल डीगेशन प्लांट
  - कोल डीगैसीफिकेशन प्लांट
  - स्टील प्लांट फ़ैसिलिटीज यथा : सिन्टरिंग प्लांट, कंटेन्यूअस कास्टिंग प्लांट एवं कोक ओवेन बाई-प्रोडक्ट प्लांट
  - सीमेंट प्लांट

## HEAVY MACHINE BUILDING PLANT

- Blast Furnace of Capacity 1719,2000 and 3200 Cu. M
- Koke Oven Batteries from 4.3 to 7m height
- Sinter plants of 75M2, 80 M2 252m2 and 312 M2 size
- Steel Melting Shop Equipment Inclusive of 100T/130T and 300T L.D. Converters
- Continuous Casting Machines for Stabs & Blooms
- Rollin Mill Equipment
- Electric Rope Shovels of capacity 5 M3, 10M3, 12.5/15M3
- Hydraulic Shovels of 3 to 8 Cu. M. capacity
- Walking Draglines 20/90 and 24/96
- Metallurgical Cranes and other EOT Cranes of high capacity up to 450 T and Rotating Tong Cranes
- Material Handling equipment namely, Wagon Tippler, Apron Feeder, Reclaimers etc.
- Various other equipment namely, Primary Gyrotory and other Crushers needed by core sector industries.
- Over Burden Blast Hole Drills-Dia 250 mm
- The Project Division can take up execution of projects of turnkey basis in the following areas
  - Material handling system
  - Coal Deshelling Washery
  - Coal Degasification Plant
  - Steel Plant facilities like Sintering Plant, Continuous Costing Plant and Coke Oven By-Product Plant
  - Cement Plants

## हैवी मशीन टूल्स प्लांट

रेलवे हेतु विशेष प्रयोजनार्थ मशीन टूल्स समेत विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स, इसके साथ-साथ प्लांट कुछ मॉडल के सी.एन.सी मशीन के उत्पादन में भी समर्थ है।

## HEAVY MACHINE TOOLS PLANT

Various types of machine tools including special purpose machine tools for Railways. The plants is capable of producing CNC Machine Tools of some models as well.

एच. ई. सी.



## HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED

### Corporate Office

Plant Plaza Road, Dhurwa, Ranchi, 834004, Jharkhand (India)  
Phone : +91 651 2401249 / 2401176 | Fax +91 651 2400579 / 2401571  
Email : corpmktg@hecltd.com

### Branch Office

New Delhi

Heavy Engineering Corporation Limited, E-84, Masjid Moth, Greater Kailash-III  
New Delhi - 110 048 | Tel : +91 11 29220224, 41437422 | Fax : +91 11 29220225  
E-mail : hecdelhi@hecltd.com

Kolkata

Heavy Engineering Corporation Limited, 77, Park Street, Kolkata - 700 016  
Tel : +91 33 22172397, 22290661 | Fax : +91 33 22291509  
E-mail : heckolkata@hecltd.com